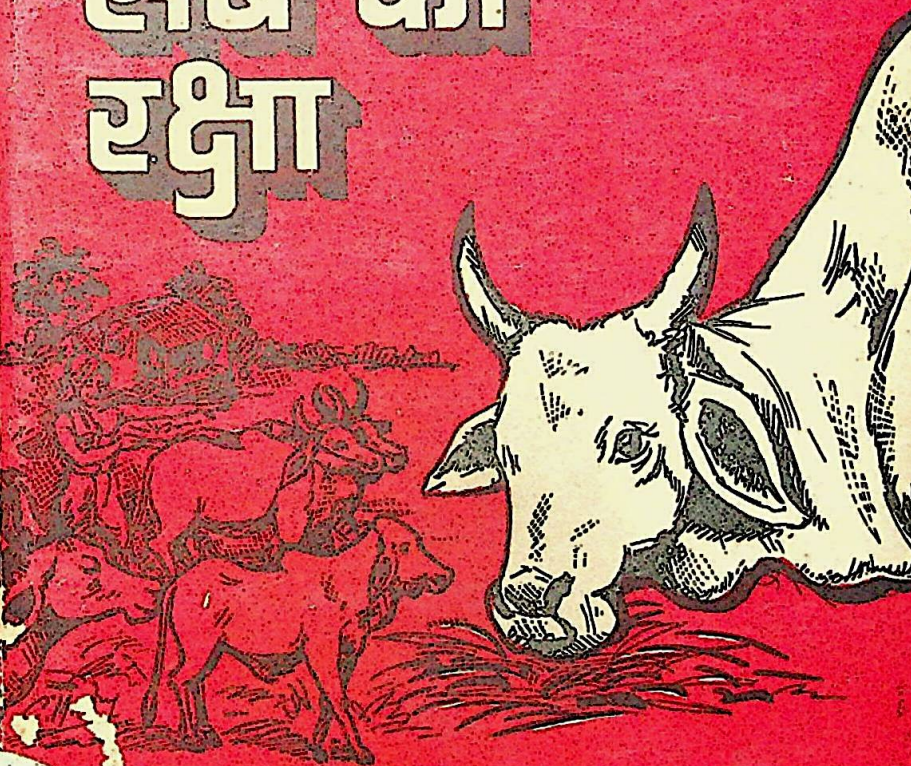


गोरक्षा में सब की रक्षा

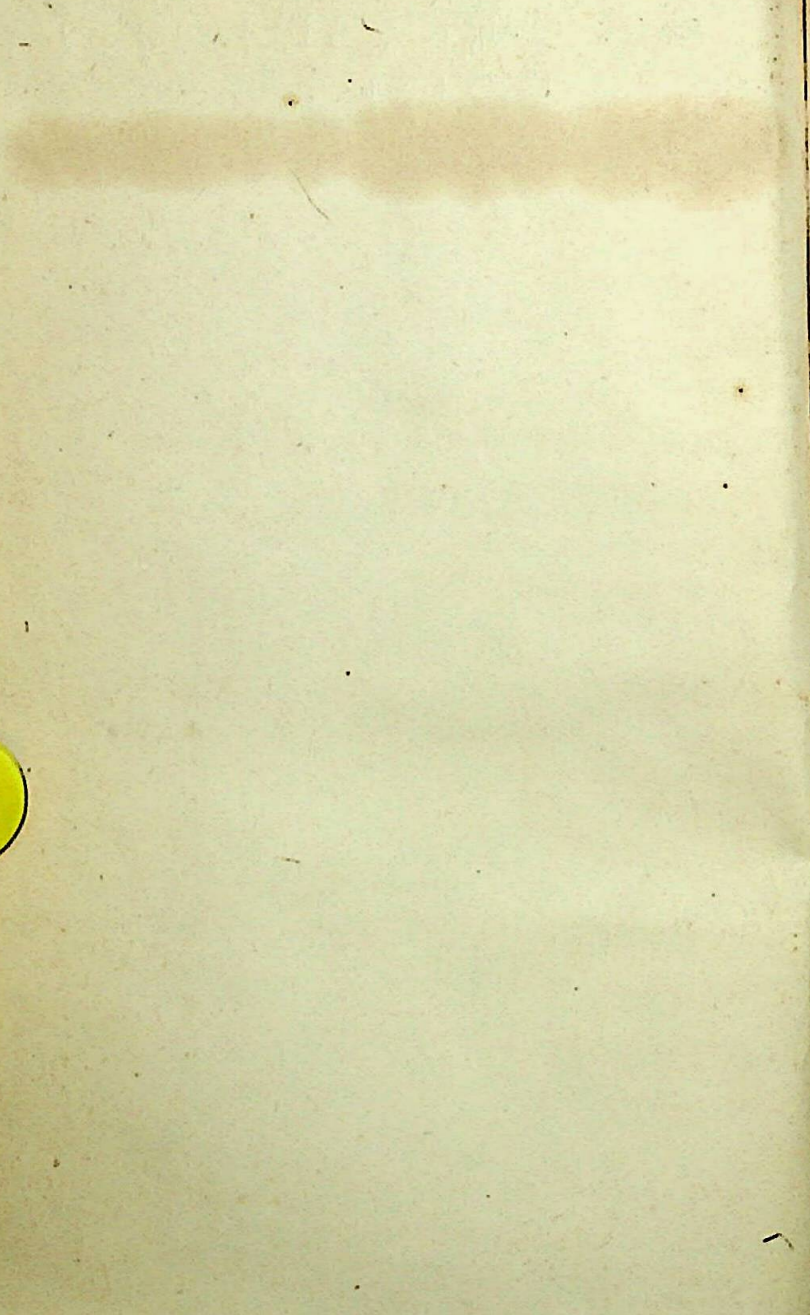


नविल भारत कृषि-गोसेवा संघ
गोपुरी, वर्धा. (महाराष्ट्र)

Q2:414(KZ31L)⁹⁶²⁰

152L9

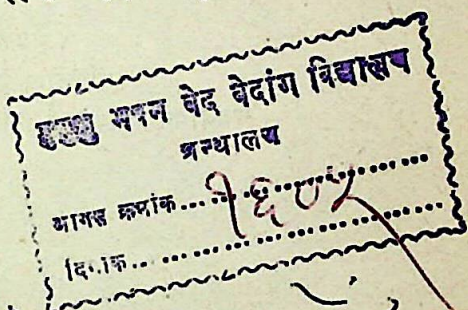
गोरक्षा में सहायता (२०११)



Q2:414(KZ311)
152L9

१६५९

गोरक्षा में सब की रक्षा



लप्रे न का ६ नं ८

श्री कृष्ण का ६
नं ३

म. म. कृषि गो सेवा
संघ

वाराणसी धारा

अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ
गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र)

प्रकाशक

राधाकृष्ण वजाज

महामंत्री, अ० भा० कृषि-गोसेवा संघ,
गोपुरी, वर्धा-४४२००१ (महाराष्ट्र)

मुद्रक

शांतिलाल ह० शाह

नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद ३८००१४

92:414(K2311)
15269

प्रथम संस्करण

प्रतियां : ५,०००

सुबुधु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय

बा रा ग मी ।

आगत क्रमांक..... 1657

दिनांक.....

अक्तूबर, १९७९

मूल्य : पाँच रुपये

घार—फोन २५१८ बर्बा

बहुविद्या-मंदिर
पो. पवनार, बर्बा ४४२००६

सर्वोदय . निष्ठा और कार्यक्रम

हमारा निष्ठा

भूदान मूलक, ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक
क्रांति के लिये जीवन समर्पण

कोद्योग — 17-4-54 जयप्रकाश-विनोब,

हमारा मंत्र

जय ग्रामदान (ग्रामस्वराज्य)

जय जगत (विरव-वैद्युत्व)

हमारा कार्यक्रम

हर हाथ को काम

हर पेढ को रोटी

हर मस्तक में चिंतनशक्ति

पवनार

1 सितंबर 1979

११५५ रु रि

विनोब.

प्रस्तावना

सारे भारत में गोवध-बंदी लागू नहीं की जाती तो आमरण अनशन करने की घोषणा पू० विनोबाजी ने जून, १९७६ के अंत में की थी। गोवध-बंदी का प्रश्न इतने महत्त्व का विनोबाजी क्यों मानते हैं, इस संबंध में पवनार के 'मैत्री' मासिक में काफी जानकारी प्रकाशित हुई थी। विनोबाजी के उपवास के संकल्प की घोषणा के बाद अ० मा० कृषि-गोसेवा संघ ने 'गोसेवा महाव्रत' नाम की एक पुस्तिका अगस्त, १९७६ में प्रकाशित की थी। पू० विनोबाजी के अनशन की घोषणा के कारण इस पुस्तिका के तीन संस्करण एक ही माह में छपाने पड़े थे। कुल प्रतियाँ २५,००० छपीं। इस प्रश्न की ओर लोकमानस कितना तीव्र था, इस परसे यह ध्यान में आयेगा।

१९७६ से तीन वर्षों में 'गोप्रास' मासिक द्वारा वैचारिक तथा शास्त्रीय लेख और जानकारी प्रकाशित होती रही है। सारे भारत में गोवध-बंदी लागू करने के भारत सरकारके १९७६ के वचन की पूर्ति केरल और पश्चिम बंगाल में अवतक हो नहीं पायी थी। इन दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से भारत के प्रधानमंत्री मोरारजीभाई, लोकनायक जयप्रकाशजी, आचार्य कृपलानीजी तथा स्वयं विनोबाजी के पत्रव्यवहार एवं अनुनय-विनय करने पर भी भारत के अन्य सभी प्रदेशों में बने गोवध-बंदी कानूनों के अनुसार अपने प्रदेशों में कानून बनाने के लिए बंगाल और केरल राजी नहीं हो सके। इसलिए संत विनोबाजी को ता० २२ अप्रैल, १९७९ से पुनः उपवास करना पड़ा।

उपवास के पाँचवें दिन ता. २६ को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजीभाई ने भारतीय संसद में आश्वासन दिया कि भारत सरकार गोवध-बंदी के विषय को कांकरंट लिस्ट में लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मर्यादा में एक वर्ष के भीतर ३१ मार्च, १९८० तक केन्द्रीय कानून बना देगी। इस आश्वासन पर विनोबाजी का उपवास छूटा। भारत सरकार की ओर से अपने आश्वासन के अनुसार गोरक्षा के प्रश्न को कांकरंट लिस्ट में लेने के लिए

लोकसभा के उसी सत्र में १० मई, १९७९ को पचासवाँ संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया। संयोग से अचानक लोकसभा का विघटन हो गया और दिसंबर में नये चुनाव हो रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आनेवाली नयी सरकार भी संत को दिये गये सरकारी वचन का निभाव अवश्य करेगी।

जनता को भी चाहिए कि गोवध-बंदी का अपना संकल्प अधिक दृढ़ करे। लोकसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवारों से वचन ले कि वे गोवध-बंदी का समर्थन करेंगे। उम्मीदवार जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की बात मानना उनका फर्ज ही है। उम्मीदवार वचन पालेंगे या नहीं इस शंका-कुशंका में न पड़ें। जनता को स्वयं जागृत रहना चाहिए। जनता जागृत रहेगी तो सरकारी कानून भी बन जावेंगे और गोधन की कत्ल भी रुक जावेगी। जनता जागृत न रही तो बने-बनाये कानून भी लुप्त हो सकते हैं।

कृषि-गोसेवा तथा गोहत्या-बंदी के संबंध में पूज्य गांधीजी, संत विनोबाजी, लोकनायक जयप्रकाशजी, आचार्य दादा धर्माधिकारी, आचार्य काकासाहब, डॉ० श्रीमन्नारायणजी जैसे मनीषी और भारत के रचनात्मक क्षेत्र में गण्यमान्य वुजुर्गों के विचार इस पुस्तिका में संकलित हैं। इसी प्रकार मुनि संतबालजी, मुनि ज्ञानचंद्रजी जैसे गोसेवा के काम में सक्रिय साधु-संतों के भी विचार दिये हैं।

वैचारिक पृष्ठभूमि के अलावा गोहत्या-बन्दी भारत जैसे कृषिप्रधान देश के लिए वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से किस तरह लाभकारी है यह आँकड़ों से स्पष्ट करनेवाले लेख इस पुस्तिका में हैं। गायका दूध मँस के दूध की अपेक्षा किन बातों में श्रेष्ठ है, इसका विवेचन है। पुराने सरकारी आश्वासन आदि मूल अंग्रेजी में दिये हैं। गोसेवकों के लिए किताब संग्रहणीय है। प्रचार की दृष्टि से अग्रिम रु. १०० भेजनेवालों को रु. ५) की किताब केवल रु. २) में प्राप्त हो सकेगी। आशा है गोसेवक तथा गोशालाएँ इस रियायत का पूरा लाभ उठावेंगी।

गोपुरी वर्धा

गांधी जयन्ती, २-१०-७९

राधाकृष्ण बजाज

महामंत्री

अनुक्रमणिका

१. गाय की रक्षा में सब की रक्षा	महात्मा गांधी	१
२. संकल्प	विनोबा	२
३. एक ही साधे सब सधे	विनोबा	२
४. गोहत्या-बंदी के लिए सत्याग्रह का आवाहन	विनोबा	६
५. आरब्धम् जय जगत्	विनोबा	८
६. प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इन लोकसभा		९
७. उपवास छोड़ने के लिए निवेदन	चन्द्रशेखर	१०
८. उपवास समाप्ति पर बाबा द्वारा धन्यवाद		१०
९. गायें रोकने का कार्यक्रम चले	विनोबा	११
१०. सर्वोदय की प्रकाश-किरण फैलाने के लिए पद्यात्राओं का आयोजन हो	विनोबा	१२
११. मूल निष्ठाओं पर संघ कायम रहे	जयप्रकाश नारायण	१४
१२. हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर मस्तक में चिन्तन-शक्ति	राधाकृष्ण बजाज	१४
१३. गोहत्या एकदम बंद कर दी जाय	विनोबा	२०
१४. ग्रामीण अर्थरचना का बुनियादी पहलू	जयप्रकाश नारायण	२१
१५. विश्व संस्कृति का प्रतीक : गाय	दादा धर्माधिकारी	२३
१६. गोरक्षा को सार्वभौम बनावें	काका कालेलकर	२८
१७. सत्याग्रह — शुद्धि-साधना	मुनि संतबालजी	३२
१८. शुद्धि-साधना का कार्यक्रम	मुनि ज्ञानचंद्र	३३
१९. गोसेवा के कार्यक्रम	तुलसीदास विश्राम	३४
२०. ग्रामदानी किसानों के सहयोग से गायें रोकें	एस० जगन्नाथन्	३५
२१. गोबध-बंदी तथा विनोबाजी का संकल्प	गौतम बजाज	३८
२२. गोसेवा की नीति	राधाकृष्ण बजाज	४२
२३. खिलार — थरपारकर गाय	वनवारीलाल चौधरी	६३

२४. क्रॉसब्रीडिंग के मुकाबले अपग्रेडिंग	गोविंद कुट्टी मेनन ६६
सुलम व लामप्रद	राधाकृष्ण बजाज ६९
२५. बंबई में गोदूध की गंगा	
२६. चैतन्य महाप्रभु की भूमि में गोहत्या	
पूरी बंद हो	चारुचंद्र भंडारी ७१
२७. गोरक्षा के लिए गाय की सेवा	श्री वनफूल ७३
२८. गोशालाएं लैंड सिलिंग से मुक्त हों	श्री श्रीमन्नारायण ७५
२९. मांस का निर्यात रोका जाय	सिद्धराज ढड्डा ७६
३०. एन्स्युअर फेअर रोटर्न्स टु काऊ मील्क	डॉ. व्ही. कूरियन ७९
३१. दूध खरीद फेट और एस० एन० एफ.	
पर हो	डॉ० कूरियन के साथ चर्चा ८२
३२. गाय के गोबर से संपत्ति	ना० दे० पांडरी पांडे ८६
३३. मानव-रक्षा के लिए गोरक्षा	मदनमोहन सिंघानिया ८९
३४. चारा और ईंधन वृक्ष-अगस्ती	संकलित ९२
३५. गोबर गैस स्लरी की गुणवत्ता	गोविंद कुट्टी मेनन ९४
३६. उत्तम से उत्तम खाद : गोबर दाने	संकलित ९५
३७. उत्तम हरा चारा : कू-बबूल	सुरेश देशमुख ९८
1. Shri Jai Prakashji's Letter to Jyoti Basu	101
2. Shri Jyoti Basu's Letter to Jay Prakashji	102
3. Bengal Should Fall in Line	
—Jayprakash Narayan	104
4. Politicians Should Come out of Their	
Narrow Shades—S. Jagannathan	106
5. Reply to Chief Minister	
of Kerala—R. K. Patil	109
6. Amend Constitution to Save Cow	
—Dharamsey M. Khatau	113
7. Cattle Our Partners in Production	
—Devendra Kumar	116
8. Appeal to Ban Export of Animals and	
Meat—J. B. Kripalani	122

9. Experts Should Think in Indian Way —Dr. B. H. Soni	124
10. House to House Slaughter Should be Stopped—S. S. Sanganerla	126
11. Learn to Love the Cow to Prevent Cow-slaughter —Satish Chandra Das Gupta	128
12. The Economics of Cow Protection —Prof. C. N. Vakil	130

Appendices

1. Directive Principles of State Policy	135
2. Cow, of any Age, Should not be Slaughtered	135
3. Madras High Court Judgement	139
4. Ban Cattle Slaughter Completely	140
5. Government Request to Shri Jagad Guru to give up Fast	142
6. Appointment of the Cow Protection Committee	144
7. Government of India Committed to Prohibit Cow Slaughter	145
8. Enact Legislation without Delay	145
9. Agreed Points with Bengal Govt.	146
10. Cows Should not be Imported in West Bengal	148
11. Instructions for Implementation of Act	149
12. Ten Years' Imprisonment in Kashmir for Cow Slaughter	151
12.(A) A.I.C.G. Resolution of Congress (I)	152
13. Lok Sabha Passed Resolution on Cow Slaughter	152
14. The Constitution (Fiftieth Amendment) A Bill, 1979	154
14.(A) Statement of Object and Reasons	154
15. Haryana Government Order Prohibiting Transport of Cows for Slaughter	156
१६. सर्व सेवा संघ का गोरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव	१५७

गाय की रक्षा में सब की रक्षा

[महात्मा गांधी]

मैं जैसे-जैसे गोरक्षा के प्रश्न का अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसे उसका महत्त्व मेरी समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान में गोरक्षा का प्रश्न दिन-दिन गंभीर होता जायेगा, क्योंकि इसमें देश की आर्थिक स्थिति का सवाल छिपा हुआ है। मैं मानता हूँ कि हर धर्म में आर्थिक और राजनैतिक विषय रहते हैं। जो धर्म शुद्ध अर्थ (धन) का विरोधी है, वह धर्म नहीं। जो धर्म शुद्ध राजनीति का विरोधी है, वह धर्म नहीं। धर्मरहित धन त्याज्य है। धर्म के बिना राजसत्ता राक्षसी है। अर्थात् से अलग धर्म नाम की कोई चीज नहीं। व्यक्ति या समष्टि सब धर्म से जीते हैं, अधर्म से नष्ट होते हैं। सत्य के सहारे किया हुआ अर्थसंग्रह यानी व्यापार जनता का पोषण करता है। सत्यासत्य के विचार से रहित व्यापार उसका नाश करता है। झूठ और छल-कपट से होनेवाला लाभ क्षणिक है। अनेक दृष्टान्तों से बताया जा सकता है कि उससे अंत में हानि ही हुई है।

गोरक्षा के धर्म की जांच करते समय हमें अर्थ (धन) का विचार करना ही पड़ेगा। अगर गोरक्षा शुद्ध धन की विरोधी हो, तो उसे छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, हम रक्षा करना चाहेंगे, तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी।

हमारे लिए तो प्राणिमात्र की रक्षा करना धर्म है। लेकिन जब तक सबसे उपयोगी पशु को हम सच्चे अर्थ में नहीं बचा लेते, तब तक दूसरे जानवरों की रक्षा नहीं हो सकती। हमने तो गाय की उपेक्षा करके गाय और भैंस दोनों को मौत के दरवाजे पहुँचा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि उपयुक्त उपाय करके हम सच-मुच गाय को बचा लेंगे तब दूसरे जानवर भी बच जायेंगे। ●●

संकल्प

पवनार आश्रम में महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन में तारीख २५ अप्रैल को भाषण देते हुए मैंने गोरक्षा के संबंध में बहुत जोर दिया था और कहा था कि गोरक्षा की जिम्मेदारी आचार्यों को उठा लेनी चाहिए। इस संबंध में एक पत्रक भी प्रकाशित हुआ है।

इसके बाद तारीख १७ मई को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री शंकररावजी चव्हाण खुद मुझे मिलने पवनार आये थे। उनसे भी चर्चा करते हुए मैंने देश के विकास की दृष्टि से गोवध-बंदी की आवश्यकता पर बहुत बल दिया और कहा कि यदि यह कार्य शीघ्र संपन्न न हुआ तो मुझे आमरण उपवास करना होगा।

तारीख २९ मई को कुछ कार्यकर्ताओं से इस विषय में बातें करते हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया कि यदि देशभर में गोवध-बंदी करने का निश्चय जाहिर न हुआ तो मैं ११ सितम्बर से उपवास शुरू करूंगा, जो मेरा जन्म-दिवस है। इसके लिए अभी साढ़े तीन महीने की अवधि है। उतना समय संबंधित व्यक्तियों को निर्णय करने के लिए पर्याप्त होगा।

३१-५-१९७६

विनोबा
राम हरि

एक ही साधे सब सधे

[विनोबा]

कलकत्ता, केरल इत्यादि प्रदेशों में जो गोहत्या हो रही है उससे मेरा हृदय व्यथित हुआ है। इसलिए वावा ने जाहिर किया था कि इन प्रदेशों में गोहत्या बंद नहीं होगी तो १ जनवरी, १९७९

से बाबा आंशिक उपवास करेगा और थोड़े समय बाद पूर्ण उपवास करेगा। कुछ लोगों ने मांग की कि आप हमें थोड़ा समय और दीजिए, ताकि हमें काम करने के लिए थोड़ा अवकाश मिले। मैंने कहा ठीक है आपको थोड़ा समय दे सकता हूँ। आपको १११ दिन का यानी २१ अप्रैल, १९७९ तक का समय देता हूँ। सब मिलकर सम्मिलित शक्ति इसमें लगाइए। समय का पूर्ण उपयोग करके गोहत्या बंद करने में आप सफल हो जायेंगे, तो एक बहुत बड़ा काम होगा और उससे आपको, सबको और बाबा को भी आनंद होगा।

मैंने सब कार्यकर्ताओं से विनती की है कि सब मिलकर अपना सब बाकी काम छोड़कर अपनी सम्मिलित ताकत गोहत्याबंदी के काम में लगायें। यह ठीक है कि कुछ जगहों में ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि बाढ़ आ रही है, तो उसको रोकने का काम करना ही पड़ता है। वैसे कुछ अनिवार्य कामों को छोड़कर जितनी भी शक्ति है वह सारी गोहत्याबंदी में लग जाये। इसलिए वेद में मंत्र आया है:

समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

आप सबका चित्त संकल्प इत्यादि समान हो और एक मसले के हल के लिए जितनी ताकत आप सब लगा सकते हैं, उतनी लगाओ।

कवीर ने कहा था कि 'एक ही साथे सब सधे, सब साथे सब जाय'। अनेक मसले हल करने की प्रवृत्ति हम जारी रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। यदि एक ही चीज पर ध्यानस्थ होकर हम सब लग जायेंगे तो अच्छा होगा। भगवान ने हम सबको अनेक मस्तक दिये हैं। सब में अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने विचार होते हैं। परंतु सबको हृदय एक ही प्रकार का दिया है। इसलिए सबका हृदय इस काम में लग जाय, यह बाबा की प्रार्थना आपके लिए है।

दोनों हाथ लड्डू

गाय की रक्षा तो भगवान ही करेगा। इसलिए बाबा गोरक्षा की बात बोलता नहीं, गोसेवा की बात बोलता है। जितनी अपने से हो सकती है गाय की सेवा करना और उसके लिए जरूरत पड़े तो आत्माहुती देना।

अपने यहाँ गौतम बुद्ध हो गये। गौतम बुद्ध यानी क्या? वैलोवा। जैनोंके पहले तीर्थंकर ऋषभ-देव थे यानी वैल। तो जैन और बौद्ध धर्म में भी वैलोवा आ गया। बाबा तो वैलोवा है ही। बाबा के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर बाबा के प्रयत्नों से गाय बची तो बाबा को खुशी होगी; और गाय को बचाने के लिए बाबा को बलिदान करने का मौका आये तो भी बाबा को आनंद ही होगा।

जैनों का उत्तम ग्रंथ है समणसुत्तं। उस ग्रंथ में लिखा है कि विशेष कारणोंसे 'संधारा' करना पड़े, मर मिटना पड़े, तो मरना चाहिए। महावीर से बाबा पूछे कि गाय के लिए मर मिटूँ तो क्या आपकी सम्मति है, तो वे कहेंगे अवश्य है। वैसे तो हम चाहते हैं कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए, पर इसका आरंभ गाय से करो।

गाय भगवान का कृपा-प्रसाद

बाबा से पूछा जाय कि बाबा बड़ा कि गाय, तो बाबा कहेगा गाय बड़ी है। बाबा को अपनी माँ का दूध नौ महीने तक मिला होगा, लेकिन ८३ सालों से बाबा का शरीर केवल गाय के दूध पर ही चल रहा है। वह अगर नहीं मिलता तो बाबा के शरीर में और चित्तमें कुछ भी शक्ति नहीं रहती।

मैंने कई बार कहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति में गाय के लिए बड़ा आदर है। बाबा ने कुरान शरीफ और ख्रिस्तीधर्म का सार निकाला है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि गाय का दूध पियो। गाय आपके लिए भगवान का कृपा-प्रसाद है। सेंट पॉल का वाक्य

है, “मांस खाऊँ तो वेहतर नहीं बन सकता, और मांस खाना छोड़ूँ तो खराब नहीं बन सकता, लेकिन मेरे मांस खाने से पड़ोसी भाई को सदमा पहुँचता हो तो मुझे जिन्दगीभर, कायम के लिए, मांस छोड़ना चाहिए।” यह सब समझने की बात है। ईसामसीह का जन्म गोशाला में हुआ। हमारी संस्कृति में गाय के लिए ‘गो’ शब्द है। अंग्रेजी में उसको ‘काऊ’ बनाया गया। जापान में ‘ग्यु’ बना। इंग्लैंड से जापान तक गाय की संस्कृति फैल गई।

सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा में बंदी हो

आप जानते हैं कि जमनालालजी आखिर में गाय की सेवा करते करते गये। उनकी मृत्यु को ३६ साल हो गये, फिर भी अगर हम गोहत्या नहीं रोक सकते हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत खेद की बात होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मर्यादा में बंगाल और केरल में कानून बन जाते हैं, तो बाबा को उपवास करने की बात नहीं रहेगी। अभी उपवास के बीच काफी समय है। उतने समय में हमारे कार्यकर्ता और उनके साथी आचार, प्रचार, संचार इत्यादि करके गोहत्या रोकने में समर्थ साबित हो सकते हैं।

हमारी मृत्यु कब होनेवाली है यह कौन कह सकता है? इस वास्ते जल्द से जल्द जितना हम प्रयास कर सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए।

प्रश्न : जहाँ गोहत्या-बंदी कानून हो गया है वहाँ भी गोहत्या हो रही है। इसलिए क्या करना होगा ?

विनोबा : जहाँ गाय कटती है वहाँ सत्याग्रह करना होगा। कानून के अमल के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी और लोगों को समझाना होगा।

प्रश्न : गोहत्या-बंदी के काम में बहनें किस प्रकार अपना योगदान दे सकती हैं ?

विनोबा : पुराने जमाने में महावीर ने पुरुषों को जितनी दीक्षा दी उससे बहनों को ज्यादा दीक्षा दी थी। गांधीजी ने भी बहनों से

बहुत काम करवाया। शराब की दुकान पर पिकेटींग करना हो तो वहनों को ही भेजते थे। गांधीजी ने प्रयोग कर दिखाया कि पिकेटींग में वहनों का ज्यादा असर पड़ता है। वहनों की शक्ति खड़ी हो सकती है। कर्नाटक में गोहत्या-बंदी है, परंतु वहाँ से गायें कटने के लिए केरल जाती हैं तो वहनों को वहाँ जाकर पिकेटींग करना चाहिए।

(ग्राम स्वराज्य सम्मेलन, पवनार, ता० २५, २६, २७ दिसम्बर, १९७८)

गोहत्याबंदी के लिए सत्याग्रह का आवाहन

[बिनोबा]

जागतिक दृष्टि से मानव प्रकृति का शोषक नहीं हो सकता। वह उसका एक अविच्छिन्न अंग है, इस तथ्य को स्वीकार कर के कृषि प्रधान भारतीय संस्कृति द्वारा हजारों वर्षों से किये गये प्रयोगों के परिणामस्वरूप भारत ने गोवंश को अपने परिवार में स्थान दिया। पशु और मानव के संबंधों की पारस्परिकता की यह एक सर्वोत्कृष्ट मिसाल है।

भारतीय अर्थशास्त्र में भी गाय का स्थान सर्वोपरि है। ग्रामीण अर्थरचना का वह केंद्र-बिंदु है। भारत की साठ करोड़ जनता को पोषण देने की शक्ति कृषि गोपालन में ही है। अन्न खेती से मिलता है। खेती बैलों पर निर्भर है। गाय बैल की माता है। गोबर से सेंद्रीय खाद मिलता है, जो हमारी भूमि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा के लिए गोबर गैस-प्लांट उत्कृष्ट साधन है।

गाय बिना किसी भेदभाव के सारे मानव-समाज की सेवा करती है। वैसे ही सभी लोग बिना किसी भेदभाव के गाय के दूध का सेवन करते हैं तथा उससे अन्य सेवा लेते हैं।

भारत के समाजवाद में यह माना गया है कि मानव-वंश के अंदर गोवंश का समावेश करें और जिस गाय के दूध पर हमारे बच्चे पलते हैं उसे कृतज्ञता के तौर पर रक्षा दें, उसकी सहज मौत आने दें।

अतः बाबा भारत की समस्त जनता को आवाहन करना चाहता है कि राष्ट्र-रक्षा के इस महान कार्य में हिंदू-मुस्लिम-ईसाई आदि सहित सभी धर्मवाले, सभी पक्ष, पंथ और फिरकेवाले सब प्रकार से सहयोग करें।

(१) बंगाल और केरल को छोड़कर सभी प्रदेशों में सुप्रीम-कोर्ट के निर्णय की मर्यादा में गोहत्या-बंदी कानून बने हैं। इसलिए भारत की सभी प्रदेश सरकारों को, एवं प्रदेश की जनता को और जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों, सांसद एवं विधानसभाओं के विधायकों को चाहिए कि वे अपने प्रदेशों से प. बंगाल और केरल में गाय-बैल जाने से रोक दें, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के प्रतिकूल गाय और उपयोगी बैलों का कतल होता है।

(२) रेल, ट्रक या अन्य किसी तरह से प्रदेश से बाहर कतल के लिए जानेवाले गोधन को रोकने के लिए व्यापक रूप से सत्याग्रह करना पड़े तो वह किया जाय।

(३) जिन प्रदेशों के कतलखानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाहर गाय और उपयोगी बैलों का कतल होता है उन सभी कतलखानों पर सत्याग्रह करके गाय, बैलों को कतल से बचाया जाय।

(४) स्थानीय समिति के मार्गदर्शन में अनुशासनवद्ध तथा शांतिपूर्वक सत्याग्रह हो।

२१ अप्रैल, १९७९ तक प. बंगाल और केरल में अन्य प्रदेशों की तरह गोहत्याबंदी कानून नहीं बनते हैं, तो २२ अप्रैल से बाबा का आमरण अनशन का निश्चय कायम है। इसमें बाबा की मृत्यु हुई और गाय बची तो अच्छा है; मृत्यु हुई और गाय नहीं बची

तो भी बाबा परमेश्वर का स्मरण करके आनंदपूर्वक जाएगा। बाबा ने अपना कर्त्तव्य कर लिया। गाय को बचाना तो ईश्वर की कृपा पर निर्भर है।

१३-३-१९७९

आरब्धम् जय जगत्

[बिनोबा]

बाबा को खास कुछ कहने का बाकी नहीं रहता है। सिर्फ एक छोटी-सी बात आपके सामने आज बाबा रखता है। बाबा उपवास करेगा, इस वास्ते दूसरा कोई उपवास न करे। एक दिन का प्रतीकात्मक उपवास कर सकते हैं। इससे आगे जगह-जगह जाना है और काम करना है। वह कर सकते हैं।

गोरक्षा तो भगवान करेंगे। बाबा गोसेवा करेगा। जिस गाय का दूध वचपन से आज तक हम पीते आये हैं, उसकी रक्षा तो भगवान करेंगे। उसकी सेवा हम करेंगे।

बाबा अंतिम समय तक आशा करता है पूर्ण सफलता की। बाकी भगवान की इच्छा।

बाबा आशा रखता है कि भारतभर के सभी प्रांतों को, सब लोगों को, सब सेवकों को गोसेवा की प्रेरणा मिलेगी।

अब बाबा हमेशा के मुताबिक 'समाप्तम् जय जगत्' नहीं कहेगा; 'आरब्धम् जय जगत्' कहेगा।

(गोहत्याबन्दी हेतु ता० २२-४-७९ को अनशन प्रारंभ करते हुए)

PRIME MINISTER'S STATEMENT IN LOKSABHA

The Home Minister made a Statement the other day in the House about Acharya Vinoba Bhave's fast. The latest reports that have reached us would indicate that Acharya's condition is fast becoming unsatisfactory. We have already explained the efforts we have been making to find a satisfactory way out. It has been suggested to us that we should also consider legislative proposals to suitably transfer the entry regarding preservation, protection and the improvement of stock from the State list to the Concurrent list. Leading Sarvodaya workers have conveyed it to us that the Congress (I) party as well as the Congress party in Parliament will extend their whole-hearted support to a proposal for amending the Constitution in this behalf. We shall therefore bring forward an appropriate bill to amend the Constitution during the current session itself and subsequently introduce the necessary legislation in this behalf. We hope that all the parties will extend their support to ensure speedy passage of the constitutional amendment and the legislation in the two houses. Such a constitutional amendment will not only require the support of the two-third majority in the two houses of Parliament but also ratification by legislatures of not less than one-half of the States. With the co-operation of all the parties it may be possible to complete the entire process at the earliest by March 1980.

New Delhi

26-4-79

उपवास छोड़ने के लिए निवेदन

आदरणीय बाबा,

प्रधानमंत्रीजी ने संसद में जो वक्तव्य दिया है उसका संक्षिप्त विवरण साथ में संलग्न है। मैंने भी समाचारपत्रों के लिए एक वक्तव्य तैयार किया है, इस आशय और विश्वास से कि आप हमारा आग्रह स्वीकार करेंगे। आदरणीय दादा, पाटोलजी और राधा-कृष्णजी की भी सहमति है। आपकी सेवाएं राष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। हमारा आपको सादर अभिवादन।

पवनार आश्रम

२६-४-१९७९

चंद्रशेखर

अध्यक्ष, जनता पार्टी

उपवास समाप्ति पर बाबा द्वारा धन्यवाद

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गाय को पूरा रक्षण मिलना चाहिए और बैल को १५ साल तक रक्षण मिलना चाहिए। बाबा तो चाहता है कि बैल को भी पूरा रक्षण मिले। लेकिन वह अनशन का विषय नहीं हो सकता। उसके लिए प्रचार करना होगा। अनशन कम से कम चीज के लिए होता है। तो कम से कम मांग यह थी कि गाय को पूरा रक्षण मिले और बैल को १५ साल तक रक्षण मिले। यह काम मोरारजीभाई ने किया है, इसलिए उनको धन्यवाद।

२६-४-१९७९

विनोबा

रामहरि

गायें रोकने का कार्यक्रम चले

[विनोबा]

आप लोग जानते हैं वावा ने गोहत्या-बंदी के लिए आमरण अनशन जाहिर किया था। लेकिन प्रधानमंत्री और कांग्रेसवालों से मुझे आश्वासन मिला कि सारे भारत में गोहत्या-बंदी हो इसके लिए वे पूरा प्रयत्न करेंगे। आप जानते हैं वावा ने कई दफा कहा है, श्वास का जो स्थान शरीर में है, वह स्थान विश्वास का समाज में है। विश्वास समाज का प्राण है। जब मुझे आश्वासन दिया गया प्रधान-मंत्री और कांग्रेसवालों की ओर से, तो मैंने विश्वास रखा, परिणामस्वरूप मेरा अनशन पाँच दिन में पूरा हुआ।

अभी कर्नाटक स्टेट ने कानून किया है कि अपने स्टेट के पशु प्रदेश के बाहर जाकर न कटें। तमिलनाडुवाले भी कानून करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेशवाले तथा अन्य प्रदेशों की सरकारें भी कानून बनायेंगी, ताकि वहाँ के पशु बाहर जाकर न कटें। हमारे साथी जो जगह-जगह काम करते थे, सबने खूब काम किया, जान की बाजी लगायी और वावा का उपवास छूटा। वे यहाँ वापस आ गये। उन्हें अपने-अपने प्रदेशों में गायों को रोकना चाहिए, ताकि वे बंगाल या केरल में जाकर न कटें। अखिल भारत के कार्यकर्ताओं को वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गायों को रोकने का काम स्थायी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। इसमें व्यापारियों की मदद मिल सकती है। व्यापारियों की मदद और कार्यकर्ताओं की प्रेरणा मिलकर जगह-जगह गोसदन, गोबर गैस-प्लान्ट खड़े कर सकते हैं। पवनार में पाँच हजार लोकसंख्या है और वहाँ ६ गोबर गैस-प्लान्ट्स हैं। आप जानते हैं अरब राष्ट्रों ने तैलास्त्र का प्रयोग किया और उसका परिणाम जापान से लेकर इंग्लैंड तक हुआ। लेकिन अगर हम गोबर गैस-प्लान्ट खड़े करते हैं तो आपके घर की रसोई भी

पकेगी और प्रकाश भी मिलेगा। हमें गो-सदन खड़े करने होंगे। रचनात्मक काम करना होगा। बल्कि रचनात्मक काम से ही हमारा आंदोलन पूरा हो सकता है। गांधीजीने कई बार कहा है रचनात्मक काम हमारे पूरे कार्यक्रम का मूल है। गांव-गांव में ग्रामस्वावलंबन हो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। गांव की समस्याएं गांव-वाले मिलकर सुलझाये, पूरा गांव एक परिवार बने, परिवार के तौर पर ग्राम अपनी समस्याएं हल करे। बाबा हमेशा कहता है एक ओर जय-ग्रामदान, दूसरी ओर जय-जगत्। जय-भारत या जय-हिंद नहीं बोलता।

सर्वोदय की प्रकाश-किरण फैलाने के लिए

पदयात्राओं का आयोजन हो

[बिनोबा]

दुनिया में आज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान समाज-रचना, जो कि अपनी ही उलझन में पड़ी है, कायम रखकर कुछ हलचलें चल रही हैं। लेकिन विज्ञान-युग में आज की ये हलचलें निकम्मी साबित होनेवाली हैं। कुछ हलचलें ऐसी भी हैं, जिनमें एक छोटीसी आशा-किरण नजर आ रही है। वह है सर्वोदय की प्रकाश-किरण।

पक्ष-निरपेक्ष तथा राजनीति-निरपेक्ष रहकर सर्वोदय की विविध प्रवृत्तियों द्वारा जनता का अभिक्रम जगे और प्रचलित समाज-रचना की दुनियाद बदले, इस दिशा में हमारा प्रयास है। हर गांव एक कुटुंब जैसा बने और सारा विश्व "वसुधैव कुटुंबकम्" की भावना की ओर बढ़े, इसलिए 'जय-ग्रामदान' और 'जय-जगत्' ऐसा हमारा दोहरा आवाहन है।

ग्राम-स्वराज्य के द्वारा आज की समाज-रचना हम बदलना चाहते हैं। कृषि-गोपालन उसकी बुनियाद है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि उसने गोवंश को अपने कुटुंब में स्थान दिया। क्योंकि ग्रामीण अर्थ-रचना का वह केंद्र-बिंदु है। इसलिए बाबा ने जाहिर किया था कि भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिये। उसके लिए बाबा अपना प्राण अर्पण करेगा। ईश्वर की कृपा से भारत सरकार ने दुबारा आश्वासन दिया है कि भारत में गोहत्या-बंदी होगी। बाबा को विश्वास है कि भारत सरकार अपना वचन पूर्ण करेगी।

समाज की भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो, इस दृष्टि से सर्व-सेवा-संघ ने फिरोजपुर के अधिवेशन में ग्राम-स्वराज्य, सांस्कृतिक एकात्मता, लोक-शक्ति संगठन, गोरक्षा, शराब-बंदी, यह पंचविध कार्यक्रम तय किया है। वह कार्य श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और उसमें तन्मय होकर हमको करना है। गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना है। अंतिम व्यक्ति का प्रथम खयाल रखकर हर हाथ को काम तथा हर पेट को रोटी मिले ऐसी योजना गांव में बनानी है। उसे कार्यान्वित करने के लिए लोगों की वृत्ति तथा प्रवृत्ति प्रोत्साहित करनी है।

इस उद्देश्य से सुझाया है कि भारतभर में २ अक्टूबर से, गांधीजयंती के दिन से, कम से कम एक माह की पदयात्राओं का आयोजन किया जाय। बाबा को आशा है, हमारे सभी भाई-बहनें, रचनात्मक कार्यकर्ता, सर्वोदय-सेवक, गो-सेवक तथा अन्य साथी जनता के सहयोग से पदयात्राओं का आयोजन देश के हर जिले में करेंगे।

मूल निष्ठाओं पर संघ कायम रहे

[संदेश]

सर्व सेवा संघ अधिवेशन, फिरोजपुर के अवसर पर पू. जय-प्रकाशजी ने निम्न संदेश भेजा था —

सर्व सेवा संघ की जो मूल निष्ठाएं बाबा की राय से तय हुई हैं, उन पर संघ के सदस्यों को कायम रहना चाहिए। और उन निष्ठाओं के अनुरूप शिक्षा, खादी, गोसेवा, ग्रामोत्थान आदि क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार जनजीवन पर उन्हें अपना नैतिक प्रभाव बढ़ाना चाहिए। साथ ही कुछ प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए, जिसका शुभ परिणाम नजर आवे।

मैं अपनी हार्दिक शुभ कामनाएं संघ-अधिवेशन में शामिल होनेवाले साथियों को भेजता हूं।

पटना

१४-७-१९७९

जयप्रकाश नारायण

हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी,

हर मस्तक में चिन्तन-शक्ति

[लोकनायक एवं संत का संदेश]

हाल ही में प्रकाशित संत विनोबा का संदेश पढ़कर मन फूला नहीं समा रहा है। सर्वोदय के जीवन में आज का यह योग कपिला-षष्ठी का दुर्लभ योग माना जायगा। सर्व सेवा संघ अधिवेशन फिरोजपुर के मौके पर लोकनायक जयप्रकाशजी ने संदेश दिया था कि

“सर्वोदय की मूल निष्ठाएं वावा की राय से तय हुई हैं, उन पर संघ के सदस्यों को कायम रहना चाहिए और उन निष्ठाओं के अनुरूप शिक्षा, खादी, गोसेवा, ग्रामोत्थान आदि क्षेत्रों में (रचनात्मक) काम करना चाहिए।” वह मूल निष्ठा क्या है, जिसपर लोकनायक जयप्रकाशजी और संत विनोबा ने अपना जीवन समर्पण किया था। वह निष्ठा है ‘भूदानमूलक, ग्रामोद्योग प्रधान, अहिंसक क्रांति के लिए हमारा जीवन समर्पण।’ लोकनायक ने अपना जीवन संत को समर्पण किया था और संत ने अपना जीवन लोकनायक को समर्पण किया था। इस निष्ठा में भूदानमूलक यानी कृषि-गोपालन की बुनियाद, खादी ग्रामोद्योगों का मार्ग और अहिंसक क्रांति यानी अन्याय के प्रतिकार के लिए सत्याग्रह, इस प्रकार ग्रामोत्थान का संपूर्ण दिशादर्शन है।

वैसा ही दुर्लभ योग आज फिर से आया दीख रहा है। जीवन समर्पण के समय पहल लोकनायक ने की थी और इस समय भी संघ अधिवेशन को मूल निष्ठाओं पर कायम रहने की सलाह देकर पहल लोकनायक ने ही की है। संत विनोबा ने अपने संदेश में सम्मेलन के पंचविध कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हुए मूल निष्ठाओं पर चलने का रास्ता दिखाया है। संत के संदेश का सार यह है :

१. दुनिया की वर्तमान समाज-रचना राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों में आज उलझन में पड़ी है।
२. वर्तमान समाज-रचना को कायम रखते हुए कुछ हलचलें चली हैं, वे इस विज्ञान-युग में निकम्मी साबित होनेवाली हैं।
३. कुछ हलचलें ऐसी हैं जिनमें एक छोटी सी आशा की किरण नजर आ रही है, वह है सर्वोदय की प्रकाश-किरण।
४. पक्ष निरपेक्ष तथा राजनीति निरपेक्ष रहकर सर्वोदय की विविध प्रवृत्तियाँ चलाई जावें।
५. जनता का अभिक्रम जगाकर प्रचलित समाज-रचना की बुनियाद बदलने की दिशा में हमारे प्रयास हों।

६. हर गांव एक कुटुम्ब बने और सारे विश्व में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना फैले। इसलिए 'जय ग्रामदान' और 'जय जगत्' ऐसा दोहरा आवाहन मंत्र है।
७. आज की समाज-रचना ग्राम स्वराज्य द्वारा बदली जा सकती है।
८. ग्राम स्वराज्य की बुनियाद है कृषि-गोपालन। कृषि-गोपालन ग्राम अर्थरचना का केन्द्र-बिन्दु है। रीढ़ की हड्डी है।
९. भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसने गोवंश को अपने परिवार में स्थान दिया है।
१०. इन सारी बातों को देखते हुए बाबा ने जाहिर किया था कि भारत में गोहत्या बन्द होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यकता होगी तो बाबा अपना प्राण अर्पण करेगा।
११. ईश्वर की कृपा से भारत में गोहत्या-बंदी करने का आश्वासन भारत सरकार ने दुबारा दिया है। बाबा को विश्वास है कि भारत सरकार अपना वचन पूर्ण करेगी।
१२. सर्व सेवा संघ ने फिरोजपुर अधिवेशन में ग्रामस्वराज्य, सांस्कृतिक एकात्मता, लोकशक्ति संगठन, गोरक्षा और शराबबन्दी ये पंचविध कार्यक्रम तय किये हैं। उनका लक्ष्य समाज की भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करना है।
१३. बाबा ने इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हुए आदेश दिया है कि इसे श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और तन्मय होकर किया जाय।
१४. इस कार्यक्रम को गांव-गांव जाकर समझाना है, इसलिए देशभर में पदयात्राओं का आयोजन किया जाय।
१५. इन सारे प्रयासों का फलित यह हो कि अपने ही गांव में रहते हुए 'हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी मिले।' इसके लिए लोगों की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को प्रोत्साहित किया जाय।

पू० बाबा के इस छोटे से संदेश में न जाने और कितना मार्गदर्शन भरा है। प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋषि मंत्रद्रष्टा होते थे और लोकनायक उसके अमल का तंत्र देते थे। लेकिन यहाँ उलटा हुआ है। लोकनायक ने मंत्र दिया है और संत ने तंत्र। भूदान-ग्रामदान के समय भी ऐसा ही हुआ था। लोकनायक ने जीवन समर्पण का मंत्र दिया और संत ने उसपर से भूदान-ग्रामदान का भारी तंत्र खड़ा किया। हमें इस वास्तविकता को समझकर चलना चाहिए कि लोकनायक की आज जो मनःस्थिति और शारीरिक स्थिति है उस हालत में उनसे मंत्र के अलावा अधिक आशा न रखी जाय।

इस समय सर्व सेवा संघ के जीवन में फिर से दुर्लभ योग आया है। संघ अधिवेशन के पूर्व लोकनायक ने मंत्र दिया और अधिवेशन में निर्मित उसके पंचविध कार्यक्रमों को संत ने आशीर्वाद दिया, और साथ ही पूरा तंत्र भी दिया। इस दुर्लभ योग में ठाकुरदासजी बंग जैसे कर्मठ कार्यकर्ता का अध्यक्ष होना सोने में सुगंध माना जायगा। इनके जीवन का सूत्र रहा है पहले करें और फिर कहें। इनका पूरा परिवार सर्वोदय की सेवा में लगा है। ऐसा उदाहरण भारत में उड़ीसा के गोपबन्धु चौधरी परिवार के अलावा शायद ही मिले। बंग साहव की एक विशेषता यह भी है कि लोकनायक और बाबा दोनों पर उनकी पूरी निष्ठा है, दोनों के सहयोग से ही सर्व सेवा संघ की शक्ति पुनः प्राप्त हो सकेगी ऐसा उनका विश्वास है।

इस जगह लोकनायक का एक ताजा प्रसंग स्मरण हो आया। पटना में अभी १४ जुलाई को लोकनायक से मिलना हुआ तब मैंने कहा कि पू० बाबा सालभर वाहन-यात्रा करें ऐसा उन्हें सुझाने का मेरा मन है। लेकिन सर्व सेवा संघ यात्रा के बीच आनेवाले प्रदेशों के पूरे कार्यक्रमों की जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हो तब बाबा के सामने प्रस्ताव रखूँ। पू० जयप्रकाशजी एकदम बोल उठे कि सर्व सेवा संघ को यह जिम्मेवारी अवश्य उठानी चाहिए। यदि उठायेगा तो फिर से जीवित हो जावेगा। सहज भाव से निकले लोकनायक के

इस वचन में कितनी तीव्रता भरी है। पू० बाबा के प्रति उनकी कितनी आत्मीयता है। अभी ५ अगस्त को परित्राजिका राजम्मा वहन ने बाबा को रिपोर्ट देते हुए कहा कि मैंने जयप्रकाशजी से पूछा कि वर्धा जा रही हूँ, बाबा को कुछ कहना है क्या ? तो जबाब मिला कि बाबा से मेरा संवाद होता ही रहता है। बाबा तो सदा ही कहते आये हैं कि जपुजी (जयप्रकाशजी के लिए बाबा का प्रिय नाम) से मेरा संपर्क बराबर बना रहता है। लेकिन जपुजी से यह बात पहली ही बार सुनी है। संतों की महिमा संत ही जानें।

खुशी है कि बंग साहव ने बाबा-यात्रा की पूरी जिम्मेवारी उठाने की तैयारी दिखाई। बाबा के सामने बाहन-यात्रा का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन अभी तो वह बात दिसम्बर तक टल गई है। उसी में से बाबा ने दिसम्बर तक भारतभर में व्यापक पदयात्राओं का आयोजन करने की प्रेरणा दी है।

कार्यक्रम की गहराई में जाने के इस मौके पर १९५१ का एक ऐतिहासिक प्रसंग याद आ रहा है। पं० नेहरूजी ने प्रथम पंच-वर्षीय योजना बनाते समय बाबा को योजना आयोग की सलाह के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। बाबा उन दिनों पदयात्रा ही करते थे। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और पदयात्रा करते हुए एक महोत्सव बाद दिल्ली पहुँचे। राजघाट पर बाबा का निवास था। वहीं पंडितजी आयोग के सदस्यों के साथ बाबा से मिलने आये। संयोग से मैं भी बैठक में उपस्थित था। प्रथम पंडितजी ने योजनाओं की पूरी जानकारी दी और अंत में बाबा की राय पूछी। सभी उत्सुक थे कि बाबा क्या ठोस सुझाव देते हैं। बाबा ने सबको आश्चर्य-चकित कर दिया। २ मिनट में अपनी बात समाप्त की। पहली बात कही कि ५ साल में देश अनाज के बारे में स्वावलम्बी होना चाहिए। अन्न के बारे में दूसरे पर निर्भर रहनेवाला देश कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। दूसरी बात कही कि जो काम माँगे उसे काम दिया जाय। इन दो बातों के अलावा कुछ नहीं कहना है। जरूरत हो तो चरखा रख सकते हैं, नहीं तो जलाकर रोटी पका सकते हैं। सार यह है

कि इस ऐतिहासिक प्रसंग पर भी बाबा ने 'हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी' वाली बात ही कही थी। स्वराज्य के ३० वर्षों बाद भी वह बात पूरी नहीं हुई, इसलिए आज बाबा ने अपने संदेश में उसी बात को दोहराते हुए कहा है कि अंतिम व्यक्ति का प्रथम खयाल रखकर, 'हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी' मिले ऐसी योजना गांव-गांव में बनाई जाय।

इस मीके पर लोकनायक के मंत्र और संत के तंत्र का ध्यान रखते हुए हम कार्यकर्त्ताओं को तथा संयोजकों को अपने कार्य का निर्धारण करना चाहिए। हमारी पूरी शक्ति भूखे को पेट भर रोटी दिलाने में लगनी चाहिए। इस कार्य के लिए पदयात्राओं का आयोजन करना, गांववालों को समझाना, अंतिम लोगों का संगठन करना, 'फुड फॉर वर्क' आदि रोजी-रोटी देनेवाली सरकारी योजनाओं का सहयोग लेना आदि जितने भी तरीके हो सकते हैं, अपनाये जावें। सरकार से यह भी मांग कर सकते हैं कि जो उद्योग ग्रामों में लाखों-करोड़ों लोग कर सकते हों ऐसे केन्द्रित उद्योग समाप्त किये जावें।

हम देख रहे हैं कि आज केरल और बंगाल में सालाना २० लाख पशुओं का कतल हो रहा है। उनमें ९० फीसदी अच्छा पशुवन है, उसे बचाकर सरकार खरीद करे और इन गरीबों को पालने के लिए दे, तो हर साल १० लाख लोगों को काम मिल सकता है। और भी रास्ते ढूंढे जावें। अंतिम मार्ग यह हो कि धनपति और सत्ताधारियों के दरवाजे पर इन गरीबों को रोजी-रोटी देने के लिए सत्याग्रह किया जाय। लोकनायक और संत दोनों के संदेशों का यही सार समझ में आ रहा है और यही सर्वोदय की प्रकाश-किरण है, जिसका संकेत बाबा ने किया है।

राधाकृष्ण बजाज

गोहत्या एकदम बंद कर दी जाये

[प्लानिंग कमीशन को विनोबाजी की सलाह]

प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री रा० कृ० पाटील १० अगस्त, १९५१ को पहली पंचवर्षीय योजना के मसविदे पर विनोबाजी के विचार जानने के लिए आये थे। उनके समक्ष दी गई सलाह।

“आपकी योजना तो देश को सदा के लिए भिखारी बनाने-वाली है। अधिक उत्पादन के लिए वह किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती।”

विनोबा ने तो योजना-आयोग को एकदम चुनौती-सी दे दी कि “अगर आपके पास बड़े पैमाने पर उत्पादन करनेवाले कारखानों के साथ और भी कोई योजना या कार्यक्रम हो कि जिनकी मदद से जनता को पूरा-पूरा काम दे सकते हैं, तो मैं अपने चरखे को आग लगा दूंगा और उस पर एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। उस पर कम-से-कम एक दिन की रोटी तो पक ही जायगी। परंतु मुझे निश्चय है कि चरखा और ग्रामोद्योगों की मदद के बगैर भारत की आवादी को आप लाभदायक पूरा काम नहीं दे सकते। तेलंगाना के कम्युनिस्टों तक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है।”

विनोबा खाद्यान्नों के बारे में स्वावलंबन को राष्ट्र की सुरक्षा का अभिन्न अंग मानते रहे हैं। कल अगर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ जाये और अमरीका आवश्यक अनाज भेजना बंद कर दे तो भारत-सरकार क्या करेगी? अगर हम अन्न और कपड़े के बारे में स्वावलम्बी नहीं हैं तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं। अगर आप सच्चे दिल से अहिंसक शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो लोगों को अपने ही साधनों के बल पर स्वावलम्बी बनना सीखना होगा। यह बात हमारे दिमाग में दिन की तरह साफ होनी चाहिए।

गोरक्षा के बारे में विनोबा ने कहा, “भारत में आप गोवध का खयाल भी नहीं कर सकते। योजना-कमीशन में यह साफ-साफ कहने की हिम्मत नहीं है कि जितने भी बेकार पशु हैं, उनका कत्ल कर दिया जाये। फिर भी पशु-पालन के जितने भी कार्यक्रम बनाये गये हैं, वे सब अप्रत्यक्ष रूप से उसी नतीजे पर पहुँचाते हैं। हमको पशु-हत्या को एकदम बंद कर देने की योजना बनानी चाहिए। देश के विभिन्न भागों में गोसदन कायम कर दिये जायें और देश में जितने भी कमजोर तथा बेकार पशु हैं उनको वहाँ रख दिया जाये तथा उनके मल-मूत्र, चमड़ा और हड्डियों का उपयोग किया जाये। मैं तो मुसलमानों की तरफ से भी यह आश्वासन दे सकता हूँ कि गोवध-बंदी में वे बाधक नहीं होंगे।”

(‘ऋषि विनोबा’ पुस्तक से)

ग्रामीण अर्थरचना का बुनियादी पहलू

[जयप्रकाश नारायण]

परस्पर विरोधी धार्मिक भावनाओं के कारण मामला कुछ पेचीदा हो सकता है। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म की यह हिदायत नहीं है कि उसको धार्मिक विधि या पूजा के लिए गाय की कुरबानी करनी ही चाहिए। इसलिए अगर गोहत्या कानून से बंद की जाये तो उससे किसी भी समूह की धार्मिक भावनाओं या संवेदनाओं को चोट लगने की कोई संभावना नहीं है।

क्या कोई यह दलील भी पेश कर सकता है कि गोहत्या-बंदी किसी मानवीय मूल्य के खिलाफ है। दरअसल बात बिलकुल उलटी है। गोहत्या-बंदी अपने आप में एक बहुत बड़े मानवीय मूल्य का प्रतिपादन है। गाय के विषय में हिंदुओं में जो धारणा है, वह किसी दुराग्रह, अंधश्रद्धा या जिनमें मानव-विज्ञानवेत्ताओं ने आदिम अवस्था के परहेज बताये हैं, उनकी वजह से नहीं बनी है। भारतीय

सम्यक्ता की प्रारंभिक अवस्थाओं में ब्राह्मण और ऋषि भी गोमांस भक्षण करते थे, इसके काफी सबूत पाये जाते हैं। धीरे-धीरे मनुष्य की वृत्ति विशद होती गई। इस प्रक्रियाके फलस्वरूप हमारे पूर्वज अहिंसा के महान सिद्धांत पर पहुँचे। उसे उन्होंने केवल मनुष्यों के लिए ही लागू नहीं किया, बल्कि सारे जीव-जगत् के लिए लागू किया। मानवीय आत्मा के जीवमात्र के साथ तादात्म्य की यह महान प्रक्रिया थी। जिसकी किसी भी प्रकार से हिंसा न की जाये, ऐसे प्राणी के नाते गाय को चुना गया, यह मेरी समझ में मनुष्य की मनोवृत्ति के विकास का और भूतमात्र के साथ मानवात्मा के तादात्म्य का द्योतक है। सर्व साधारण लोगों के व्यवहार में यह उदात्त सिद्धांत एक निर्वुद्ध खूबी में भले ही बदल गया हो, लेकिन उसकी सबव से किसी बुद्धिमान व्यक्ति को एक महान् विचार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।

इस मानवीय और नैतिक पहलू के अलावा, गोरक्षण का आर्थिक पहलू भी बहुत बड़ा और अनिवार्य महत्त्व रखता है। इस संबंध में भी अत्यंत नम्रतापूर्वक मुझे कहना चाहिए कि हमारे देश का तथाकथित सुबुद्ध और अर्वाचीन लोकमत छिछला है। गाय और उसकी संतान, उसका मल-मूत्र और मरने के बाद उसका कलेवर हमारे कृषिसंबंधी तथा ग्रामीण अर्थशास्त्र का अविभाज्य अंग है। जो लोग यंत्रीकृत 'फार्मों' के और तथाकथित वैज्ञानिक पद्धतियों के सपने देखते हैं, वे एक अवास्तविक संसार में रहते हैं, जिनका भारत की परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। हमारी कृषिसंबंधी और ग्रामीण अर्थरचना का भविष्य गाय तथा बैल पर जितना निर्भर है, उतना शायद सिचाई को छोड़ कर और किसी साधन पर निर्भर नहीं है। इन आर्थिक पहलुओं के कारण भी गाय का रक्षण करना और पशुओं की उन्नति करना परम विवेकयुक्त दायित्व हो जाता है। गाय के रक्षण और गोवंश की उन्नति का प्रश्न गोहत्या-वन्दी के साथ शुरू और समाप्त नहीं हो जाता, यह सच है। सरकार को और जनता को उसके लिए दूसरी कई बातें करनी होंगी। लेकिन इससे

इनकार नहीं किया जा सकता कि गोवध-बंदी इस समस्या को हल करने का एक आवश्यक उपाय है। इस समस्या के दूसरे पहलू पेश करके इस सीधे प्रश्न को टालना उचित नहीं है।

विश्व संस्कृति का प्रतीक : गाय

[आचार्य दादा धर्माधिकारी]

हमारे देश में अधिकांश लोग गाय को माता माननेवाले हैं, फिर भी गोहत्या की समस्या क्यों पैदा होती है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन उसे खोजना होगा। हमारे यहां के मनुष्य का दोहरा और द्विधा व्यक्तित्व है। उसके सिद्धांत और व्यवहार में प्रायः कभी अनुबंध नहीं रहा। अपने सिद्धांतों की ऐसी कौनसी चीज है जिसको हमने अपने जीवन में पोसा हो? गाय को माता माना और माताको देवता माना, लेकिन व्यवहार में माता को मनुष्य भी नहीं माना। उसी प्रकार गाय को देवता और माता माना, लेकिन जीवधारी नहीं माना। हमारे देवता भी बाजार में विकते हैं, गाय भी बाजार में विकती है। गाय को पशु माना और पशु को अपनी संपत्ति माना। पुराने जमाने में गायें दान में दी जाती थीं। गोधन संपत्ति माना जाता था। पांडवों के अज्ञातवास के समय कौरव विराट का गोधन हरने गये थे। इस प्रकार गाय के प्रति हमारी भावना और व्यवहार में विरोध रहा है।

संस्कृति वैश्विक ही हो सकती है

मेरा आपसे निवेदन है कि गाय को आप मानवैतर प्राणियों की प्रतिनिधि के रूप में देखिए। संस्कृति का परम मूल्य जीवन है, जीवन का विकास इसकी व्यापकता में है। गोहत्या-बंदीकी समस्या सांप्रदायिक नहीं है, सांस्कृतिक है। संस्कृति सांप्रदायिक नहीं हो सकती। उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न हो सकती हैं। संस्कृति को हमने

वरवस पश्चिम और पूर्व में बांट दिया है। वास्तव में संस्कृति वैश्विक ही हो सकती है। इस वैश्विक संस्कृति की व्यापकता का गाय प्रतीक है। हनुमानजी जब सीताजी की खोज में गये, तो निशानी के लिए रामचंद्रजी की धंगूठी लेकर गये। यह रामचंद्रजी की सह-दांनी या पहचान चिह्न थी। गाय मानवैतर प्राणियों के लिए हमारी आत्मीयता की अभिज्ञा है। मानवीय करुणा की वह प्रतीक है। गांधी कोई कवि नहीं था, लेकिन उसके करुणामृतने उसकी वाणी से काव्य प्रकट किया। उसने कहा, 'To me the cow is a poem of pity.' मेरे लिए तो गाय करुणा को कविता है। ईश्वर ने करुणा पर कविता लिखना चाहा और गाय का निर्माण किया। गाय के विषय में हमारी भावना का यह सांस्कृतिक पक्ष है। संविधान परिषद में गोहत्या-बंदी का जब प्रस्ताव आया, तो किसी भी गैरहिंदू ने इसका विरोध नहीं किया। क्योंकि इस प्रश्न की भूमिका व्यापक है। आश्चर्य तो यह है कि संविधान परिषद में जिन इने-गिने लोगों ने विरोध किया वे गाय को माता माननेवाले समाज के थे।

लोकसंमति का अधिष्ठान चाहिये

जिस दिन मनुष्यने यह निर्णय किया कि वह एक मनुष्येतर प्राणी को अव्यय मानेगा, उस दिन उसने सांस्कृतिक प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने ऐसा पशु चुना जो उपयोगी ही नहीं, अपितु सम्य और निरुपद्रवी है। मनुष्य की हत्या के विषय में तो कुछ अपवाद भी माने गये, परंतु गोहत्या के बारे में कोई अपवाद नहीं माना गया। केवल एक बछड़े का अपवाद हुआ, जिसे गांधी ने करुणा से ही प्रेरित होकर मरण-दान दिया। लेकिन उस घटना को लेकर भी कितना विरोध और शोर-शरावा हुआ, सो आप सब जानते हैं। गोहत्या-बंदी का कानून आवश्यक है, अपरिहार्य भी है। परंतु पर्याप्त नहीं है। कानून का अमल लोगोंकी संमति और सहयोग पर निर्भर है। इसलिए कानून के पीछे लोकमत का अधिष्ठान चाहिये।

दृष्टि वैज्ञानिक चाहिये

गोहत्या-बंदी का प्रश्न उठाते ही लोग बौद्धिकता और वैज्ञानिकता का आक्षेप करते हैं। वे कहते हैं कि गोहत्या-बंदीवाले लोग तो हमें वैलगाड़ी के जमाने तक पीछे ले जाना चाहते हैं। वैलगाड़ी भी अवैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन आधुनिकतम नहीं है। फिर भी मान लीजिए कि वैलगाड़ी पिछड़े हुए जमाने की प्रतीक है, इसलिए अवैज्ञानिक है। लेकिन क्या वैल भी अवैज्ञानिक है? मोटर वैज्ञानिक है, तो क्या वैल वैज्ञानिक नहीं है? तब तो कहना होगा कि जड़ और निर्जीव चीजें ही वैज्ञानिक हैं और जीव अवैज्ञानिक है। आंख अवैज्ञानिक है, चश्मा वैज्ञानिक है। क्या इस तर्क में कोई तथ्य है? आप वैलगाड़ी को आधुनिकतम रूप दीजिए, लेकिन भेहरवानी करके वैल को खारिज न कीजिए।

आर्थिक संयोजन में बैठाया जाय

इस समस्या का व्यावहारिक पक्ष भी विचारणीय है। कुछ आर्थिक विवशताएं होती हैं। गाय को जो गरीब बेचता है उसकी विवशता है। मैं उसे दोग नहीं देता। आर्थिक विवशताओं को अब तक कोई नहीं जीत सका। बुद्ध और महावीर भी बकरे को नहीं बचा सके। तब धार्मिक पुरुषोंने एक बड़ी अजीब युक्ति निकाली। उसे यज्ञ में बलिदान का पशु बना दिया और यह भी कहा कि बलिदान का पशु मुक्त हो जाता है। बौद्ध और जैनोंने आक्षेप किया कि फिर इस मुक्ति का लाभ अपने कुटुम्बियों को क्यों नहीं दिलाते? परंतु यह तो युक्तिवाद हुआ। वास्तविकता यह है कि जिस पशु का हमारे आर्थिक संयोजन में स्थान न हो, उसे विधाता भी नहीं बचा सकता। गाय को इसलिए हमारे आर्थिक संयोजन में और उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया।

गाय को बचाने के लिए वैल को बचाना आवश्यक

संविधान परिषद के आरंभ में भारत के एक प्रसिद्ध पूंजीपतिने दिल्ली में अपने घर संविधान परिषद् के सदस्यों को चाय पर बलाया

और वहाँ उन्हें यह धमकी दी कि अगर आप लोग संविधान में गोहत्या-बंदी का प्रावधान नहीं करेंगे तो मैं अपनी पत्नियों के साथ आमरण उपवास करूँगा। दूसरे सारे सदस्य तो सहम गये, लेकिन सिधवा साहब ने कहा कि हम तो प्रावधान कर देंगे। लेकिन आप गाय को मारने की योजनाएँ लगातार बनाते रहेंगे, बैल का स्थान लेनेवाले यंत्रों का उपयोग आप बेतहाशा करते जायेंगे और कानून के लिए उपवास करेंगे। सच तो यह है कि इस देश के बहुत से पूँजोपति और बड़े मालिक गाय को बचाना नहीं चाहते। बैल बेकार होता चला जाये तो गाय नहीं बचायी जा सकती। इसमें अवैज्ञानिकता कहां है? और अगर विज्ञान महान है तो क्या मनुष्य उससे भी महान नहीं है? विज्ञान का उपयोग जीवन के संहार के लिए नहीं, विकास के लिए होना चाहिये।

पशु सृष्टि के साथ संबंध

यंत्र विज्ञान की उपज है, लेकिन यंत्र अपने में विज्ञान नहीं है। हमसे पूछते हैं कि तुम विज्ञान के पक्ष में हो या विरोध में? हमारा निवेदन है कि जीवन के विकास में अगर यंत्र सहायक हो तो हम उसका स्वागत और सत्कार करेंगे। लेकिन अगर यंत्र जीव की जगह लेने लगे, उसको विस्थापित करने लगे, तो हम उसे अभिशाप मानेंगे। हमारा जीवन दिन पर दिन क्षीण हो रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, जीवन क्षीण हो रहा है। घोंड़ा गया, ऊंट जा रहा है, हाथी केवल शोभा के लिए रह गया है, परंतु अन्य जीवों के साथ जीने की मनुष्य की आकांक्षा अदम्य है। पश्चिम में जहां कोई उपयोगी जानवर जीवन में नहीं रह गया है, वहां अब लोग मगर, घड़ियाल, गिरगिट और छिपकली को भी पालने लगे हैं। मनुष्य का यह गौरव है कि वह अन्य प्राणियों के साथ आत्मीयता खोजता है। उस खोज का फल गाय है। मनुष्य शिकारी जीवन से जब खेतीहर बना, तो पशु के साथ इस रिश्तेदारी का आरंभ हुआ। नातेदारी ही जीवन है।

यंत्र और सजीव प्राणी का भेद समझें

यह सांस्कृतिक प्रक्रिया वैज्ञानिक भी है। पहला चरण था कि पोषण की प्रक्रिया में गाय को शामिल किया और उत्पादन की प्रक्रिया में बैल को। उपयोगिता का ही विचार करें, तो भी गोहत्या-बंदी आवश्यक मालूम होगी। वीर सावरकर हिंदुत्व के आचार्य थे। वे गाय को उपयोगी पशु ही मानते थे। इस प्रकार हम भी यदि गाय को उपयोगी पशु मानते हैं तो बैल का दहिष्कार नहीं कर सकते। बैल कभी यंत्र की जगह नहीं ले सकता। हमारी मांग इतनी ही है कि यंत्र बैल का स्थान न ले। पशु फिर से मानवीय जीवन में दाखिल होना चाहिए। आज का रवैया चलता रहा तो वह दिन आवेगा, जब हमारे जीवन में पशु के लिए कोई भूमिका नहीं रह जायेगी। और आगे चल कर मनुष्य की भी कोई भूमिका नहीं रह जायेगी। लेकिन याद रहे, मनुष्य की जगह कम्प्यूटर या रोबोट नहीं ले सकेगा। रोबोट और कम्प्यूटर विगड़ सकते हैं, लेकिन गलती नहीं कर सकते। मनुष्य गलती कर सकता है और उसे सुधार भी सकता है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति उसकी विशिष्ट शक्ति है। इसलिए मनुष्य पागल भी हो सकता है और विभूतिमत्त्व को भी पा सकता है। उसकी अस्मिता क्षितिजव्यापी हो सकती है, अखिल विश्व के साथ उसका तादात्म्य हो सकता है।

सांस्कृतिक समस्याओं को राजनैतिक रूप न दें

हमने राजनीति के मोह से इस समस्या को हिन्दू-मुसलमान समस्या बना लिया है। इस देश में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य धर्मीय गोमांस खाते हैं। कुछ आदिवासी जमातें भी गोमांस खाती हैं। लेकिन हमने केवल मुसलमानों को ही अपने सामने रखा है। आश्चर्य तो यह है कि गोहत्या को मस्जिद के सामने बाजे के मुकाबले में रखा गया और अकसर सौदा यह रहा कि हम बाजे नहीं बजायेंगे और तुम गाय मत काटना। एक सांस्कृतिक समस्या को इस हीन स्तर पर गिरा दिया गया।

नानवीय दृष्टि से गाय भूतमात्र से मनुष्य की आत्मीयता का प्रतीक है। हम उसे भैंस के मुकाबले भी रखने में नहीं हिचकते। रवि ठाकुर ने अपने 'घरे-बाहिरे' नामक उपन्यास में एक प्रसंग के संदर्भ में इसका बहुत हृदयंगम विवेचन किया है। उनका आशय यह है कि गोरक्षण का मतलब अगर महिष भक्षण हो जायेगा, तो इसका सांस्कृतिक आशय ही नष्ट हो जायेगा। इस दृष्टि से हमें इस समस्या का समाधान लोगों के प्रयत्नों से ही करना होगा। सरकार सहायक हो सकती है, कानून भी मददगार हो सकता है, परंतु मुख्य भूमिका लोगों की ही होनी चाहिए, अन्यथा समस्या हल नहीं होगी।

(गोरक्षा संमेलन, कलकत्ता के भाषण से, २७-८-७८)

गोरक्षा को सार्वभौम बनावें

[फाका कालेलकर]

गोरक्षा केवल हिंदुओं का ही धर्म नहीं है, मानव मात्र के सब धर्मों का यह सवाल है। मनुष्य जाति के आहार में दूध का महत्त्व बढ़ता ही जाता है। भारत में हम लोगों ने गाय के ऊपर पूरा आधार न रखते हुए भैंस के दूध की सतृलियत ढूँढ़ निकाली है। बाकी की दुनिया का ऐसा नहीं है। दुनियाभर के मानव दूध के लिए गाय का ही आधार लेते हैं। उनमें दया-धर्म का पूरा उदय न हुआ तो भी स्वार्थ की बुद्धिमान्नी उनके पास हमसे कई गुना अधिक है। गाय की नस्ल सुधारना, गाय का दूध बढ़ाना, गाय के बछड़े को मजबूत और सशक्त बनाना, मवेशी के रोगों से गाय-बैल को मुक्त रखना और जब तक गाय सेवा देती है, उसे प्रसन्न रखना यह सब हमारे जैसे गोरक्षकों को अपना सारा अभिमान छोड़कर पश्चिम के गोमक्षकों से ही सीखना होगा।

वेदकाल से हम गोरक्षा की बातें सोचते आये हैं। वेद में गो को अघ्न्या कहा है। इसका प्रचार हम दिन-रात करते आये हैं। 'माता वसुनाम्' इत्यादि श्लोक हम कंठ करते हैं, लेकिन महा-

भारत पड़ते और धर्मग्रंथ ढूँढ़ते हम कह नहीं सकते कि भारत में पठान-मुगलों का राज्य शुरू हुआ तब तक इस देश में गाय की हत्या कभी होती ही नहीं थी। मुसलमानों को और ईसाई लोगों को गाय के शत्रु कहने के पहले हमें अपने आयों का इतिहास भी जरा देखना होगा। इसलिए नहीं कि हमारा गोरक्षा का उत्साह कम हो, लेकिन इसलिए कि हमारे इतिहास से हम ढूँढ़ लें कि गोभक्षक प्रजा को गोरक्षक बनाने के लिए हमारे पुरखों को किस तरह का धर्म-प्रचार करना पड़ा और हमें उसमें किस तरह की, कितनी और कैसी सफलता मिली।

जो हो, अब भारत में न विदेशियों का राज्य है, न विधर्मियों का राज्य। अब तो भारत में स्वराज्य यानी प्रजाराज्य है। अब हम शांति से, बिना किसी रोकटोक के विज्ञान की पूरी मदद लेकर गो-हित की बातें सोच सकते हैं और उस नीति को अमल में ला सकते हैं।

गो-हत्या-प्रतिबंधक कानून पास करने मात्र से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता। पशु-सृष्टि के प्रति धर्मतः हमारा क्या और कितना कर्तव्य है यही हमें प्रथम सोचना चाहिये। यह विचार केवल भारत की हालत का अध्ययन करके नहीं, किन्तु समस्त मानवजाति में धर्मबुद्धि का उदय आज कितना हो सकता है, यह पहले सोचना चाहिये।

मनुष्यमात्र के हृदय में धर्मोदय हो सकता है। दुनिया में एक भी जाति ऐसी नहीं है कि जिसमें धर्मपुरुष, संत-सज्जन पैदा नहीं हुए हों। अगर हमारे पूर्वज भारत के लोगों को गोमांस से निवृत्त बना सके, तो योग्य दिशा में और योग्य ढंग से प्रयत्न करने पर सारी मनुष्यजाति को हम जीवदया का धर्म समझा सकते हैं। इसमें कबूल करना पड़ेगा कि जीवदयाका धर्म क्रमशः फैलता है, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है और उसमें भी ज्वार-भाटे का नियम पाया जाता है।

जीवदया का प्रारम्भ भारत में हमने गाय से किया। अरबस्तान में शायद ऊँट से करना पड़ेगा। मिस्र यानी इजीप्ट देश में लोगों ने बिल्ली को किसी समय अग्न्या माना था। घोड़े और कुत्ते के प्रति जीवदया का सार्वत्रिक प्रचार करना शायद अधिक आसान और अधिक जरूरी होगा। और संभव तो यह दीख पड़ता है कि मधुमक्खियों को जिलाने का, उनकी कठोर हत्या नहीं करने का धर्म भारत के लोगों को पश्चिम के लोगों से ही सीखना पड़ेगा। भले ही स्वार्थवश, किंतु बुद्धिमानी चलाकर पश्चिम के लोगों ने सिद्ध किया है कि शहद-प्राप्ति के लिए शहद की मक्खियों की हिंसा करना बिल्कुल विनजरूरी है। भारत में जिस तरह से शहद इकट्ठा किया जाता है, वह क्रिया अत्यंत क्रूर, प्राणघातक और बेवकूफी की है। न उसमें स्वार्थ सघता है, न धर्म का पालन होता है।

जीव-दया का व्यापक धर्म कुछ भी कहे, हम सब प्राणियों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। सब प्राणियों का रक्षण हम कर भी नहीं सकते। हमारा कर्त्तव्य मनुष्य जाति तक और जिन प्राणियों को हमने अपनी सेवा के लिए अपनाया है, उन तक ही सीमित है। हमारा कर्त्तव्य गाय, बैल, घोड़ा, ऊँट, कुत्ता, बिल्ली आदि मानव-सेवक प्राणियों तक ही सीमित है। इनमें भी भारत के लिए दो का ही महत्व है, यानी गाय-बैल की रक्षा का। गाय-बैल के साथ भैंस-भैंसे की भी बात सोचनी चाहिये। इनका सवाल वहीं पर खड़ा होता है जहाँ ये भैंस और भैंसा पानी की सहूलियत होने पर ही जी सकते हैं और सेवा दे सकते हैं। भारत में ऐसे स्थान हैं जहाँ हवा में पानी का तत्त्व यानी नमी अधिक है, वहाँ गाय पनप नहीं सकती और भैंस खुशी से रह सकती है।

जो दूध दे सकती हैं वैसे गायों की भी हत्या होती है। उन्हें तो बचाना ही चाहिये। लेकिन मुख्य सवाल उन गाय और बैलों का है, जिन्होंने अपनी जवानी में मनुष्य की काफी सेवा की है और इसीलिए बुढ़ापे में पेन्शन पर जीने के जो अधिकारी हैं, उन्हें कत्लसे बचाना और जबतक जी सकते हैं, आराम से रखना कृतज्ञता का

धर्म है। उनके पोषण के खर्च से बचने के लिए उन्हें मार डालना और उनके मांस आदि से लाभ उठाना कृतघ्नता है।

बूढ़े गाय-बैल को और छोटे-छोटे बछड़ों को हत्या से बचाना कृतज्ञ मानवजाति का धर्म है, जिसका स्वीकार अधिकांश दुनिया ने अभी तक नहीं किया। यह काम केवल उपदेश से या हुक्म से होने-वाला नहीं है। भारत में अगर हम इतना काम व्यवस्थित ढंग से कर सकें और बता सकें कि गाय-बैल की सेवा से जो मुनाफा होता है उसी का अगर हम इन प्राणियों के लिए old age pension fund बनावें तो ये दुर्देवी प्राणी बुढ़ापे में हमारे आश्रित नहीं बनेंगे। अपनी मेहनत और सेवा के फंड पर ही उनका गुजारा हो सकेगा। जिस तरह हम मजदूर को मजदूरी देते हैं और किसान को उसकी उपज के दाम देते हैं, उसी तरह अगर हम गाय-बैल को उनकी सेवा का दाम चुका देंगे और शोषण से उन्हें मुक्त करेंगे तो उनको किसी की दया पर जीना नहीं पड़ेगा।

गाय-बैल की नस्ल सुधारना और जो नस्ल अच्छी नहीं है उसकी प्रजोत्पत्ति विलकुल बढ़ने नहीं देना यही है गोरक्षा का प्रधान उपाय। इस बात में सारा भारत आज तक बेदरकार—लापरवाह रहा है। गांधीजी ने इस दिशा में विचार-जागृति की और थोड़ा रचनात्मक काम भी करके दिखाया। अब उसी बात का राष्ट्रव्यापी विचार और अमल होना चाहिये। अर्थात् इसमें वैज्ञानिक प्रयोग और अनुभव का पूरा सहारा लेना होगा।

स्वतंत्र भारत में प्रजाराज्य के दिनों में अगर गोरक्षा की संपूर्ण योजना धर्मपरायण होकर वैज्ञानिक ढंग से सोची जाय और अगर हम उसे अमल में ला सकें, तो उसका असर सबसे प्रथम अमरीका पर होगा और देखते-देखते दुनिया के दूसरे देशों पर भी होगा।

और मनुष्य-मनुष्य के व्यवहार पर भी हमारी धर्म-परायण, वैज्ञानिक गोरक्षा का असर अवश्यमेव होगा, क्योंकि 'धर्मो रक्षति रक्षितः।' और शुद्ध धर्म की गति भी त्वरित होती है। 'धर्मस्य त्वरिता गतिः।'।

सत्याग्रह—शुद्धि-साधना

[मुनि संतबालजी]

पुराने समय में सत्याग्रह में सविनय कानून भंग, असहकार, धरना, प्राणांतिक उपोषण आदि कई मार्ग आते थे। उनमें से कितने ही मार्गों का आज विपरीत स्वरूप हो रहा है। अतः स्वानुभव एवं संत-सज्जनों की राय से जमाने के अनुकूल सत्य, अहिंसा और न्याय के तत्त्वों पर आधारित शुद्धि-साधना मार्ग अपनाया गया है। अन्याय के प्रतिकार के रूप में हम लोगों ने गुजरात के भालनलकांठा क्षेत्र में ऐसे कई शुद्धि प्रयोग किये हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त हुई है। इसका नाम शुद्धि प्रयोग है। साधना सिद्ध होने तक प्रयोग ही मानना पड़ता है, फिर भी संत विनोबाजी ने इसे अपना आशीर्वाद देते हुए इस मार्ग का नाम गोरक्षा निमित्त शुद्धि-साधना रखा इसकी हमें अधिक ही खुशी है। क्योंकि अब यह शुद्धि प्रयोग केवल भालनलकांठा या गुजरात तक सीमित न रहकर सारे भारत में तथा भारत के माध्यम से सारे संसार में फैलेगा। शुद्धि-साधना सिद्ध होकर अन्याय, अनिष्टों के प्रतिकार के लिए अहिंसक शस्त्र के रूप में सफलोद्भूत होगा एवं विश्वशांति कायम करने में सहायक होगा यह संतोष की बात है।

(१) शुद्धि-साधना यह तप-त्याग का कार्यक्रम है। इसमें तप का संकलन किया जाता है। तीन दिन के उपवासी की श्रृंखला इसका मुख्य कार्यक्रम रहेगा (तीन दिन यानी ७२ घंटे)। इसमें प्रभात फेरी, सायं फेरी, प्रवचन, भजन-कीर्तन, सफाई, कत्ताई आदि कार्यक्रम रहेंगे।

(२) उपवास में बैठनेवाले भाई का चरित्र समाज-मानस में ऊंचा हो। उसका ध्यान निम्न त्रिपुटियों की ओर विशेष रहे—

हृदय में—सत्य, प्रेम और न्याय रहे।

जीवन में—नियमितता, व्यवस्थितता और उपयोगिता हो।

मन में—सच्चाई, वीरता और अंगुप्तता रहे।

(३) उपवासी भाइयों के लिए आवश्यक है कि अन्न, फल व दूध के त्याग के साथ साथ तीन दिन तक बीड़ी, चाय का भी त्याग करें। पानी ले सकते हैं, पानी के साथ सोडा, नमक, नीबू ले सकते हैं।

(४) बंगाल सरकार के खिलाफ कोई राग-रोष या पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए। उनके प्रति कोई अवमानकारक शब्द नहीं निकलने चाहिए, न अवमान करने का मानस ही होना चाहिये।

(५) प्रभु प्रार्थनास्वरूप इस शुद्धि-साधना आन्दोलन से आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। रचनात्मक कार्य करनेवाले संगठन हर क्षेत्र में बढ़ने चाहिए। इन्हीं आधारों पर जन-संगठन बने एवं सब मिलकर यथार्थ रूप में सहयोग से कार्य चले तो इन नैतिक संगठनों के अंकुश में राजकारण को रहना ही है। इस शुद्धि साधना से स्वयं, साधक समाज और सरकार तीनों का मानस ऊँचा उठना चाहिए।

(६) जो भाई-बहन उपवास की त्रिदिवसीय शृंखला में न बैठकर एक या दो दिन उपवास पर बैठना चाहेंगे, या नशा आदि छोड़ना चाहेंगे, उनकी भी नोंध ली जायगी।

शुद्धि-साधना का कार्यक्रम

[मुनि ज्ञानचंद्र]

कुछ दिनों से मेरे मन में पश्चिम बंगाल और केरल प्रांत की गोहत्या-बंदी के बारे में कुछ मंथन चल रहा है। पू० बाबा का संकल्प और उसके लिए उपवास के दिन नजदीक आ रहे हैं। मैंने सुना है कि केरल और बंगाल प्रांतों की सरकारें साफ साफ कहती हैं कि हम गोवध-बंदी कानून कर नहीं सकेंगे। इस स्थिति में बाबा का उपवास निश्चित बन जायेगा।

इस बारे में मेरा नम्र निवेदन पेश कर रहा हूँ। आज वध बंद करने के लिए, लोकमत तैयार करने के लिए बहुत भाई-बहन

चारों तरफ घूम रहे हैं। कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम और दिल्ली में जल्दी से जल्दी पड़ाव डालकर प्रभु-प्रार्थना, तप-त्याग की कार्यवाही—शुद्धि साधना—शुरू करें। व्यवस्थित रूप से सैकड़ों कार्यकर्ता तपश्चर्या शुरू करें। बलिदान की तैयारी रखें। इस प्रकार तीनों जगहपर तप-त्याग के आंदोलन का मोर्चा खड़ा कर देना चाहिए।

अब पू० बाबा के उपवास के पूर्व जो बाकी दिन रहे हैं उतने समय में मेरे मतानुसार लोकमत तैयार करने की सामान्य कार्यवाही से इन दोनों सरकारों पर कोई जल्दी असर नहीं होगा। इसलिए इन तीनों शहरों में तप-त्याग का मोर्चा खड़ा हो जायेगा, तो मुझे विश्वास है कि दोनों सरकारों पर जरूर असर पड़ेगा और कानून बनेगा। लोकमत तैयार करने और गौसदन स्थापने की बात जरूरी है, लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए तप-त्याग (शुद्धि-साधना) की बात करता हूँ।

अब तो मेरी दृष्टि से ऐसा समय आ गया है कि आग लगने पर कुआं खोदने से बात हाथ से बाहर चली जायेगी। चारों ओर गोवंश के कतल की आग लगी है। इसमें कोई कार्यक्रम तुरंत असर नहीं कर सकेगा। मेरे मन में केवल यही एक उपाय सूझता है कि जिसके दिल में गोमक्ति हो वे सब सर को कफन बांध कर सब प्रांतों से कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम में जाकर प्रभु-प्रार्थना और तप-त्याग का मोर्चा जोरदार बनायें। शुद्धि-साधना सर्वोत्तम उपाय है। मेरे अंतर की मनोवस्था को इस निवेदन द्वारा रख रहा हूँ। आशा है सहयोगी कार्यकर्ता सोचेंगे।

गोसेवा के कार्यक्रम

[तुलसीदास विभ्राम]

हाल ही में २ मई को पवनार में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। उसमें श्री तुलसीदासमाई, श्री रा० कृ० पाटील एवम् श्री अरुणाचलम् आदि की एक समिति बनायी गई थी जिसमें गोसेवा के लिए नीचे लिखे अनुसार भावी कार्यक्रम सुझाये हैं:

१. भारत भर में जितनी संस्थाएँ गोसेवा में लगी हैं उनके जरिये काम किया जाय।

२. मंदिर-मठ-गुरुद्वारा, आर्यसमाज आदि सबको विश्वास में लेकर सबके सहयोग से काम हो।

३. केन्द्रीय गोसंवर्धन कौन्सिल का फिर से नवनिर्माण हो।

४. गोवर, गोमूत्र, गोबर गैस-प्लान्ट पर अनुसंधान भारत सरकार एवं अन्य लोग करें।

५. पशु खाद्यों की निर्यात पूर्णतया रोकी जानी चाहिए।

६. संवर्धन के लिए विविध कार्यक्रम बनाये जावें।

७. फ़ॉस ब्रीडिंग इस प्रकार हो कि बैल की शक्ति कमजोर न पड़े। इस बारे में आज तक के अनुभवों का निरीक्षण करके आगे की राष्ट्रीय नीति तय की जाय।

८. वेकार गायों के संरक्षण के विषय में शास्त्रीय एवं आर्थिक प्रयोग किये जावें।

९. कंठखानों पर गैरसरकारी सुपरवीजन की व्यवस्था हो।

ग्रामदानी किसानों के सहयोग से गायें रोकें

[एस. जगन्नाथन्]

तमिलनाडु में गायें रोकने का हम लोगों ने जो प्रयत्न किया उसके परिणामस्वरूप कोट्टायम से केरल गायें जाना बंद हो गया। उधर गोमांस मिलना कम होने से लोग कुछ परेशान थे। तमिलनाडु से केरल की ओर जानेवाले आठ रास्ते हैं। मेंन रूट पर ७ अप्रैल को सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। साधु सुब्रह्मण्यम ने उसका नेतृत्व किया। रात के १० बजे तक करीब दो हजार गायें रुकी रहीं। रात में भी सत्याग्रह चालू था। रात को पुलिस आयी। सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया और गायवालों से करीब दो हजार रुपये घूस लेकर गायें छोड़ दी गईं। तमिलनाडु में गोहत्या-बंदी कानून विधानसभा में सरकार ने रखा है। उसके साथ-साथ पशुओं की निकासी रोकने की भी कलम रखी है। लेकिन अभी उसके पारित होने में थोड़ा समय लगेगा।

ता० २२ अप्रैल को पू० विनोबाजी का उपवास आरंभ हुआ। तब हम लोगों ने सोचा कि अब त्रिवेंद्रम जाकर सत्याग्रह करना चाहिए। ग्रामदानी गांवों से ४५ लोगों ने जाना तय किया। धीरे-धीरे सत्याग्रहियों की संख्या १०० हो गई। ता० २५ को सुबह पदयात्रा करते हुए त्रिवेंद्रम पहुंचे। हम लोगों के नारे वही थे जो भूदान-ग्रामदान के समय चलते थे। उन्हीं में गाय का नारा भी मिला दिया था। उसका परिणाम अच्छा रहा। त्रिवेंद्रम में ग्रामदानी किसानों के साथ मुख्यमंत्री वासुदेवन नायर मिले। मुख्य मंत्रीजी से कहा कि ग्रामदानी गांवों के लोग आपसे मिलने आये हैं। ग्रामदान में व्यक्तिगत मालिकी मिट गई है। हमारे यहां भारतीय समाजवाद है। ग्रामदानी गांवों के लोग बूढ़ी गाय को भी मारना नहीं चाहते। किसानों ने कहा हम छोटे हैं, गरीब हैं; फिर भी मरने तक गाय-बैल को पालते हैं।

वासुदेवन् नायर: केरल का किसान ज्यादा रेशनल है। वह उपयोगिता को प्रथम देखता है।

जगन्नाथन्: मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि केरल में भी हजारों किसान ऐसे निकल सकते हैं जो बूढ़ी गाय का कतल करना नहीं चाहते।

वासुदेवन् नायर: मैं दस वर्ष के बदले चौदह साल तक की उमर के पशुओं का कतल न हो ऐसा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन विनोबाजी को तो गायों के कतल पर टोटल पाबंदी चाहिए, वह हम नहीं कर सकते।

गोपीनाथन् नायर: केंद्रीय सरकार ने बूढ़ी गायों के लिए आपको सबसीडी देना स्वीकार किया है ऐसा सुना है। बूढ़ी गायों की अब आपको क्या चिंता है?

ता० २५ को पू० बाबा का स्वास्थ्य अधिक खराब होने की बात अखबारों में आई थी, फिर भी वासुदेवन् नायर जरा भी झुके नहीं और कहा कि मैं किसी हालत में टोटल गोबध-बंदी नहीं करूंगा।

पिछले ४-५ सालों में तमिलनाड से केरल में गायों का जाना बहुत ही बढ़ गया है। शायद दस गुनातक बढ़ा हो। हर माह करीब एक लाख गायें कटने के लिए तमिलनाड से केरल जाती होंगी। उन गायों में एक भी गाय बूढ़ी नहीं होती। दो हजार गायों का चित्र लिया गया था। उसमें एक भी गाय बूढ़ी नहीं थी।

हाल ही में मद्रास में कलेक्टर की मिटिंग थी। मिटिंग में उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि लाखों अच्छी गायें केरल जा रही हैं और वहां कट जाती हैं। सरकारी आर्डर हो चुके हैं कि तमिलनाड से बाहर गायों का निर्यात न हो, फिर भी उसका कोई असर नहीं। वल्कि कुछ असर है तो उलटा ही है। भविष्य में गायें रुक सकती हैं इस डर से व्यापारी लोग अधिक से अधिक गायें इन दिनों ले जा रहे हैं। कलेक्टरों का कहना है कि अभी तक हमें एकजीक्यूटिव्ह आर्डर्स नहीं मिले हैं। उसके बिना हम रोक नहीं सकते। हमारे सत्याग्रह के बाद पुलिस की घूस बढ़ गई है। व्यापारियों को गायें कुछ सस्ती मिलने लगी हैं। इस सबको रोकने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी।

केरल में जो सत्याग्रह हुआ उसमें केरल के स्वयंसेवक ५-७ से अधिक नहीं थे, जब कि कम से कम आधे केरल के होने चाहिए थे। हम लोग एक दिन घूमे तो ५-६ सत्याग्रही मिल गये। दूसरे दिन घूमे तो १०-१२ हो गये। श्री जनार्दन पिल्ले, श्री गोपीनाथन नायर का मानस सत्याग्रह के लिए अनुकूल बनाने में ही शक्ति लगी, वरना काम बहुत आगे बढ़ सकता था। मेरी भी गलती रही। मैं जल्दी केरल नहीं जा सका। हमारा सत्याग्रह भी बहुत सीरियस नहीं चला। सत्याग्रहियों को पकड़कर छोड़ देते थे। सत्याग्रह सीरियस होता तो छोड़े हुए लोगों को फिर दुबारा जाना चाहिए था।

एक रोज एक बछड़े को कतल के लिए ले जा रहे थे। मैंने रोका और कहा कि इसके साथ मुझे भी कतल करो। वे सहम गये। एक दिन गरीब गाय की पूंछ मरोड़ी जा रही थी। उस पर उबलत पानी डाला गया। हमारे आधा दर्जन लोग खड़े थे, लेकिन कुछ

वोले नहीं। वास्तव में हमको आगे होकर रोकना चाहिए था। हमारे सत्याग्रही अभी पूरे अनुभवी नहीं थे।

बाबा का उपवास छूटने पर हम १२० लोग मिले। तय किया कि तमिलनाडु से केरल जानेवाले जो आठ रास्ते हैं, उन सबको रोकना चाहिए। कम्यूनिस्टों के कुछ लोग हमसे झगड़ा करने भी आये थे। थोड़ा झगड़ा भी हुआ। हम लोगों ने तय किया है कि सब जगह काऊ प्रोटक्शन कमिटी बनायें। एक भी गाय केरल जातों है और कटती है, तो हमारे देश के अर्थतंत्र को भारी हानि पहुंचती है। इस बात को किसान समझने लगे हैं। वे जागृत भी हुए हैं। हमारे आंदोलन को जन-आंदोलन बनाना चाहिए। जनता स्वयं खड़ी होकर स्वयं गायों को रोकेगी तभी गायें रुक सकेंगी। गोरक्षा के हमारे इस काम को भूदान, ग्रामदान, ग्राम स्वराज्य के साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पू० बाबा की तीसरी शक्ति खड़ी करने का यह क्रांतिकारी काम है ऐसा समझकर पूरी शक्ति से काम होना चाहिए।

पू० बाबा के उपवास के कारण भारत सरकार ने गोरक्षा के विषय को कान्फरेंट लिस्ट में लेकर केंद्रीय कानून बनाने का जो आश्वासन दिया है, उस कारण से यहां के लोग नाराज हैं। उनका विरोध कुछ बढ़ा है। पू० दादा जैसे वुजुर्गों को केरल जाकर समाधान कराना चाहिए।

(ता. २ मई को पवनार में कार्यकर्ताओं की सभा में दिये गये भाषणसे)

गोवध-बंदी तथा विनोबाजी का संकल्प

[गौतम बजाज]

गोवध-बंदी के लिए पूज्य विनोबाजी उपवास तक कैसे पहुँचे, यह जान लेना ठीक होगा। क्योंकि बहुतांश के मन में यह प्रश्न उठता है कि विनोबाजी ने एकदम उपवास का ही रास्ता क्यों लिया।

विनोबाजी का यह निर्णय आध्यात्मिक है। साधारणतया उपवास आदि के तरीकों को विनोबाजी उचित नहीं मानते। इस विषय में औरों को भी रोकते ही रहते हैं। लेकिन उन्हें जब अंदर से महसूस होता है कि यह ईश्वरीय आदेश है, तभी वे स्वयं उपवास को अपनाते हैं। १२ साल पहले भाषायी दंगों के कारण विनोबाजी ने उपवास किए थे। उनका मानना है कि गोवध-बंदी के लिए अब जो उपवास की बात आई है, वह उनका खुद का विचार न होकर ईश्वरीय प्रेरणा है।

सत्याग्रह के शास्त्र के अनुसार ऐसा आखिरी कदम तभी उठाया जाता है, जब अन्य सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।

सर्व प्रथम भारत में गो-रक्षा की चर्चा कांस्टिट्यूट एसेंब्ली (संविधान-सभा) में हुई। देश के सर्वमान्य नेताओं ने, सब धर्मों के नेताओं, विचारकों ने मिलकर विस्तार से चर्चा कर संविधान में निर्देश दिया कि भारत में गोवध-बंदी होनी चाहिए। (डायरेक्टिव प्रिन्सिपल धारा-४८)।

१९५१ में पंडित जवाहरलालजी के आमंत्रण से विनोबाजी दिल्ली प्लैनिंग कमीशन से बात करने गए थे। उस समय भी विनोबाजी ने गोवध-बंदी का आग्रह संपूर्ण प्लैनिंग कमीशन और सरकार के सामने रखा था।

अपनी १९५३-५४ की पदयात्रा में विनोबाजी ने इस विषय पर फिर जोर दिया। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल की धारा ४८ पर किसी प्रकार से अमल नहीं हुआ था। तब बिहार सरकार ने गोवध-बंदी का कानून बनाया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों ने विस्तार से इस विषय पर चर्चा सुनी और एक राय से अपना फसला दिया कि पूर्ण भारत में संपूर्ण गोवध-बंदी होनी चाहिए। बैलों के बारे में भी कोर्ट का निर्णय रहा कि जो बूढ़े हो गये हैं और खेती आदि कामों में नहीं आ सकते ऐसे बैलों को छोड़कर बाकी बैलों की हत्या बंद होनी चाहिए।

सन् '५९ मार्च में राजस्थान में और दिसंबर में हरियाना में दो बार इस विषय पर विनोबाजी की पदयात्रा में गोष्ठी हुई। उसमें देश के गोसेवक, भारत सरकार के संबंधित विषय के कविनेट मंत्री और सरकार के तज्ञ आदि लोग उपस्थित दी।

इतना होने पर भी गोवध-बंदी देशभर में लागू नहीं हुई तब सन् १९६७-'६८ में बहुत से संगठनों ने मिलकर एक आंदोलन किया। पुरी के श्री शंकराचार्यजी ने ७० दिन से अधिक उपवास भी किये। आखिर सरकार ने इस विषय पर सोचने के लिए एक कमिटी बनायी। श्री शंकराचार्यजी के उपवास के लिए विनोबाजी की पूर्ण सहानुभूति रही। फिर भी जब सरकार ने कमिटी बनायी तब विनोबाजी ने शंकराचार्यजी को उपवास समाप्त करने की सलाह दी।

सन् १९७३ में सरकार की तज्ञों की कमिटी ने अपनी सर्व-सम्मत राय जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संपूर्ण देश में गोवध-बंदी होनी चाहिए।

दो साल पहले जब प्रधानमंत्री इंदिराजी विनोबाजी से मिलने पवनार आई थीं, तब विनोबाजी ने यह बात उनके सामने रखी थी। १९७५ के दिसंबर में विनोबाजी का एक साल का मौन समाप्त हुआ। उसके बाद समय-समय पर गोवध-बंदी की बात वे लोगों के सामने रखते रहे। उन्होंने यह बात आचार्यों के सामने भी रखी।

इससे पहले (सन् १९६२ में) कलकत्ता में जो अच्छी गायोंका वध होता था, उस ओर भी विनोबाजी ने देश का ध्यान खींचा था। सरकार की सूचना के अनुसार कलकत्ता में हर साल उत्तम जाति की दूध देनेवाली ५० हजार गायों का कत्ल होता है। वह बंद हो, इसके लिए विनोबाजी १२-१५ सालों से प्रयत्न करते रहे। १९७० में वर्षा में इस संबंध में एक बड़ी सभा भी विनोबाजी के पास हुई। उसमें दिल्ली, कलकत्ता, बंबई के महाजन, सरकारी अधिकारी, सर्वोदय सेवक तथा देशभर में गोसेवा का काम करनेवाले साथी, सभी इकट्ठे हुए थे। बंगाल सरकार से भी बातें हुईं, पर प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं हुआ।

भारत सरकार से भी बात चलती रही। १९७० में सरकार ने संसद में गोवध-बंदी करने की बात स्वीकार कर ली थी। १९७१ में भारत के कृषिमंत्री ने विनोबाजी को लिखा कि गोवध-बंदी के लिए सरकार वचनबद्ध है।

इस तरह गोवध-बंदी के बारे में सब स्तरों — सरकार, जनता, व्यापारी, समाजसेवक — पर विनोबाजी २५ वर्षों से प्रयत्न करते रहे हैं। ऐसे तो अपने समूचे जीवन में ही उन्होंने इस विषय को बहुत महत्त्व दिया। कभी किसी भी संस्था के पदाधिकारी न बननेवाले विनोबाजी गोसेवा संघ के अध्यक्ष बने थे। गांधीजी ने उस बारे में उन्हें आज्ञा की थी।

महाराष्ट्र के एक मंत्री १० मई, १९७६ को विनोबाजी से मिलने आये थे। उनके द्वारा विनोबाजी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में गोवध-बंदी हो इस बारे में संदेश भेजा था। और १७ मई, १९७६ को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विनोबाजी से मिलने आये तब इस विषय को अत्यधिक तीव्रता से उनके सामने रखा। उस समय इसके लिए आवश्यकता होने पर आमरण उपवास करने का अपना विचार भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा था। जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने यह बात केन्द्र सरकार तक पहुंचाई ही होगी। २९ मई को अपने कुछ साथियों से बात करते हुए विनोबाजी ने अपना अंतिम निर्णय जाहिर किया, जो अब सर्वविदित हो चुका है। सरकार तथा अन्य संबंधित लोगों को इस पर सोचने के लिए पर्याप्त समय रहे, इसका पूरा खयाल इसमें रखा गया है। साढ़े तीन माह की मुदत दी गई है।

वास्तव में जो विषय इतने वर्षों से निर्णीत हो चुका है, जिसके लिए इतनी कोशिश हो चुकी है, इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत न होकर अब अमल की जरूरत रह गई है। उसके लिए विज्ञान के इस गतिशील युग में साढ़े तीन माह की अवधि कम है, ऐसा नहीं कहा जायेगा।

विनोवाजी की वृत्ति कभी भी रिजिड (आग्रही) नहीं रही है। उन्होंने सरकार की सुविधा की दृष्टि से यह भी मान लिया है कि संपूर्ण देश में गोवध-बंदी की घोषणा ११ सितंबर तक हो जाये और प्रत्यक्ष अमल २१ दिसंबर तक हो। समय की दृष्टि से यह पर्याप्त सुविधा मानी जाएगी।

भारत सरकार को गोवध-बंदी करनी है, क्योंकि वह उसका निश्चय ही है। उसे अमल में लाने के लिए उनकी राह में जो भी कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उन्हें दूर करने में सहायता प्राप्त हो सके इस हेतु विनोवाजी ने यह नैतिक बल देनेवाला कदम उठाया है। इस सहायक और शक्तिदायी वस्तु का लाभ शीघ्र उठाना देश और समाज के लिए बहुत हितकारी साबित होगा।

गोसेवा की नीति

[संमेलन की रिपोर्ट]

भारतीय संस्कृति में गाय का एक विशिष्ट स्थान रहा है। संस्कृति के मंगल प्रभात से ही गाय राष्ट्र के जीवन में महत्व का हिस्सा लेती रही है। सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों वजह से भारतीय समाज में गाय परिवार का सदस्य बन गई है। आज की गिरी और बिगड़ी हुई हालत में भी गाय अपना वही हिस्सा अदा कर रही है। अगले १०० साल तक गाय को हम कैसे संभालते हैं और कैसे उसका संरक्षण और संवर्धन करते हैं, इस पर ही भारत के भावी आर्थिक जीवन का विकास अवलम्बित रहेगा। भारत के आर्थिक ढाँचे में कृषि का जो स्थान है वही स्थान कृषि विकास में गाय का है।

गांधीजी आजीवन गाय के बारे में चिंतित रहे। धार्मिक लोगों की गलत भावना और पढ़े-लिखे लोगों की बेदरकारी, दोनों ने ही गाय को बराबर हानि पहुँचाई है। जब तक भावना के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा और आधुनिक विद्वान देश में फैली लोकभावना को नहीं समझेंगे, तब तक गाय की हीन दशा चालू ही रहेगी।

विनोबाजी के मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रयास से अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ आज इस ओर प्रयत्नशील है कि गाय के शास्त्रीय विकास और बुनियादी महत्व को लोग समझें।

(१) गोसेवा की दृष्टि

पूज्य विनोबाजी ने कहा कि “गोसेवा-संघ की नीति ‘सेवा’ शब्द में निहित है। गाय एक उदार प्राणी है, वह हमारी सेवा और प्रेम को पहचानती है और हमें अधिक से अधिक लाभ देने के लिए तैयार रहती है, इसलिए हमें उसकी सेवा करनी है। सेवा में दो बातें गृहीत हैं। एक तो हम बिना उपयोग के किसी की सेवा नहीं कर सकते और दूसरे सेवा किये बिना हम उपयोग लेंगे तो वह गुनाह होगा और हमें वह गुनाह हरगिज नहीं करना है।

गाय की बछड़ी का पूरा उपयोग करना है। गाय की दूध देने की शक्ति बढ़ानी है। मजबूत बछड़े देने की शक्ति बढ़ानी है। उससे जुताई में भी जितनी मदद मिल सके, लेनी है। गोबर और गोमूत्र का खाद के रूप में अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना है तथा मरने पर उसके चमड़े, हड्डी, मांस, चरबी इत्यादि का पूरा लाभ उठाना है। इसके लिए अधिक-से-अधिक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना है। यह सब बातें गायका पूरा उपयोग लेने में आती हैं। गाय को समय पर उचित मात्रा में चारा-पानी देना, उसके रहने की अच्छी व्यवस्था करना, काम लेने में उस पर ज्यादाती न करना, साफ-सफाई रखना, बीमारी का इलाज करना, उसके सुख-दुःख का पूरा खयाल रखना और बूढ़ी होने पर उसके मरने तक खाना देना, इतनी बातें सेवा में आती हैं।

ऊपर की नीति के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि हम गाय का शास्त्रीय संवर्धन करना चाहते हैं और उसका कतल कतई वंद करना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि गाय अर्थशास्त्र में टिकनी चाहिए और अर्थशास्त्र में टिकेगी, तभी उसका पूरा पालन हो सकेगा। इस दृष्टि से जीवनभर गाय को स्वावलंबी बनाने का हमारा प्रयत्न

रहेगा। शास्त्रीय गोसंवर्धन और संपूर्ण गोवध-बंदी ही हमारी नीति रहेगी। गाय से हमारा मतलब गाय, बैल, बछड़े, बछड़ी अर्थात् पूरे गोवंश से है।”

(२) राष्ट्रीय संयोजन में गाय का सर्वोपरि महत्त्व

भारत के आर्थिक संयोजन में पिछले अनुभवों के आधार पर अब कृषि को ही सर्व प्रथम स्थान दिया जा रहा है। साथ ही स्थायी कृषि-विकास की योजनाओं में गोपालन को प्रथम स्थान देना जरूरी है। गाय से ही हमें खेती के लिए अच्छे बैल प्राप्त होते हैं। समाज के स्वास्थ्य को बलवान बनाने के लिए गोमाता हमें शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद दूध प्रदान करती है। गोबर की खाद खेतों को अधिक उपजाऊ बनाती है। अब तो गोबर गैस से बिजली भी पैदा की जा रही है, जो कई तरह की मशीनों को संचालित कर सकती है। गोमूत्र अद्वितीय खादके रूप में सिद्ध हुआ है, गोमूत्र अमोघ औषधि है एवं आणविक शक्ति के निर्माण में सहायक हो ऐसी शोध चली है। मृत्यु के बाद भी गाय की हड्डी और चमड़ा स्थानिक ग्रामोद्योगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय संयोजन में, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गाय का सर्वोपरि महत्त्व स्पष्ट है।

(३) संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी

भारतीय अर्थशास्त्र में गाय, बैल, नंदी सभी समान रूप से उपयोगी हैं एवं भारतीय संस्कृति में सबका समान आदर है। अतः बैल व नंदी सहित पूरे गोवंश की हत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय संविधान में इस प्रकार संशोधन किया जाय, ताकि गो शब्द में गाय और उसकी संतति नर-मादा दोनों का समावेश हो जाय। आज के कानून में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बूढ़े बैल या नंदी को संरक्षण नहीं है, वह भी मिलना चाहिये। गोवध-बंदी यानी गोवंश हत्याबंदी हो, ऐसा कानून सारे देश में बने ऐसी भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों से संघ की मांग रही है।

कुछ लोगों का खयाल है कि “सेक्युलर स्टेट” में ऐसा कानून नहीं बन सकता। यह कानून बनने पर गाय और बैल की हत्या करनेवाले मुसलमान भारत में कैसे रह सकेंगे ऐसा बोलनेवाले इस्लाम का अपमान करते हैं। कुरान में गाय का गोस्त जरूरी हो, ऐसी विधि नहीं है और हिंदुओं में बलिदान की आवश्यकता है, ऐसा धार्मिक कार्य नहीं है। अतः बलिदान करना ही गलत कार्य है, फिर चाहे वह करनेवाला हिंदू हो, चाहे मुसलमान। बलिदान के लिए गाय अनिवार्य नहीं है। इतिहास कहता है कि अकबर एवं अनेक मुगल बादशाहों के राज्यों में गोवध-बंदी थी। आज भी अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र में गोवध-बंदी है। गोवध-बंदी में सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं आता। गोवंश हत्याबंदी के लिए कानून बनना ही चाहिए, यह भारतीय समाजवाद की मांग है।

समाजवाद का दावा है कि समाज के हर मनुष्य का रक्षण होना चाहिए। भारत का भी एक अपना समाजवाद है। भारत के समाजवाद में यह माना गया है कि मानव-वंश के अंदर गोवंश का समावेश करें और जिस गाय के दूध पर हमारे बच्चे पलते हैं, उसे कृतज्ञता के तौर पर रक्षा दें एवं उसे सहज मौत मरने दें।

गोरक्षा के संबंध में पू० गांधीजी ने कहा है कि “गोरक्षा यह भारत की विश्व को देन है।” पू० बापूजी के कहने का गहराई से चिंतन किया जायगा तो ध्यान में आयेगा कि कितनी बड़ी नैतिक एवं आध्यात्मिक बात पू० बापूजी ने कही है। गोरक्षा की भावना के पीछे “कृतज्ञता” भावना की रक्षा है। जीवन भर जिसकी सेवा ली उसके प्रति अंतिम दिनों में कृतज्ञता रखना ही मानव-जीवन की श्रेष्ठ भावना है। यदि “कृतज्ञता” की जगह “कृतघ्नता” की भावना बढ़ती है तो वह मनुष्य समाज कभी पनप नहीं सकता। गोरक्षा मनुष्य और मानवता के रक्षण की बुनियाद है।

गोवध चालू रहना या गोवध बंद होना इस पर सारे देश की गोसंवर्धन नीति अवलंबित है। यदि पश्चिम की भांति गोवध एवं गो-भक्षण चालू रहता है तो संवर्धन में एकांगी पशुओं का विकास अधिक

किया जायगा, ताकि एक पशु कतल के लिए मिलता रहे। जैसे दूध प्रधान नस्ल बढ़ायेंगे तो नर पशु कतल के लिए मिलते रहेंगे। लेकिन संपूर्ण गोवंश की हत्याबंदी हो जाय तो गोसंवर्धन की नीति आमूल बदलनी होगी। गोवधबंदी के बाद सर्वांगी नस्ल का ही संवर्धन करना होगा, जिसमें नर और मादा दोनों उपयोगी हों। बछड़ी अच्छी दुधारू हो और बछड़ा खेती लायक उत्तम बैल बने ऐसी नस्ल तैयार करनी होगी। इसे ही सर्वांगी नस्ल कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों का संरक्षण होता है।

(४) खेती-गोपालन अभिन्न

सही बात तो यह है कि खेती और गाय, दोनों की जोड़ी है। दोनों एक-दूसरे से अभिन्न हैं। दोनों एक सिक्के की दो बाजू हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। खेती को गोपालन की जोड़ मिल जाने से खेती के लिए अच्छे बैल पैदा होकर खेती की जुताई अच्छी होती है। गोबर और गो-मूत्र में कचरा मिलाकर बड़ी तादाद में मिश्र खाद बनायी जा सकती है, जिससे खेती की उपज बढ़ती है और उपजाऊ शक्ति कायम रहती है। इन पशुओं के कारण अनाज से बचे हुए बेकार डंठल काम में आ जाते हैं और उनसे उत्तम से उत्तम खाद्य तैयार हो जाता है। किसान को बैल और गाय के सहारे सूखे दिनों में आमदनी के साधन मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सन् १९४१ से १९४६ तक ६ जिलों में केवल खेती तथा गोपालन के साथ खेती, दोनों प्रकार के प्रयोग किये गये थे। उस वारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोपालन और खेती के नाम से एक पर्चा (नं० १८८) निकाला है। उसमें बताया है कि ५ वर्ष बाद यह सिद्ध हुआ कि गोपालन के साथ खेती करनेवालों की आय प्रति एकड़ रु० ११०) ४४ हुई है, जब कि बिना गोपालन के केवल खेती की औसत प्रति एकड़ रु० ५१)५६ आई है।

कई जगह यह सवाल उठाया जाता है कि हम मनुष्यों को खिलायें या गाय को खिलायें। यह सवाल ही गलत है। हम गाय को जो कुछ भी खिलाते हैं, वह अपने लिए ही खिलाते हैं, गाय पर

मेहरबानी नहीं करते। जितना उसे खिलाते हैं, उसके मुकाबले कई गुना अधिक लाभ मानव को मिलता है। जैसे खेतमें बीज बोने को धूल में अनाज फेंकना नहीं कहा जायेगा, वैसे ही गाय को खिलाना भी। गाय से खेती को लाभ है, वैसे गाय को भी खेती से लाभ है। गाय सुखमय जीवन खेत पर ही बिता सकती है। जहां खेती नहीं है, वहां चारा-दाना महंगा होगा। वहां अच्छी से अच्छी गाय का भी आज के अर्थशास्त्र में खड़ा रहना कठिन होता है। हमने वर्धा के आसपास दो-चार जगहों में, जहां खेती के लिए काफी जमीन थी, लेकिन उपज अच्छी नहीं थी, गोशालाएं खोलीं और नमीजा यह हुआ कि वहां की जमीनें उपजाऊ बन गई हैं। संघ की निश्चित राय है कि खेती और गोपालन एक दूसरे के पूरक हैं। वे साथ साथ चलने चाहिए, यानी हर किसान के पास गायें होनी चाहिए और हर ग्वाले के पास खेती की जमीन। इसी अनुभव से संघ ने गोपालन के साथ-साथ कृषि का काम भी हाथ में लिया है। और गोसेवा संघ का नाम भी कृषि-गोसेवा संघ कर दिया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी गीता में कृषि के साथ गोसेवा जोड़ी है—“कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम्।”

(५) ब्रीडिंग और कांसब्रीडिंग की मर्यादा

आज जिस प्रकार मर्यादारहित क्रॉस-ब्रीडिंग चल रहा है उससे देश को भारी हानि पहुंच सकती है। ऐसी राय अनेक अनुभवी गोपालकों एवं विशेषज्ञों की है। क्रॉस-ब्रीडिंग से लाभ भी बहुत हुआ है और आगे भी बहुत लाभ हो सकता है। हम यहां ऐसा मार्ग निकालना चाहते हैं जिससे क्रॉस-ब्रीडिंग से होनेवाले लाभ प्राप्त हो सकें और हानियां टाली जा सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ॰ स्वामीनाथन ने सुझाया है कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की आगामी कार्य-गोष्ठी में विचारार्थ एक नोट अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ की ओर से भेजा जाय। उसके अनुसार निम्न नोट विचारार्थ प्रस्तुत है।

१. गोसंवर्धन का लक्ष्य सर्वांगी हो

प्रथम यह तय करना आवश्यक है कि भारत में गो-विकास का लक्ष्य क्या हो। विदेशों में दूध और मांस का लक्ष्य रखते हुए गोसंवर्धन किया जाता है। भारत को दूध और खेती-जोत की आवश्यकता है। आज भी हमारी ८० प्रतिशत खेती बैलोंपर निर्भर है। निकट भविष्य में भी बैलों की आवश्यकता छूटनेवाली नहीं है। इसलिए हमारे गोसंवर्धन का लक्ष्य सर्वांगी होना चाहिये यानी बछड़ी अधिक दुधारू हो और बछड़ा खेती-जोत के लायक उत्तम बैल बने।

जो देश गाय को कतल करना और उसे खाना जायज मानते हैं उन देशों में एकांगी पशु चल सकते हैं। लेकिन भारत जैसा देश, जो गोसेवा को धर्म मानता है, गाय के उपकारों को स्मरण रखते हुए कृतज्ञतापूर्वक गोहत्या निषेध कानून बनाना चाहता है, उस देश में नर-मादा दोनों उपयोगी होंगे यानी नस्ल सर्वांगी होगी, तभी गोरक्षा हो सकेगी।

२. विदेशी रक्त २५ से ५० प्रतिशत के भीतर रहे

आज क्रॉस-ब्रीडिंग के जो प्रयोग चल रहे हैं उनमें ऐसा अनुभव आ रहा है कि बछड़ियों में दूध बढ़ जाता है पर बछड़ों में जोत (ड्राफ्ट) शक्ति घट जाती है। भारत को दूध भी चाहिये और जोतशक्ति भी चाहिये, इसलिए आवश्यक है कि विदेशी रक्त इतना ही आवे जिसमें बछड़ों की जोतशक्ति कायम रह सके। भारतीय कृषि उद्योग फाउन्डेशन उरुलीकांचन वालों का कहना है कि ६२.५ प्रतिशत क्रॉस ब्रीडिंग तक बैल-शक्ति भारत के योग्य कायम रहती है। उन्हीं का एक बड़ा केंद्र नासिक पिंजरापोल है। उसके संचालक श्री रामजी प्रागजी झवेरी का अनुभव है कि ५० प्रतिशत के ऊपर विदेशी खून जाता है तो बैलशक्ति बिगड़ जाती है। हमारा अपना निरीक्षण है कि बछड़ों में जोत-शक्ति कायम रखनी हो तो

विदेशी रक्त २५ से ५० प्रतिशत के भीतर रहना चाहिये। किसी भी हालत में बैल-शक्ति का घटना भारत के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। स्व० श्री जयन्तीलालजी मानकर ने लिखा है कि अमर्यादित संकरीकरण का वर्तमान स्थिति में देहातों में प्रचार करना गोवंश के नाश का मार्ग है। संकरित वछड़ों का प्रश्न गंभीर है। समतल भूमि और शहरों की सड़कों पर संभव है संकरित वछड़े मर्यादित काम दे सकें, पर देहातों में खेतों में वे कतई काम नहीं दे सकते। उनके लिए तो अकाल मौत के सिवा कोई चारा नहीं।

कई विशेषज्ञ कहते हैं कि संकरित वछड़े खेती में बराबर काम देते हैं। खेती में ठीक काम देते हों तो कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन खेती में बराबर चलते हैं या नहीं इसका निर्णय किसान का होना चाहिए। किसान पूरी कीमत देकर संकरित वछड़े खरीदने लगे तो समझना चाहिये कि वे पास हैं।

३. मान्य नस्लों पर क्रॉस-ब्रीडिंग पूर्णतया रोक जाय

भारत में कुछ नस्लें पुरातन काल से चलती आ रही हैं। हजारों वर्षों के प्रयत्न एवं जलवायु के कारण कुछ नस्लें स्थिर हुई हैं। उनमें कुछ स्थायी गुण आये हैं: जैसे गीर, थार-पारकर, हरियाणा, राठी, कांकरेज, नागोरी, मालवी, ऑंगोल, कांगायम आदि। इनमें अधिकांश नस्लें सर्वांगी हैं। कुछ एकांगी यानी वत्सप्रधान या दुग्धप्रधान हैं।

इन मान्य नस्लों का विकास भारतीय नस्लों से सिलेक्टिव ब्रीडिंग या अपग्रेडिंग के जरिये किया जाय। इससे उनके स्थायी गुणों को आंच आये बिना दूध और जोत-शक्ति दोनों की वृद्धि हो सकेगी।

आज हमारे पास हरियाणा व थारपारकर की १५-२० लीटर तक दूध और उत्तम बैल देनेवाली गायें मौजूद हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि २० लीटर तक दूध और उत्तम ब्रैल पैदा करना संभव है। विशेषज्ञों को अपनी शक्ति इसमें लगानी चाहिये।

मान्य नस्लों पर क्रॉस-ब्रीडिंग करके उनके स्थायी गुणों को नष्ट करना गोवंश तथा देश दोनों के लिए हानिप्रद है।

४. देशी के गुण कायम रखते हुए विदेशी के गुण लें, दोष टालें

श्री कनकमल गांधी के अनुसार देशी गायों में निम्न गुण हैं :

१. खेती में काम करने लायक ताकतवर ब्रैल देना।
२. दूध में घृतांश अधिक होना।
३. सूखी घास, कड़वो जैसे कम पोषणवाले चारों पर पनप सकना।

४. बीमारी कम से कम होना।

५. गरमी सहन करने की क्षमता।

६. सामान्य व्यवस्था में संतुष्ट रहने की आदत। इन गुणों को यथोचित मात्रा में कायम रखते हुए क्रॉस-ब्रीडिंग के निम्न गुण लिये जा सकते हैं :

१. बछड़ियों का जल्दी गामिन होकर २॥-३ साल के भीतर जनना।

२. हर १२ से १५ महीनों के भीतर बच्चा देना।

३. दस महीने तक लगातार दूध देना। सूखे दिन कम से कम रहना।

४. दूध अधिक मात्रा में देने की क्षमता।

५. तुलनात्मक दृष्टि से खुराक से अधिक दूध बनाने की क्षमता।

अब तक हुए प्रयोगों का अनुभव ध्यान में लेकर प्रदेश को जलवायु, मौसम की आवश्यकता को देखकर ही क्रॉस-ब्रीडिंग किया जाना चाहिए। स्थानीय खेती-जोत की आवश्यकता और उपलब्ध चारे-दाने की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि विदेशी नस्लों के मुख्य दोष—बीमारियाँ अधिक होना और नर बछड़े जोत (ड्राफ्ट) में कमजोर होना, ये दोनों दोष कैसे टाले जायें। समग्र दृष्टिसे संवर्धन होगा तभी सच्चा लाभ मिलेगा।

५. अपग्रेडिंग (भारतीय नस्लों से क्रॉस करना)

भारत की आदोहवा के अनुकूल नस्ल तैयार करनी हो तो अधिक से अधिक सहारा सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग या अपग्रेडिंग का लेना चाहिए। आज भी सर्वांगी नस्लों के उत्तम सांड सीमित मात्रा में मिल सकते हैं। उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका सीमेन भी संग्रह कर सकते हैं।

विदेशी नस्लों से ब्रीडिंग को क्रॉस-ब्रीडिंग कहते हैं, और भारतीय नस्लों से क्रॉस को अपग्रेडिंग कहते हैं। महाराष्ट्र के सातारा जिले में धोकमोड़ क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से श्री द्वारकाप्रसाद परसाई अपग्रेडिंग कर रहे हैं। उनका अनुभव है कि खिलार नस्ल पर थारपारकर सांड से अपग्रेडिंग करने पर बहुत ही अच्छे परिणाम आये हैं। इस अपग्रेड नस्ल का नाम उन्होंने खिलारथारी रखा है। खिलार का दूध ४-५ लीटर था, तो खिलारथारी का अधिकतम १४-१५ लीटर तक बढ़ा है। घृतांश भी ४।१-५ प्रतिशत है। बेल खेती के लिए उत्तम होते हैं। अतः जहां तक अपग्रेडिंग से काम चलता हो वहां अपग्रेडिंग ही किया जाय, क्रॉस-ब्रीडिंग न किया जाय।

६. सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग (चुने हुए सजातीय सांड से घनाना)

सजातीय सांड से घनाने को सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग कहते हैं। गौर नस्ल पर सजातीय ब्रीडिंग के प्रयोग उरुलीकांचन



गुरु भगवत वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय



1657

आश्रम ने बहुत अधिक किये हैं। उनके परिणाम भी उत्तम थे, लेकिन वे अधिक लोभ में पड़कर क्रॉस-ब्रीडिंग अपनाने लगे हैं। कस्तूरवा कृषि क्षेत्र, इंदौर में भी सजातीय क्रॉस के गीर नस्ल पर प्रयोग हुए हैं और आज भी चल रहे हैं। उनकी रिपोर्ट है कि क्रॉस ब्रीड गायों की अपेक्षा उनके यहां की सजातीय क्रॉस गायें अधिक अच्छी और लाभदायी हैं। सजातीय ब्रीडिंग में सबसे बड़ा लाभ यह है कि हजारों वर्षों से जो गुण स्थिर हुए हैं वे कायम रहते हैं। सिक्खों के सद्गुरु मयनीसाहव में हरियाना नस्ल का संवर्धन सजातीय ब्रीडिंग से करते हैं। सारे भारत में देखने लायक आदर्श गायें वहाँ हैं।

७. क्रॉस ब्रीडिंग — नानडिस्क्रीप्ट गायों पर

भारत में मान्य नस्लें तो बहुत थोड़ी हैं। बीस-पचीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। अधिकांश गायें तो नान-डिस्क्रीप्ट यानी बिना किसी खास नस्लों की हैं। उन गायों पर क्रॉस-ब्रीडिंग किया जा सकता है। इन गायों पर क्रॉस ब्रीडिंग किया जाय तो दूध भी बढ़ेगा और बल-शक्ति भी कायम रखी जा सकेगी। कुछ वर्षों के बाद जरूर क्रॉस ब्रीडिंग को मर्यादित करना पड़ेगा। नानडिस्क्रीप्ट गायें ७५-८० फीसदी होंगी। विशाल क्षेत्र में इन गायों पर क्रॉसब्रीडिंग और अपग्रेडिंग दोनों तरह के प्रयोग हो सकते हैं। इनके पीछे जितनी भी शक्ति खर्च की जायगी लाभ ही होगा।

क्षेत्र के क्षेत्र चुनकर पूरे क्षेत्र में संवर्धन होगा तो अधिक स्पष्ट परिणाम निकल सकेंगे।

(६) गाय बनाम भैंस

आज भारत में गाय और भैंस के संबंध में दुविधा चल रही है कि किसको तरजीह दी जाय। हम कुछ ऐसे पसोपेश में पड़े हैं कि इधर गाय को भी बढ़ावा देते हैं, उधर भैंस को भी बढ़ावा देते हैं। नतीजा यह होता है कि न पूरी तरह से गाय बढ़ पाती है, और

न भैंस बढ़ पाती है। एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत में हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम गाय और भैंस दोनों को साथ-साथ पाल सकें।

पशुओं से राष्ट्र की दो अपेक्षाएं हैं। पहली, अन्न-उत्पादन अर्थात् खेती-जोत की, और दूसरी दूध की। दूध की आवश्यकता भैंस पूरी कर सकती है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भी सारे देश की खेती-जोत की आवश्यकता भैंस से पूरी नहीं हो सकती, यह तथ्य है। दस-बीस प्रतिशत खेती का काम ट्रैक्टर से पूरा कर भी लिया, तो भी आनेवाली कई पीढ़ियों तक खेती के लिए बैलों की जरूरत रहेगी ही।

गोवंश से ये दोनों काम पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक खेती-जोत का प्रश्न है, बैल से आज वह आवश्यकता पूरी हो रही है। शास्त्रीय संवर्धन से बैल-शक्ति बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे, तो जोत-शक्ति में जो कमी पड़ती है वह भी पूरी हो सकती है। जहाँ तक दूध का सवाल है, यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि भैंस के मुकाबले गाय में दूध देने की शक्ति बहुत अधिक है। आज की गायें दूध कम देती हैं यह सही है। लेकिन अच्छे संवर्धन और अच्छी खुराक से गायों का दूध काफी बढ़ सकता है। आज प्रत्यक्ष अनुभव भी यही है। गायों में जो कमी है, वह एक ही बात की है कि गोदूध में घी का प्रतिशत कम है। भैंस के दूध में सबसे बड़ा आकर्षण घृतांश का अधिक होना है। जब हम यह मान लेते हैं कि गाय में दूध भैंस के मुकाबले डेढ़-दुगुना हो सकता है, तो यह भी मान लेना चाहिए कि गोदूध में घृतांश का प्रतिशत कम होने पर भी टोटल फैट भैंस के मुकाबले कम नहीं रहेगी। सब दृष्टियों से राष्ट्र की शक्ति गोपालन-गोसंवर्धन में लगेगी तभी देश आगे बढ़ सकेगा।

(७) अंत्योदय (किसान की गाय को बढ़ावा देना)

भारत में दूध-उपलब्धि का प्रश्न शहरों की कुछ गायों को तीन चार हजार लीटरवाली करने से हल नहीं होगा। आवश्यकता है करोड़ों गायें प्रति व्याप्त ५०० लीटर से भी कम दूध देनेवाली

हैं उनका संवर्धन करके उनमें प्रति व्यात १००० से १५०० लीटर तक दूध बढ़ाया जाय। गोसंवर्धन के क्षेत्र में भी अंत्योदय का सिद्धांत लगाना होगा। जो गायें सबसे कम दूध देनेवाली हैं, उनका संवर्धन प्रथम किया जाय। वे इतनी गिर चुकी हैं कि उनका दूध ३-४ गुना बढ़ाना बहुत कठिन नहीं है। भारत जैसे विशाल और देहातों में बसनेवाले देश के लिए सही दिशा में वही काम होगा जो अंतिम गाय को उठायेगा।

आज तो सभी क्षेत्र में केवल धनी और मध्यम वर्ग की सेवा चली है। शहरों में दूध सप्लाय करने के अलावा गोसंवर्धन का कोई लक्ष्य नहीं माना जाता। पशुपालन में होनेवाला अधिकांश खर्च केवल शहरों की सेवा के निमित्त हो रहा है। देहात के किसान की, उसकी खेती की, उसमें भी अंतिम किसान की, कहीं कोई पूछ नहीं है। क्या हम आशा करें कि हमारे विशेषज्ञ और राजनेता सही दिशा में सोचना आरंभ करेंगे और ठोस कदम उठावेंगे?

(८) शहरों से दुधारू पशुओं को हटाना

गोवंश के पतन के कारणों की जांच करने से पता चलता है कि उत्तम दुधारू नस्ल का विनाश बड़े बड़े शहरों में हो रहा है।

बड़े-बड़े शहरों में दूध के लिए अच्छी-से-अच्छी गायें ले जाते हैं और दूध कम होते ही वे गायें कसाई के हाथ बेच दी जाती हैं। इस तरह से भारत का अच्छे-से-अच्छा गोधन इन शहरों की बलिवेदी पर नष्ट हो रहा है। गोसेवा संघ ने बाबू राजेन्द्रप्रसादजी की अध्यक्षता में सन् १९४९ में इस विषय की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने कलकत्ता और बंबई दो जगह की जांच की। जांच में यह पाया गया कि बड़े शहरों में गायों की हालत बहुत बुरी रहती है। न उनके निवास के लिए पूरा स्थान होता है, न दिन में घूमने का स्थान होता है। बछड़े-बछड़ियों को मार दिया जाता है। उन्हें खिलाने-पिलाने में जितना खर्च होता है, उतनी उनकी कीमत नहीं आती। गायों को धनाने के लिए सांड की कोई सुविधा नहीं रहती। कृत्रिम उपायों से इतना दूध निकाला

जाता है कि गाय जल्दी गरमाती भी नहीं। अक्सर दूध बंद होने के बाद गाय कसाई के हाथ बेच दी जाती है। सूखी गाय को ब्याने तक आठ नौ महीने रखने-खिलाने में जितना खर्च होता है, उससे कम कोमत में नयी गायें खरीद लेते हैं और पुरानी कसाई को बेच देते हैं। इस तरह देश की अच्छी-से-अच्छी दुधारू गायें और उनकी संतानें नष्ट कर दी जाती हैं। देश के बढ़िया गोधन के विनाश का सबसे बड़ा कारण यही है।

इस विनाश को रोकने के लिए संघ की यह स्पष्ट राय है कि बड़े शहरों में दुधारू पशुओं का रखना कतई बंद कर देना चाहिए। जिन लोगों के पास बहुत खुली जमीन हो और जो लोग दूध सूखने पर भी गाय का पालन करने में समर्थ हों, ऐसे कुछ लोगों को अपवाद के तौर पर इजाजत दी जा सकती है। शहरवालों को चाहिए कि शहरों में पशु रखने के बदले देहातों से दूध शहरों में लाने का इन्तजाम कर लें। मोटर आदि से सौ डेढ़ सौ मील दूर से दूध लाया जा सकता है। गाय-भैंस तो वहीं रहनी चाहिए, जहां खेती की जमीन है, चारा-पानी सस्ता है और जहां सूखे जानवर को पालने में आसानी है। ऐसे स्थानों पर गाय रखने से गाय बचेगी, खुली हवा में फिरनेवाली गाय का दूध भी अच्छा मिलेगा, खेती को अच्छी खाद मिलेगी, खेती की उन्नति होगी, अनाज की उपज बढ़ेगी, शहरों के बाहर गाय-भैंस के चले जाने से शहरवाले गोबर और गोमूत्र की गंदगी से तथा बीमारियों से बचेंगे एवं खेतों में घूमनेवाली गायों का स्वास्थ्यप्रद दूध मिलेगा। यही ऐसा तरीका है, जिसमें गाय और शहरवाले, दोनों का लाभ है, दोनों बच सकते हैं।

(९) बूढ़े व अनुत्पादक पशु

बूढ़े पशुओं के लिए दूर जंगलों में जहां पर्याप्त चारा व पानी हो वहां गोसदन कायम किये जायें। वहां सांड न रखा जाये। इससे बेकार पशुओं की उत्पत्ति रुक जायेगी। वहां चर्मालय रहे, उसमें चमड़ा निकालने की, कमाने की तथा हाड़-मांस, चरबी, सब चीजों

का पूरा-पूरा उपयोग करने की व्यवस्था हो। वहां खेती भी हो, ताकि गोबर व गोमूत्र के खाद का पूरा लाभ मिल सके। गोसदन स्वावलंबी तो नहीं चल सकते, लेकिन जंगलों में खर्च में काफी किफायत हो सकेगी तथा देहातों के तथा शहरों के उपयोगी पशुओं के लिए चारा अधिक मिल सकेगा। खर्च कम करने के सारे तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद भी गोसदनों पर जो खर्च होगा, वह भी काफी होगा। वह कहां से आये यह सवाल रहता है। आज बड़े-बड़े शहरों में व्यापारियों ने स्वयं प्रेरणा से व्यापार पर धर्मादा के नाम से गोरक्षण के खर्च के लिए लाग-वाग लगा रखी है, उन लाग-वागों को कानूनी बना दिया जाये। जिन शहरों में ये लाग-वाग न हों वहां भी लगाई जा सकती हैं। जहां स्थानीय गोरक्षण संस्था चलती हो, वहां आधी आमदनी उसे दे दी जाये व आधी गोसदनों के लिए रहे। जहां गोरक्षण संस्था न चलती हो, वहां की पूरी आमदनी गोसदनों के लिए रखें। इस तरीके से काफी हद तक स्थायी व्यवस्था हो सकती है। इस व्यवस्था के बाद भी यदि सरकारी सहायता की जरूरत रहेगी तो उतनी सहायता सरकार को देनी होगी।

बूढ़े पशुओं का प्रश्न सदा रहेगा और उनका हल भी गोसदनों से ही हो सकेगा। बहुत से बूढ़े पशुओं को तो लोग अपने आप ही पाल लेंगे, क्योंकि वह अधिक दिन नहीं जीते। उनसे जन्मभर आमदनी भी मिल गई होती है। लेकिन जो पशु अभी जवान होने से खाते हैं अधिक, पर उत्पादन कम देते हैं, ऐसे अनुत्पादक पशुओं का प्रश्न बड़ा कठिन है। उसको हल करने के लिए दो तरीके सोचे हैं:

(अ) रद्दी सांडों को वधिया कर अच्छे सांडों से ही संतति ली जाय, ताकि नई पीढ़ी में दूध बड़े व बैल अच्छे निकलें एवं नई पीढ़ी अनुत्पादक न रहे।

(आ) ऐसे कम उत्पादक पशुओं में गायें ही अधिक होती हैं। बैलों से तो काम मिल ही जाता है। ऐसी गायों से जोतने का काम लिया जाये, तो कुछ हद तक समस्या हल हो सकती है।

आज मैसूर राज्य में इस तरह गायों से काफी तादाद में खेत जोतने का काम लिया जाता है। बैलों की बराबरी में भी जोत देते हैं। लेकिन भारी तथा पानी खींचने आदि के अधिक शक्तिवाले काम नहीं लिये जाते।

इस विषय में अभी सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है कि इसका गाय के दूध-उत्पादन व प्रजोत्पादन पर क्या असर होता है। पूरी तरह से शास्त्रीय संशोधन के बाद ही इसका प्रचार किया जा सकता है।

(१०) गांव गांव गोसदन

हर प्रकार से गांव स्वावलंबी व सक्षम बने, यह ग्राम स्वराज्य की बुनियाद है। आज तक परिवार यूनिट रहा है, गांव की कोई पूछ नहीं। अब आवश्यकता है कि गांव का यूनिट बने, यानी गांव इकाई माना जाय एवं गांव सक्षम हो। गांव का जो उत्तम गोधन है, जिनसे आर्थिक लाभ होता हो वे पशु किसान-गोपालकों के पास रहें एवं जो गायें बूढ़ी हैं या जवान होने पर भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनकी संभाल गोसदन करें। इन गायों में भी बूढ़ी गायों को जंगलों के बड़े गोसदनों में भेज सकते हैं। जो जवान गायें प्रजनन योग्य हों उनसे ब्रीडिंग द्वारा उत्तम नस्ल ली जाय एवं जो प्रजनन योग्य न हों, पर सशक्त हों उनसे खेती-जोत का काम लिया जाय। इस प्रकार गोसदन का भार जितना भी हलका कर सकें करने का प्रयत्न किया जाय। फिर भी सारे बेकार पशुओं का भार अकेली ग्रामसभा संभाल सके यह कठिन होगा, इसलिए आवश्यक है कि जिला परिषद और राज्य सरकारों से उसे सहायता मिले। जमीन, आंशिक सहायता तथा पशुचिकित्सा संबंधी सहायता राज्य सरकारों से मिलनी चाहिए। इस प्रकार विवेकयुक्त गोसदन चलाये जायेंगे तो उनका भार भी गांव पर नहीं पड़ेगा और उन्हें कलखाने भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। गोवध-बंदी के कारण सबसे अधिक भार इन गोसदनों पर आयेगा। जंगलों में बड़े बड़े गोसदन चलाने की कल्पना है ही। लेकिन इतने बेकार पशु इन थोड़े से गोसदनों में

कैसे समायेंगे ? गांव-गांव में गोसदन हों यह संत विनोबाजी का नया सुझाव है। इस कल्पना के अनुसार गांव-गांव अपने बेकार पशुओं को संभाल सकेगा तो अवश्य ही गोवध-बंदी सफल होगी, गोसंवर्धन बढ़ेगा।

(११) पशुखाद्य का निर्यात बंद हो

विदेशी मुद्रा आयोजित करने के लोभ में भारत से बड़ी मात्रा में पशुखाद्यों का, खासकर खली का विदेशों में निर्यात होता है। देश में जितने पशु हैं, उसके मुकाबले पशुखाद्य की कमी है यह निर्विवाद बात है। लेकिन मनुष्य का स्वार्थ उसे कहाँ ले जाता है इसकी कोई सीमा नहीं। कृषि मंत्रालय के एक सचिव कहते हैं कि पशुखाद्यों की बहुत कमी है, इसलिए निर्यात बंद होना चाहिए। उधर प्रॉडक्शन सचिव कहते हैं कि खली का निर्यात जरूरी है, नहीं तो खली के भाव गिर जायेंगे। उसका असर उत्पादकों पर पड़ेगा और परिणाम-स्वरूप मूंगफली एवं तिलहनों का उत्पादन कम हो जायेगा। बुद्धिमान लोग अनुकूल-प्रतिकूल जैसा मानस हो दलीलें देते रहते हैं। निर्यात से केवल शहरी व्यापारी और कारखानेवालों का स्वार्थ सघता है।

वास्तविक स्थिति यह है कि पशुखाद्यों की देश में कमी है। निर्यात बंद हुआ तो भारत के पशुओं को वह खाद्य मिलेगा, उससे पशुओं का स्वास्थ्य सुधरेगा, दूध अधिक मिलेगा, खेती में जोतशक्ति अधिक मिलेगी, इसके अलावा खाद भी अधिक मिलेगा। इस प्रकार खली के निर्यात से जितनी आमदनी होती है उससे कई गुना अधिक आमदनी निर्यात बंद होनेसे होगी। अतः कृषि-गोपालन को नुकसान पहुंचानेवाली निर्यात की नीति अविलम्ब बंद होनी चाहिए।

(१२) चारे-दाने का प्लेनिंग हो

गोसंवर्धन के लिए उत्तम सांड की, उत्तम बीज की आवश्यकता है इसे सभी मान्य करते हैं। लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता पशु-खाद्यों के बढ़ाने की है। यदि खाना पूरा नहीं मिलेगा तो नस्ल-सुधार भी व्यर्थ जायेगा। बिना खुराक के केवल शरीर का दूध नहीं बनता है। आज जो भी गायें जैसी भी हैं उनका नस्ल-सुधार

किए बिना भी खाना पर्याप्त देंगे तो दुगुना तिगुना दूध तो बढ़ ही जायेगा और बैलशक्ति भी बढ़ जायेगी। हमारा अनेक वर्षों का अनुभव है कि खुराक अच्छी मिलने पर यहाँ गोपुरी में तीन गुना तक दूध बढ़ा है। उसके बाद आगे जाने के लिए नस्ल-सुधार की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी मर्यादा आती है, जिसके बाद केवल खुराक से दूध नहीं बढ़ता। उस समय अच्छे बीज की जरूरत पड़ती है। अनुभव से सिद्ध है कि खुराककी आवश्यकता पहली आवश्यकता मानी जायेगी।

सारे देश में मनुष्य-खाद्यों के लिए प्लेनिंग किया जाता है, ताकि इसी जमीन में से आवश्यक खाद्य पदार्थ मिल जायें। उसी प्रकार पशु-खाद्यों का भी यानी चारे-दाने का भी प्लेनिंग अनाज के प्लेनिंग के साथ साथ होना चाहिए। मनुष्यों के लिए ऐसे ही अनाज बोये जायें जिससे पशुओं को भी अच्छा चारा मिल सके। पशुओं के लिए ऐसे चारेकी खेती होनी चाहिए जैसे वरसीम, जई आदि, जिनके देने से दाने की कम जरूरत पड़े। तिलहनों में से तेल भी उतना ही निकालना चाहिए जितना पशुओं के लिए अनावश्यक माना जाय। बाकी खली में रहने देना चाहिए। इस प्रकार अन्न-धान्य और चारा-दाना दोनों का सम्मिलित प्लेनिंग हो। और यह काम भी प्लेनिंग कमीशन करे।

(१३) गोदूध की खरीद उचित भाव में हो

आज भारत में, खासकर सरकारी-गैरसरकारी एवं सहकारी डेरियों में घृतांश के आधार पर दूध खरीदी के भाव निश्चित किये जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि गोदूध को बहुत ही कम भाव मिलता है और भैंस-दूध को गोदूध से ड्योढ़ा पीने दोगुना भाव मिलता है। परिणाम यह होता है कि गोपालक जी नहीं सकते और उन्हें मजबूरी से गाय छोड़कर भैंस पालनी पड़ती है। आज हम देख रहे हैं कि बंबई, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि जहाँ-जहाँ भी घृतांश के आधार पर दूध-खरीदी के भाव रखे गये हैं, वहाँ वहाँ डेरियों के आसपास गायें समाप्त हुई हैं और भैंसें बढ़ी हैं।

घृतांश के आधार पर भाव रखने में एक बड़ी भूल यह भी है कि दूध में घृतांश को ही हम सबसे कीमती वस्तु मानते हैं और बाकी तत्वों (दूध) को गौण। यह शोषण का व्यापारी तरीका है। वास्तविक पोषण की दृष्टि से देखा जाय तो घृतांश की कीमत एक-तिहाई और बाकी के तत्वों की (दूध की) कीमत दो-तिहाई मानी जायेगी। राष्ट्रीय योजना में राष्ट्र को देश का पोषण देखना चाहिए। इसलिए यह तय करना आवश्यक है कि गोदूध को किसी प्रकार भी भैंस के दूध से कम भाव न मिले। खुशीकी बात है कि इस दृष्टिकोण को महाराष्ट्र सरकार ने समझा है। भारतीय कृषिउद्योग संस्थान उरलीकांचन के सतत प्रयत्नों से यह काम हुआ। दोनों ही धन्यवादके पात्र हैं। महाराष्ट्र सरकार साढ़े चार प्रतिशत घृतांश और साढ़े आठ प्रतिशत एस० एन० एफ० टोटल सोलीड्स १३ प्रतिशत का गोदूध और ७ प्रतिशत फैट, ९ प्रतिशत एस० एन० एफ० यानी टोटल सालोड्स १६ प्रतिशत का भैंस दूध, दोनों का खरीद-भाव समान देती है। तीन-चार साल से यह योजना चल रही है। उसका परिणाम यह हुआ है कि महाराष्ट्र में काफी मात्रा में गोपालन बढ़ा है। उरलीकांचन संस्था का दावा है कि सरकार की दूध-खरीदी की समानता की नीति चलती रही तो दस साल में सारे महाराष्ट्र में गोदूध ही गोदूध हो जायेगा। सर्वत्र गायें फलेंगी-फूलेंगी और सारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी। महाराष्ट्र के अनुभव का लाभ उठाकर सारे भारत को इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए। उत्तम मार्ग तो यही है कि गोदूध और भैंस-दूध के भाव समान हों। उत्पादन खर्च की दृष्टि से यह माना जा सकता है कि गोदूध उत्पादन का खर्च कुछ कम आता है। इसलिए गोदूध के भाव भैंस-दूध के मुकाबले दस प्रतिशत तक कम रखना हो तो रखे जा सकते हैं। लेकिन पिछले ३० वर्षों में गाय के साथ भारी अन्याय हुआ है। गाय को ४०-५० प्रतिशत तक मार पड़ी है। इतनी मार के कारण भैंस के मुकाबले गाय खड़ी हो न रह सकी। भैंस को ३० वर्षों तक इतनी बढ़ोतरी देने पर भी उसकी प्रगतिकी सीमा आ गई। इसलिए अब विशेषज्ञ

भी गाय की ओर मुड़े हैं। गोदूध को अधिक भाव देना चाहिए इस तथ्य को विशेषज्ञ भी समझने लगे हैं। यह भी समझ गये हैं कि गोदूध को अधिक भाव नहीं मिलेगा तो उनके क्रॉस ब्रीडिंग के सारे कार्यक्रम फेल होनेवाले हैं।

खुशी की बात है कि डेरियों के हिमायती, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ० कूरियन ने भी इस तथ्य को माना है कि आज दुग्ध खरीदी की जो नीति है उसमें गाय के प्रति भारी अन्याय हो रहा है। इसलिए उन्होंने प्रथम कदम के तौर पर यह स्वीकार किया है कि गोदूध (४ प्रतिशत फैट) के और भैंस दूध (७ प्रतिशत फैट) के खरीद भावों में १५-२० प्रतिशत से अधिक अंतर न हो। आज तो ४० प्रतिशत से भी अधिक अंतर है। इसलिए डा० कूरियन के इस प्रथम कदम का स्वागत है। लेकिन अंत में तो समान भावों पर ही आना होगा, तभी गाय बढ़ेगी और राष्ट्र का खेती-जोत और घी-दूध का प्रश्न हल होगा।

(१४) गोदुग्ध प्रसार

दुनिया का यह नियम है कि जिस वस्तु की मांग बढ़ती है वह दुनिया में अधिक पैदा होने लगती है और जिसकी मांग घटती है, उस वस्तु का लोप होता जाता है। हम चाहते हैं कि गाय का हमारे परिवार में स्थान हो, तो उसे अपने नित्य के जीवन में स्थान देना चाहिए। यानी अपने घर में गाय रखकर गोपालन करना चाहिए। ऐसा संभव न हो सके तो कम से कम इतना आग्रह तो रख ही सकते हैं कि अपने घर में केवल गोदूध का ही इस्तेमाल करें। बड़े शहरों में गोदुग्ध उपलब्ध होने में कठिनाई होती है, फिर भी हमारी गोदूध की मांग सतत बनी रहेगी तो आज नहीं तो कल गोदूध अवश्य मिलने लगेगा। 'नेसेसिटी इज दी मदर आफ इनवेनशन।'।

यह एक तथ्य है कि अपने घर में भैंस का दूध लेंगे तो उन पैसों से भैंस को ही चारा मिलेगा। यदि गोदूध लेंगे तो गाय को चारा-दाना मिलेगा। हम पूजा करें गाय की, टीका लगायें गाय को, गीत गायें गाय के और खाना दें भैंस को, तो गाय कभी नहीं पनप

सकती, यह ध्रुव सत्य है। पू० गांधीजी ने १९२५ में गोसेवा का काम संभाला तब सर्वप्रथम यह आग्रह रखा कि गोरक्षा मंडलके सदस्यों को गाय के ही घी-दूधका इस्तेमाल करना चाहिये। जो वैसा नहीं कर पाये उन्हें सदस्यता से मुक्त रखा गया। आचार्य काका साहव कालेलकर, पू० विनोबाजी, डा० राजेन्द्रप्रसादजी, माता जानकी देवी वजाज आदि ने उस दिन से आज तक जीवनभर गोव्रत-पालन किया और कर रहे हैं।

गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है यह निर्विवाद सत्य है। डॉक्टर-वैद्य बीमारोंके लिए गोदूधका सेवन ही हितकर बताते हैं। वच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों के लिए तो गोदूध अमृत है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद ने भी एक राय से निर्णय दिया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए गोदूध सर्वोत्तम है। उसमें ३॥ व ४ प्रतिशत घृतांश की मात्रा है। उतनी मानव के लिए पर्याप्त है। उससे अधिक घृतांश मानव के लिए हितकारी नहीं है। आज सारी दुनिया की ओर नजर दीड़ायेंगे तो देखेंगे कि अमरीका, इंग्लैंड, यूरोप, रशिया आदि बड़े से बड़े विकसित देशों में केवल गायें ही रखी जाती हैं एवं गोदूध-गोघृत का ही इस्तेमाल होता है। अगर दुनिया चाहती और भैंस के दूध में राष्ट्र का भला देखती तो वे भैंस रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इरादापूर्वक केवल गायें ही रखी हैं।

जो गोसेवा चाहते हों उनका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने घर में गोदूध का इस्तेमाल करें और अन्य मित्रों को भी गोदूध के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करें। जिनके लिए संभव हो वे स्वयं अपने घर में गाय रखकर उसकी सेवा करें और घर का दूध पीयें। जिनके लिए घरों में गायें रखना संभव नहीं हो ऐसे ५-२५ मित्र मिलकर शहर के बाहर दूर देहातों में सहकारी डेरी फार्म चला सकते हैं और उसका दूध सब मित्र स्वयं ले सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। यह भी संभव न हो तो उन डेरियों से ले सकते हैं जहां शहरों से दूर गायों को खुले में घूमने-फिरने को सहूलियत हो एवं जिनका दूध पूरा साफ-सफाई तथा शुद्धता के साथ आता हो।

आज बड़े शहरों में जो डेरी प्लान्ट्स हैं उनमें शुद्ध गोदूध शायद ही कहीं मिलता हो। गोसेवकों की गोदूध की मांग सतत बनी रही तो इन डेरीवालोंको भी अलगसे शुद्ध गोदूध देने की प्रेरणा मिलेगी। गोदूध से हमारा अपना स्वास्थ्य सुधरेगा, अपने परिवारवालों का स्वास्थ्य सुधरेगा, भावी संतान का स्वास्थ्य सुधरेगा एवं सारे राष्ट्र में गोसंवर्धन का विकास होकर गांव गांव में बहुतायत से गोदूध मिलने लगेगा। यह सारी सपने की-सी बात है, लेकिन वह जमीन पर उतर सकती है यदि हममें निष्ठा के साथ प्रयत्न करने की दृढ़ता हो।

अ० भा० कृषि-गोसेवा संघ गोपुरी, वर्धा की गोसेवा नीति का संक्षेप में विवेचन देने का यह प्रयास मात्र है। अनुभव के आधार पर इसमें विकास होता ही रहेगा।

राधाकृष्ण बजाज

अपग्रेडिंग बनाम क्रॉसब्रीडिंग

खिलार—थरपारकर गाय

[वनवारीलाल चौधरी]

गाय भारतीय खेती की रीढ़ है। अतः गोसंवर्धन, गोवंश की उन्नति में भारतीय कृषि की, ग्राम-जनता की एवं राष्ट्र की उन्नति निहित है। दुर्भाग्य से भारत सरकार की गोसंवर्धन की स्थिर नीति नहीं रही। मात्र शहरों की जनता को सस्ता दूध मिले इसके लिए 'स्वैत आन्ति' के बड़े नाम से प्रयत्न किये जा रहे हैं। विदेशी नस्लों की दुग्धक्षमता आकर्षक है, इससे हम ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि भारतीय शुद्ध नस्लों की दूधक्षमता को भूल ही जाते हैं। दूध-प्रति-योगिताओं में भारतीय गायों ने ५० पौंड से अधिक दूध दिया है। आजकल न मालूम क्यों इसे ओझल करके ही विचार किया जा रहा है। शासकीय विभागों द्वारा विदेशी संकर नस्ल के प्रजनन पर जोर दिया जा रहा है। फिर भी हर्ष की बात है कि अभी भी कई जगह इस अन्धकार में भी आलोक की झलक मिलती है। सर दोराबजी टाटा

ट्रस्ट द्वारा सातारा जिले में किये जानेवाले प्रयोग इसका नमूना है। श्री द्वारकाप्रसाद परसाई पिछले १९ वर्षों से इस कार्य में लगे हैं।

सातारा (महाराष्ट्र) क्षेत्र में स्थानीय गाय "खिलार" नस्ल की है, जो खेती के काम और छकड़े में जोतने के लिए एक उत्तम जाति है। इसके बैलों का अपना एक आकर्षक सौंदर्य है। वे अपने मालिकों के समान ही तेज-तर्रार होते हैं। स्थानीय घासपात पर पलने के वे आदी हो गये हैं। एक कमी है—दूध कम देना। यह कमी मिटाई जा सकती है। गोप्रजनन केन्द्र धोकमोड़ ने यह कार्य सफलतापूर्वक किसानों की गायों में किया है। इसकी पद्धति निम्न प्रकार है:

(१) स्थानीय अच्छी गायें चुनना। चुनाव में बैल-उत्पादन और दूध-उत्पादन, दोनों लक्षणोंवाली गायें ली जायें। दोनों लक्षणोंवाली एवं अधिक दूध देनेवाली देशी नस्ल से संकरण करना, इसे अपग्रेडिंग कहते हैं और विदेशी नस्ल से संकरण को क्रॉसब्रीडिंग कहा जाता है।

(२) खिलार का थरपारकर से अपग्रेडिंग

धोकमोड़ में खिलार का अपग्रेडिंग थरपारकर नस्ल के साथ किया गया। इस प्रयोग से खिलार-थारी संकर नस्ल बनी। यह नस्ल सर्वांगी है अर्थात् गायें दुधारू हैं एवं बछड़े खेती के काम में मजबूत हैं। दूध की पूरे व्याप्त की दैनिक औसत ४ से ५ लीटर है, जब कि एक दिन का अधिकतम दूध-उत्पादन १४ से १६ लीटर तक गया है।

इधर के एक किसान श्री शंकरराव ने वंगलौर से होलस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय रु. ६००० में खरीदी थी। उसीने खिलार-थारी बछड़ी रु. ५०० में खरीदी थी, जिसका मूल्य गाय बनने तक रु. २००० पड़ गया। इन दोनों गायों का तुलनात्मक विवरण ग्रामविकास के संचालक श्री सुरेश सूरतवाला ने निम्नानुसार दिया है:

होलस्टीन-फ्रीजियन रु. ६०००

खिलार-थारी रु. २०००

(१) दूध: तीन बार में

१०॥ लीटर

९ लीटर

- (२) व्यवस्था : गोशाला में
वांछकर रखना चरागाह में चरने छोड़ना
- (३) चारा : अच्छा चारा चाहिए स्थानीय घास-पात से काम चलता है।
- (४) धूप-गरमी सहने में सुकुमार धूप-गरमी आसानी से सह लेती है।
- (५) बछड़े : बछड़े को कोई पृच्छता
नहीं बछड़े खेती के लिए पूर्ण लायक।
- (६) घृतांश : २.५ से ४.० प्रतिशत ४.५ से ६.५ प्रतिशत।
- (७) बीमारी : कस्तूरवाग्राम का अनुभव है कि देशी नस्ल की तुलना में विदेशी नस्लें अधिक बीमार होती हैं। अतः विदेशी गायों का औषधिखर्च अधिक होता है। देशी गायों का मृत्यु-प्रतिशत भी कम है।
- (८) खुराक : मक्का, सोयाबीन, चुन्नी आदि दाना, जो मानव के खाद्य में आ सकता है, वह विदेशी गायों को अधिक व देशी को कम देना पड़ता है।
- (९) लाभहानि : देशी गाय के दूध का मूल्य घृतांश अधिक होने के कारण कुछ अधिक मिलेगा, खर्च कुछ कम आवेगा, पूंजी भी देशी गाय में कम लगेगी, कुल मिलाकर अपग्रेडिंग की हुई देशी गाय सदा लाभदायी होगी।

धोकमोड़ प्रयोग का सारांश

गत शताब्दी में देश में घी, दूध की नदियां भारतीय गोनस्ल के आधार पर ही बहती थीं, अर्थात् भारत की गोनस्लों में यह क्षमता है। साथ ही खेती के कार्य का भार भी वे वहन करने योग्य हैं। इनकी अवहेलना और अन्य कुछ कारणों से गोनस्ल का ह्रास हुआ है। विज्ञान के ज्ञान और अनुभव के आधार पर इन नस्लों में वांछनीय गुण सम्मिलित किये जा सकते हैं। यह कगना ही भारत के लिए गोसंवर्धन की उत्तम नीति है।

विदेशी नस्लों के गुणों का भारतीय नस्लों में हितकर सम्मिलन की संभावनाओं को ओझल न करें, परन्तु यह संकरण-कार्य नियंत्रित हो। प्रयोग के रूप में शासकीय प्रबन्ध या संस्था विशेष के अधीन हो, इसका वर्तमान गड़ड़म-गड़ड़ा रूप वर्जित हो।

विदेशी नस्ल के संकरण-कार्य को गोसंवर्धन में रामबाण न मानें। देशी नस्लों के उत्तम गुणों के सम्मिलन की उत्तम संभावनाओं को अनदेखा न किया जाय। (सं० प्रे० सं०)

क्रॉस ब्रीडिंग के मुकाबले अपग्रेडिंग सुलभ व लाभप्रद

[गोविंद कुददी मेनन]

कस्तूरवाग्राम कृषि क्षेत्र में गोसंवर्धन पर हम अपनी गोशाला में विगत २० वर्षों से वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग तथा परीक्षण कर रहे हैं।

कस्तूरवाग्राम की गोशाला में हमने देशी तथा विदेशी दोनों नस्लों के जानवरों को रखकर प्रजनन, संकरण, आहार आदि के प्रयोग मुख्य रूप से कांकरेज, मालवी, गीर एवं रेड डेन, जरसी, होस्टीन, फ्रीजियन आदि नस्लों के जानवरों पर किये। हमारे अनुभव निम्न प्रकार हैं:

क्रॉस ब्रीड गायों का अनुभव

विदेशी नस्लों में उचित देखभाल तथा संतुलित आहार के माध्यम से गायों के दूध में आशाजनक सफलता मिली। २७ लीटर के दूध उत्पादन स्तर तक हम पहुँच गये थे। क्रॉसब्रीड के परिणाम भी आहार, पोषण एवं उचित डाक्टरी सेवा के द्वारा हमारे यहाँ काफी आशाजनक रहे। जहाँ तक क्रॉसब्रीड जानवरों का प्रश्न है, यदि इनकी उचित देखभाल, आहार, पोषण, उपचार आदि की वैज्ञानिक व्यवस्था रहे तो दूध की दृष्टि से ये जानवर उपयुक्त हैं, किन्तु यदि आहार, पोषण और बीमारी का ठीक से इलाज नहीं हुआ तो इन जानवरों से दूध भी नहीं मिलेगा और जानवर बचेंगे भी नहीं।

१. दूध: इनका औसत दूध ३६५ दिन में ४००९ लीटर रहा।

२. मेच्यूरिटी: आम तौर से पहिला बच्चा २॥ साल में देती है।

३. ड्राय पीरियड: इनके सूखे दिन कम होते हैं। आवश्यक है कि ६० दिन सूखा रखा जाय, वरना ये अगले बच्चे तक दूध देती रहती हैं।

४. बीमारियाँ: इनमें बीमारी एकाएक आती है। तुरंत उपचार न हो सका तो इन्हें बचाना संभव नहीं होता। इनकी बीमारी जल्दी पहचानी नहीं जाती। देशी पशु की तरह ये खाना बंद नहीं करतीं। दूसरे जानवरों के रोग इन्हें जल्दी लगते हैं।

५. बैलशक्ति: इनके बैलों पर मौसम का असर बहुत होता है। गरमी के दिनों में इनकी कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है एवं इनसे अधिक वजन नहीं खींचा जाता।

६. मौसम का असर: इन गायों पर मौसम का असर बहुत होता है। मौसम के अनुसार आहार परिवर्तन न किया तो इनके दूध-उत्पादन में बहुत अंतर पड़ जाता है।

७. खुले में चरना: इन गायों को चरने छोड़ा जाय तो इनके स्वास्थ्य एवं दूध में काफी अंतर हो जाता है।

८. अन्य बातें: इन गायों को व्यवस्थित गोशाला चाहिए, उसके बिना पालना कठिन होता है; जब कि गीर गायों को किसान के घर की व्यवस्था में पाल सकते हैं। इन गायों को अपने बच्चों के प्रति ममता नहीं रहती। बच्चा जन्म से ही अलग रख सकते हैं। बच्चा मरने पर भी बराबर दूध देती रहेंगी; जब कि देशी गायों में अपने बच्चों के प्रति पूरी ममता रहती है। बिना बच्चे के दूध देना ही कठिन होता है। देती भी हैं तो दूध की मात्रा बहुत कम हो जाती है।

सिलेक्टेड ब्रीडिंग पर भी हमने प्रयोग-परीक्षण किये। गीर-जरसी, गीर-मालवी को एक दूसरे से श्रास किया और मिन्न-मिन्न परिस्थितियों में रखकर देखा।

उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संकर नस्ल की अपेक्षा देशी नस्ल की गाय पालना अधिक आसान एवं लाभदायक है। देशी नस्ल की गाय में यदि सिलेक्टेड ब्रीडिंग किया जाय तो विदेशी नस्ल की गायों की तरह ही दूध मिल सकता है। गाय में दूध देने की क्षमता काफी अच्छी है एवं इसके वछड़े अच्छे बैल बन सकते हैं। वजन खींचने एवं कृषिकार्य के लिए किसी भी मौसम में इनसे काम लिया जा सकता है।

विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर गीर नस्ल की गायों में हमें निम्न हद तक सफलता मिली है :

१. दूध : गीर नस्ल की गाय का औसत दूध ३३१ दिन का ३६९४ लीटर रहा।
२. मेच्यूरिटी : १६ से १९ माह में धना जाती है। प्रथम वच्चा करीबन् २॥ साल में दे देती है।
३. ड्राय पीरियड : ६० दिन रखना पड़ता है।
४. बीमारियाँ : बहुत कम आती हैं एवं उनमें बीमारी सहन करने की शक्ति अधिक है।
५. बैलशक्ति : इस नस्ल के बैल मजबूत तथा अधिक वजन खींच सकने की क्षमता रखते हैं।
६. मौसम का असर : मौसम और जलवायु का इनके स्वास्थ्य, कार्यक्षमता एवं दूध पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता।
७. खुले में चरना : इन्हें खेतों में चरने हेतु छोड़ा जा सकता है। इनके स्वास्थ्य एवं दूध पर विशेष अंतर नहीं होता।

हमारा देश कृषि प्रधान है। देश की लगभग ७० प्रतिशत आबादी इस कार्य में लगी हुई है। आधुनिक यंत्र-चालित कृषि उपकरणों का प्रयोग हमारे यहां संभव नहीं है। छोटे किसान इन मशीनों को खरीद भी नहीं सकेंगे और न इनका उपयोग करने हेतु इनके पास इतनी भूमि ही है। इसलिए हमें हमारे देश की परिस्थिति के अनुरूप गाय की खोज करनी है, जो सर्वांगीण हो अर्थात् जिसके

बछड़े खेती में काम कर सकें और बछड़ी दुधारू हो। किसानों की दृष्टि से औसत गाय का अभिप्राय है :

१. गाय ऐसी हो जिसको किसान आसानी से पाल सके।
२. उसके बेल कृषि-कार्य के लिए किसी भी मौसम में उप-युक्त हों।
३. जल्दी मेच्यूरिटी हो, तीन वर्ष के भीतर पहला बच्चा दे सके।
४. ड्राय पीरियड तीन माह से अधिक न हो।
५. बीमारियां जिनमें कम आती हों।
६. एक व्यात अर्थात् ३०० दिन में २००० लीटर तक दूध देने की क्षमता हो।

इस लेख में अनुभव एवं प्रयोग से जो बातें ज्ञात हुईं उतनी ही यहां दी गई हैं। अभी गीर नस्ल पर हमारे सिलेक्टव्ह ब्रीडिंग आदि के प्रयोग चल रहे हैं। इनके परिणाम का पता आगे लगेगा कि हम कितने क्या सफल होते हैं।

— कस्तूरबा ग्राम-कृषि-क्षेत्र — इंदौर (मध्यप्रदेश)

बम्बई में गोदूध की गंगा

[राधाकृष्ण बजाज]

हाल ही में ता० १९ अक्टूबर, १९७७ को महाराष्ट्र सरकार के डेरी डेव्हलपमेंट कमिश्नर श्री पद्मनाभैयाजी से मिले थे। स्व. जयंतीलालजी मानकर, श्री तुलसीदासमाई विश्राम, श्री बद्री-नारायणजी गाडोदिया और श्री दशरथमाई ठाकर साथ थे। हमारा खयाल था कि बम्बई निवासियों को सरकारी डेरी से आवश्यक गोदूध नहीं मिल रहा है। कहीं-कहीं थोड़ा दिया जाता है। जानकारी करने से पता लगा कि सरकार की ओर से गोदूध देने की पूरी तैयारी है, लेकिन खरीददारों के अभाव में अलग से गोदूध देना उनके लिए

मुश्किल हो रहा है। फिर भी कुछ स्थानों पर गोदूध देने की व्यवस्था कर रखी है। रोजाना करीब १२०० लीटर गोदूध खपता है। बम्बई में आजकल ८ लाख लीटर दूध आ रहा है, जिसमें से आधा यानी ४ लाख लीटर गोदूध आता है। दूध-विक्री के भाव गोदूध के रु. २.६० हैं, और चिकनाई के मिलेजुले स्टेन्डर्ड दूध के भाव भी रु. २.६० ही हैं। बिना मलाई निकाले भैंस के निखालस दूध के भाव रु. ३.२० हैं।

शायद ही लोग इस बात से परिचित हों कि भारत में महाराष्ट्र सरकार ही एकमात्र सरकार है जो गोपालक को गोदूध की कीमत भैंस-दूध के बराबर देती है। और यही कारण है कि बम्बई में जहां ५ प्रतिशत भी गोदूध नहीं आता था, वहां आज ५० प्रतिशत गोदूध आने लगा है। गोभक्त जनता को अब आगे बढ़कर गोदूध के इस्तेमाल का संकल्प लेना चाहिए। केवल बातों से गाय की रक्षा नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई कहते हैं कि हम दूध भैंस का पीते रहेंगे और रक्षा गाय की करना चाहेंगे, यह असंभव है। गाय की रक्षा करनी हो तो अपने घर में गोदूध का ही इस्तेमाल होना चाहिए। पू. बापूजी इस बारे में बहुत ही दृढ़ थे। गोसेवा संघ के सदस्यों के लिए नियम रखा था कि उन्हें गाय के ही घी-दूध का इस्तेमाल करना चाहिए।

मिल्क कमिश्नर श्री पद्मनाभैयाजी का कहना था कि कम से कम पचास हजार लीटर गोदूध रोजाना विक सके तो गोदूध का अलग प्रोसेसिंग करने में आसानी रहेगी। वास्तव में तो बम्बई में चार लाख लीटर गोदूध आता है, उतना सारा ही गोदूध के रूप में खपना चाहिए। आज साधारण तौर से देखा जाय तो बम्बई में दूध के भाव प्रति लीटर रु. ३ से ४ तक हैं। बम्बई के हिसाब से रु. २.६० का भाव बहुत ही कम माना जायेगा।

गाय का दूध थोड़ा पतला होने पर भी ताकत में कमजोर नहीं है। घुड़दौड़ के लिए जो घोड़े तैयार किये जाते हैं उनको विशेष रूप से गोदूध दिया जाता है। विशेषज्ञों का अनुभव है कि भैंस-दूध

पर पले घोड़े दिखने में सुडौल होते हैं, पर दौड़ के बीच में दम तोड़ देते हैं। गोदूध पर पले घोड़े दिखने में सुडौल कम होते हैं, लेकिन दौड़ में अंत तक वे सफल होते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए गोदूध निश्चित रूप से लाभप्रद है, यह बात हजारों वर्षों से आयुर्वेद कहता आया है। आज भी बीमार आदमी को या बालक-बूढ़ों को गोदूध ही देने की सिफारिश की जाती है। गोदूध माता के दूध से मिलता-जुलता है। गाय की रचना ही मानव के अनुकूल बनी है। मानव-प्रेम का वह अनुभव कर सकती है, प्रेम का जवाब प्रेम से दे सकती है। मानव पर चलनेवाली औषधियों से, मात्रा बढ़ाने पर गाय को भी लाभ होता है। सब तरह से हमारे लिए और हमारी भावी पीढ़ी के लिए गोदूध लाभप्रद है। हमारे देश के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि गाय पलेगी तो बेल मिलेंगे, बेल रहेंगे तो खेती होगी, और खेती होगी तो अन्न मिलेगा। हर दृष्टि से राष्ट्र के लिए गोपालन हितकारी है।

वम्बई की जनता से निवेदन है कि गोरक्षा एवं बालवच्चों के स्वास्थ्य का दृष्टि से गोदूध ही खरीदें। आम के आम और गुठली के दामवाला सौदा है। जितना पैसा खर्च करेंगे, उसके बदले में अमृत-सा दूध मिलेगा और ऊपर से गोरक्षा का पुण्य भी मिलेगा। हम आशा करें कि मरीजों एवं अस्पतालों के लिए तो केवल गोदूध ही लिया जायेगा। होटल एवं मिठाईवाले भी गोदूध के इस्तेमाल को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। बंगाली मिठाई तो गोदूध से ही उत्तम बनती है।

चैतन्य महाप्रभु की भूमि में गोहत्या पूरी बन्द हो

[चारुचन्द्र भंडारी]

समापतिजी, भाइयो और बहनो,

आज बंगाल में गोरक्षा संमेलन की बहुत जरूरत है। गोरक्षा भारतीय संस्कृति की देन है। इस कारण से हमारे संविधान में

गोरक्षा का निर्देश है। भारत के दूर प्रदेशों में गोहत्या करीब-करीब बन्द हो गयी है, लेकिन बंगाल में गोहत्या चलती है। यहाँ गोहत्या नियंत्रण के लिए कानून है। लेकिन गोवध बिलकुल बन्द करने के लिए कोई कानून नहीं है। गाय के साथ हमारा जीवन इतना ओतप्रोत है कि हमारे हृदय में गौ को माता का स्थान मिला है। इतना कि गौ और माता ये दो शब्द समानार्थ बन गये। गौ यानी गाय, दूसरा अर्थ पृथ्वी और तीसरा अर्थ माता। माता शब्द के मानी माँ, दूसरा अर्थ पृथ्वी और तीसरा अर्थ है गाय। मुस्लिम और ख्रिस्ती धर्म में गोहत्या वाध्यकर (लाजमी) नहीं है। लेकिन विपरीत कुछ है। दाउद अलंक का 'जुहुर' नाम का एक ग्रंथ है। वह किताब भी कुरान जैसी अवतरित है। उसमें अल्लाह ताला आदेश देते हैं कि "जो मनुष्य गोहत्या करता है वह नरहत्या जैसा हो जाता है।" मौलाना फारूकी का 'वरकत और हरकत' नाम का एक शास्त्रग्रंथ है जिसमें हजरत मोहम्मद की वाणियाँ संग्रहीत हुई हैं। उसमें लिखा है कि मोहम्मद पैगम्बर ने अपनी प्रियतमा पत्नी हजरत आयेसा को कहा कि गाय का दूध देह का स्वास्थ्य बढ़ाने का प्रधान उपाय है। नसीहाने हादी में लिखा है, "मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दुग्ध व घृत बहुत जरूरी हैं, लेकिन गोमांस हानिकारक है। गोमांस खाने से व्याधि होती है, लेकिन उसका दूध दवा जैसा है और घी रसायन है।" बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, मोहम्मद शाह वगैरा बादशाहों ने गोहत्या का निषेध किया था। इस अवस्था में बंगाल के आधुनिक युग के मुसलमान माई ऐसे अनुदार नहीं होंगे कि वे गोहत्या निषिद्ध करने में विरोध करेंगे। वाइबल के न्यूटेस्टामेंट में सेन्टपॉल ने कहा, "अगर मांसाहार मेरे साथियों को बुरा लगे तो मैं जिन्दगी में कभी मांसाहार नहीं करूँगा।" इसलिए मैं आशा करता हूँ कि प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु की भूमि बंगाल में पूर्ण रूप से गोहत्या बन्द करने के लिए कानून बनेगा।

ईश्वर से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल हो।

(स्वागताध्यक्ष के पद से गोरक्षा सम्मेलन, कलकत्ता में दिया गया भाषण, २७-८-७८)

गोरक्षा के लिए गाय की सेवा

[गोरक्षा सम्मेलन कलकत्ताके मनोनीत अध्यक्ष प्रसिद्ध

बंगाली लेखक श्री वनफूल (बलाईचंद्र मुखोपाध्याय)का भाषण]

सज्जनो,

आप सब मेरा नमस्कार स्वीकार करें। तवीयत ठीक न रहने के कारण मैं हाजिर नहीं हो सका, अतः मेरा वक्तव्य लिखकर भेज रहा हूँ।

बुद्धि में तेज मनुष्य के अत्याचारों से अनेक प्राणियों को नष्ट होना पड़ा। मनुष्य ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अरण्यों को नष्ट कर दिया। अब हमें समझ में आया है कि यदि इसी तरह अमर्याद हत्या से हम प्रकृति का ध्वंस करेंगे तो अन्त में हम भी ध्वंस हो जायेंगे। अपने ही स्वार्थ के लिए अब हमने जंगलों का संरक्षण करना शुरू किया है। बाघ, सिंह, गेण्डा आदि हिंसक पशुओं के लिए रक्षा केन्द्रों की स्थापना कर रहे हैं।

जितने प्राणियों के संपर्क में हम आये हैं उनमें से गाय ही सब से अधिक उपकारी पशु है, इसमें कोई सन्देह नहीं। गोरक्षा के लिए हमारे संविधान में निर्देश है। उच्च न्यायालय के विचारकों ने इस विषय पर अपनी राय दी है, लेकिन वह फैसला हम नहीं मानते हैं। हम अपने क्षुद्र स्वार्थ को देखते हैं, समाज के बृहत्तर स्वार्थ को नहीं देखते हैं। केवल गोरक्षा का कानून ही नहीं, किसी भी कानून को हम नहीं मानते हैं। चोरी, डकैती, गुंडापन के कारण भद्र समाज आज भी भयभीत है। क्रमशः हम मनुष्यत्व को खो रहे हैं। क्षुद्र स्वार्थ और अर्थलोभ हमें प्रेरित करते हैं। अतः गाय की

रक्षा करने के लिए कानून होने से ही सब कुछ हो जायगा, ऐसा नहीं लगता ।

हमें देखना पड़ेगा कि वह कानून ठीक से लागू होता है या नहीं । यह बात सरकार कर सकती है, क्योंकि कानून भंग करनेवालों को सरकार ही सजा दे सकती है । इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । हम कहना चाहते हैं कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं । जनता की जो अमूल्य सम्पत्ति गोधन है, उसकी आप रक्षा कीजिए । भारत के संविधान में जो निर्देश है, उसे इस प्रदेश में भी ठीक से अपनाइये । जनता से भी हमारी प्रार्थना है कि अपने स्वार्थ के लिए ही गोरक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो । क्योंकि गोधन जैसा महामूल्यवान धन और नहीं है ।

और एक बात । जो गोपालन करते हैं, जो गाय-दूध बेचकर आमदनी करते हैं, वे हमेशा गाय के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहते हैं । हमारे देश की अधिकांश गायें दुबली-पतली हैं । बहुतों के बछड़े नहीं हैं — बड़े ही निष्ठुर उपायों से हम उनसे दूध निकाल कर लाभ उठाते हैं । गाय को सिर्फ मुँह से गोमाता कहने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता । गाय की सेवा हमें करनी चाहिए । यूरोप के लोग गोमांस खाते हैं, लेकिन जिन गायों को वे बचा रखते हैं उनके बदन पुष्ट रहते हैं । वे सचमुच गाय की सेवा करते हैं । गोरक्षा चाहते हों तो गाय की सेवा भी हमें करनी पड़ेगी । केवल गोहत्या बन्द होने से ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है । दुबली, बीमार गायों का शोषण करके व्यापार करना केवल अमानवीय ही नहीं है, व्यापार की दृष्टि से भी वह हानिकारक है । आप सचमुच गोरक्षक बनें, यही आपसे मेरा निवेदन है ।

गोशालाएं लैंड सीलिंग से मुक्त हों

[श्री श्रीमन्नारायण]

पूज्य विनोबाजी के गोवध-वन्दी संकल्प के सन्दर्भ में केन्द्राय गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने गत ३ सितम्बर को राज्य सभा में घोषणा की थी कि जिन राज्यों में अभी तक कानून से गोवध-वन्दी नहीं है वहाँ भी शीघ्र ही कानून बना दिये जायेंगे और इस प्रकार संविधान के ४८ वें अनुच्छेद और उस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भारत भर में गोवध बन्द हो जायगा। पूज्य बाबा ने चाहा था कि २१ दिसम्बर तक शेष राज्यों में आवश्यक कानून बना दिये जायें। हमें खुशी है कि इसी तिथि के पहले महाराष्ट्र शासन ने अपने विधान सभा के नागपुर-अधिवेशन में सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध-वन्दी लागू कर दी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा अपने क्षेत्र में गोहत्या को गैरकानूनी करार दिया है। आसाम शासन ने भी इस दिशा में जरूरी कार्रवाई की है। केरलने अपने पंचायत के कानून अब म्युनिसिपल क्षेत्रों में भी लागू कर दिये हैं। पश्चिम बंगाल की सरकारने गोवध-वन्दी संबंधी अपने वर्तमान कानून को सख्ती से लागू करने का निश्चय जाहिर किया है। हम केन्द्रीय व संबंधित राज्य सरकारों को गोरक्षा के संबंध में २१ दिसम्बर से पहले आवश्यक कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

लेकिन यह स्पष्ट है कि केवल कानून से गोरक्षा का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। उसके लिए कई दिशाओं में सरकार और जनता, दोनों की सम्मिलित शक्ति लगानी होगी। उदाहरण के लिए, निरूप-योगी गायों और बैलों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोसदनोकी स्थापना करना निहायत जरूरी है। और फिर गाय के दूध का व्यापक उपयोग किये बिना बेचारी गाय कैसे जिन्दा रहेगी? सरकारी डेरियों में गाय और भैंस का दूध एक ही दाम में खरीदा जाय यह लाजमी है।

देश की गोशालाओं और पिंजरापोलों के सामने एक और बड़ी कठिनाई है। हमें समाचार मिलते रहते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में

गोशालाओं की अधिकांश जमीनें सीलिंग के कानून के अन्तर्गत शासन द्वारा वापिस ली जा रही हैं। गोसंवर्धन की दृष्टि से यह कार्रवाई बिल्कुल अनुचित है। वैसे ही इस समय देश में बहुत-सी गोचर भूमि कृषि के लिए काम में लायी गयी है, और गायों के लिए चरने की व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। इस दृष्टि से गोशालाओं और पिंजरापोलों की जमीनों को सीलिंग के कानूनों से छूट मिलना बहुत जरूरी है। हां, यदि किसी डेरी के पास गायों की संख्या की अपेक्षा अधिक जमीन हो, तो उसे एक अच्छे गोसदन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पूज्य विनोबाजी ने भी इस संबंध में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है। उनकी ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य-मंत्रीजी को एक पत्र भी भेजा गया है। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें इस ओर शीघ्र ध्यान देंगी, ताकि गोसंवर्धन के राष्ट्रीय कार्य में अनावश्यक बाधाएँ उपस्थित न हों।

गाय और भैंस के दूध की मूल्य-निर्धारण नीति को भी शीघ्र बदलना चाहिए। महाराष्ट्र शासन गाय और भैंस के दूध के एक ही दाम दे रहा है। हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य सरकारें भी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के अनुसार अपनी नीति में आवश्यक परिवर्तन करेंगी।

मांस का निर्यात रोका जाय

[श्री सिद्धराज ठड्डा]

इस देश का अफसरशाही और बुद्धिजीवी वर्ग देश-हित और गरीबों की मलाई के नाम पर आये दिन ऐसी योजनाएँ बनाते और पेश करते रहते हैं जिनके कारण लोगों का भला हो या न हो, इन वर्गों के सैकड़ों-हजारों लोगों के लिए जरूर बड़ी-बड़ी नई नौकरियाँ मिलने की और अन्य प्रकार से कमाई करने के रास्ते खुल जाते हैं। पिछले वर्षों में विदेशी मुद्रा कमाने के बहाने भारत से वस्तुओं

के निर्यात पर बहुत जोर दिया जाता रहा है। करोड़ों गरीबों के हित को ध्यान में रख कर यह किया जाना चाहिए। केवल तात्कालिक लाभ या केवल व्यापारी, नौकरशाही या बुद्धिजीवी वर्ग के हित के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, जिस देश में खाने-पीने की चीजों की केवल महंगाई ही नहीं बल्कि अभाव भी हो, वहाँ जनता के हित में यह आवश्यक है कि कम से कम जरूरी चीजें तो देश के बाहर न जाने दी जायें। हर नियम के अपवाद होते हैं, पर भारत जैसे गरीब और अभावग्रस्त देश में जहाँ अभी दूध-दही, साग-सब्जी, मांस-मछली, फल-अन्न आदि की प्रति व्यक्ति खपत दुनिया के अधिकांश देशों से बहुत कम है वहाँ से सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार की खाद्य-सामग्री का निर्यात नहीं होना चाहिए; वरना अभाव और महंगाई के अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने या इन चीजों को पैदा करनेवाले लोगों के हित के नाम पर इन चीजों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है।

अभी ताजा खबरों के अनुसार विदेश व्यापार के भारतीय संस्थान ने भारत से बड़े पैमाने पर मांस के निर्यात की सिफारिश की है और इसके लिए एक अखिल भारतीय मांस बोर्ड स्थापित करने का सुझाव भी सरकार को दिया है। बताया गया है कि १९७६-७७ में साढ़े दस करोड़ रुपये की लागत का करीब साढ़े ग्यारह हजार टन मांस कुवैत, सऊदीअरब, दुबई आदि अरब देशों को निर्यात किया गया था। संस्थान का कहना है कि पेट्रोल के मंडारों के कारण अपार धनराशिवाले इन देशों को भारत से किया गया मांस का यह निर्यात समुद्र में बूंद जैसा है और चूँकि हिन्दुस्तान में दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा पशु-धन का बहुत बड़ा परिमाण है, इसलिए यहाँ के गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को मारकर उनका मांस निर्यात करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। विदेश-व्यापार संस्थान की ओर से जिन्होंने यह सर्वेक्षण किया है उनमें इस

संस्थान के श्री एम. एस. सचदेव और सुशीलकुमार तथा राजस्थान दूध विकास निगम के प्रबन्ध निर्देशक श्री एन. आर. भसीन हैं।

भारत से बड़े पैमाने पर मांस का निर्यात करने में किसका भला होगा? दुनिया की बढ़ती हुई आबादी का? मानव जाति को उत्तरोत्तर मांसाहार छोड़कर शाकाहार की तरफ बढ़ना होगा। मांस के प्रस्तावित निर्यात की व्यवस्था करने के लिए देश भर में सैकड़ों दफ्तर और बूचड़खाने खुल जायेंगे, हजारों बाबू लोगों को नौकरियाँ और बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी जरूर मिल जायेंगी, बड़े-बड़े व्यापारियों की कोठियाँ बनेंगी और टैक्स आदि के रूप में थोड़ासा हिस्सा सरकार के खजाने में आ जायेगा, लेकिन एक ओर तो इस देश के मांस खानेवाले को मांस महँगा मिलेगा, दूसरी ओर पशु-धन की कमी होती जाने के कारण दूध, दही, खाद आदि महँगे होंगे और खेती के लिए बैल भी। चूँकि विदेशों से निरोगी ओर पुष्ट पशु के मांस की माँग रहती है और इसके लिए तरह-तरह की कानूनी बंदिश भी लगाई गई है, इसलिए इस दलील में भी कोई सार नहीं है कि मांस के निर्यात से भारत की जमीन पर बेकार पशुओं का भार कम होगा और देश को लाभ होगा। निर्यात होनेवाले मांस के लिए जो पशु काटे जायेंगे वे अधिकतर स्वस्थ और निरोग तथा काम देनेवाले ही पशु होंगे।

अतः यह स्पष्ट है कि मांस के निर्यात की यह योजना सफल हुई, तो इस देश के गरीब का नुकसान होगा और खेतीहर किसान का भी नुकसान होगा। फायदा होगा केवल व्यापारी, अफसर और बुद्धिजीवी वर्ग को।

ENSURE FAIR RETURNS TO COW MILK

(By Dr. V. Kurien, Chairman, N. D. D. Board)

For quite sometime, we have been very much concerned at the existing milk pricing systems adopted for procuring milk from the milksheds. Even the systems adopted by the modern dairies discriminate against cow milk and have discouraged milk producers to rear cows for milk production. At present, the modern dairies in the country have more or less adopted pricing systems that can be categorised as follows:

In the organised sector, milk pricing is based on qualitative analysis with respect to the fat contents of the milk bought. In this system, a unit price is fixed for a kilogram of fat and each farmer/producer's milk is tested for the fat content and the price determined thereafter. At the very outset, cow milk with its low fat content is discriminated and fetches more or less half the price of buffalo milk. In this system, hence, no value is attached to SNTF including protein which is a very important component of milk. It is our observation that this pricing system has systematically discouraged the farmers from producing cow milk, more so, to reap the advantages of cross-breeding their local cattle with the exotic breeds through the artificial insemination services provided under the milk production enhancement programmes. The returns from cow milk are at times so low that even the operational costs of rearing milk animals are not met.

In some States, modern dairies have adopted systems where a litre of milk is paid a uniform price irrespective of its being cow or buffalo milk. I must emphasise that in our view, the system has functioned against the cow and not for the cow as had been the original intention. It is a matter of common knowledge that this uniform pricing of cow and buffalo milk leaves a lot of scope for adulteration. Mostly, buffalo milk is diluted and/or mixed with skim milk and at time, even adulterated, and sold as cow milk. The modern dairies adopting this system are paying for water in milk at the same rate of pure milk and face financial difficulties in their day to day operations. As you are aware, many dairies in public sector accumulate large operational deficits and every year huge Government subsidies are provided to wipe out these deficits. The Pricing system of paying uniform prices for cow and buffalo milk is one of the most important causes of these operational deficits.

We have been considering all these drawbacks, so as to evolve a pricing system which will ensure fair returns to cow milk and encourage cross-breeding programmes. A stage has now come to frame a National Policy on Milk Pricing and its adoption to ensure the right price for cow milk. This, in my opinion, is very essential and will go a long way providing impetus to the cross-breeding programme planned under Operation Flood 11.

The Two-Axis Pricing System of Milk which, in our opinion, should be adopted to solve the various problems that exist in the prevalent systems. In the systems, the purchase price paid to the farmer/producers is determined on the compo-

sitional quality by rationally evaluating the fat and SNF contents of the milk sold. Prices are fixed by the dairy for a kilogram of fat and depending on the selling prices of dairy commodities prevailing in the market, a proportional price is determined for per kilogram SNF. In the pricing system, if SNF is priced at the rate of 75% of the value attached to fat, the price of cow milk will be about 15% lower than that of buffalo milk.

Regarding this milk pricing an agreement of understanding was signed between me and Shri Radhakrishna Bajaj, General Secretary, Akhil Bharat Krishi Goseva Sangh, Wardha. This agreement was further ratified in the meeting of the Sub-Commission on Milk Pricing Policy set up by the Go-Samvardhana Advisory Council, where the above decisions were unanimously endorsed.

I hope, the District Co-operative Milk Producers Union will consider the issues I have raised above and the State Governments will propagate the adoption of the two-axis pricing system for milk in the State. The IDC/NDDB would provide all assistance to the State Government and Co-operative Unions, in implementing this pricing system.

(From the letters written to Co-operative Unions and State Govt. on 25-9-1978)

Agreement of Understanding

Agreed points between Dr. V. Kurien, Chairman, National Dairy Development Board, Anand and Shri Radhakrishna Bajaj, General Secretary, Akhil Bharat Krishi Goseva Sangh, Wardha.

1. In India Agriculture and Animal Husbandry should go hand in hand, i.e. Dairying should

be developed as a subsidiary occupation to agriculture.

2. In the present time the importance of the cow is for producing draught animals, for milk and for manure.
3. The requirement of draught power is being met mainly by bullocks and not by male buffaloes.
4. The difference in price between buffalo milk (7% fat) and cow's milk (4% fat) should not be more than 15%. Payment should not be made on the basis of fat only. Government should advise dairies accordingly.

(V. Kurien)

(Radhakrishna Bajaj)

Note :

The above-mentioned principles were approved by the Prime Minister and were signed on 27-7-1978 in his presence at New Delhi.

दूध खरीद फेड और एस. एन. एफ. दोनों पर हो

[अमूल डेरी आणंद में बातचीत]

दिनांक ३०-७-'७९ को नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड में डॉ० कूरियन के दफ्तर में अ० मा० कृषि-गोसेवा संघ के महामंत्री राधाकृष्ण बजाज के साथ हुई बातचीत। उपस्थितों में थे -

१. श्री त्रिभुवनभाई पटेल अध्यक्ष, अमूल डेरी
२. श्री मनुभाई डाह्याभाई पटेल चेअरमैन, अमूल डेरी
३. श्री डॉ० व्ही० कूरियन अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
४. श्री डॉ० ए० ए० चोथाणो डायरेक्टर (एफ. ओ. एण्ड ए. एच.)
५. श्री जे० एम० शाह अ. जनरल मैनेजर, फायनान्स अमूल डेरी

६. श्री नरेंद्र शिवाभाई पटेल मैनेजर, सोसायटीज, अमूल डेरी
७. श्री राधाकृष्ण वजाज महामंत्री, अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ
८. श्री बीरूभाई पटेल मंत्री, गुजरात गोसेवा समिति
९. श्री मुकुंदभाई त्रिवेदी मंत्री, गुजरात गोशाला फेडरेशन
१०. श्री नरेंद्र त्रिवेदी प्रोजेक्ट एक्ज़ीक्यूटिव्ह

चर्चा के अंत में निम्न ५ बातों पर सबकी सहमति रही। नीति निर्णय के बाद अमल पर चर्चा हुई।

१. दूध का उत्पादन बढ़ाना — इस बात पर सबकी सहमति रही कि भारत में दूध का उत्पादन अधिक बढ़ाना हो तो वह गोसंवर्धन से ही बढ़ाया जा सकता है। भैंस की दूध-उत्पादन शक्ति अभी तो मर्यादित है।
२. खेती-जोतके लिए बैल अनिवार्य — खेती-जोत के लिए ट्रैक्टर का उपयोग कई प्रदेशों में बहुत अधिक है। फिर भी सारे देश के हिसाब से १५-२० प्रतिशत से अधिक नहीं है। आनेवाले दस-बीस वर्षों में तो सारे भारत की खेती ट्रैक्टर से होना संभव नहीं। इन दिनों तेल को जो दिक्कों आ रही हैं या ऊर्जा को जो कमी है, उसे देखते हुए देश को ट्रैक्टर के मरोसे पर नहीं रखा जा सकता। भैंसों से तराई आदि में खेती होती है, पर वह भी मर्यादित हो है। ऐसी स्थिति में एकमात्र बैल ही ऐसी शक्ति रह जाती है, जिसके मरोसे निकट भविष्य में खेती हो सकती है। अतः बैल-शक्ति की ओर दुर्लक्ष्य न करके उसे बढ़ाने की कोशिश की जाय।
३. राष्ट्रीय हित की प्रमुखता रहे — गोसंवर्धनका विचार करते समय राष्ट्रीय हित की ओर प्रमुख ध्यान दिया जाय। व्यक्तिगत लाभ-हानि का प्रश्न गौण माना जाय।
४. दूध-खरीद फेट और पाउडर दोनों पर आधारित हो — इस बात पर सभी एकराय रहे कि दूध को खरीद केवल फेट परसेंट पर तय करने की पद्धति शास्त्रशुद्ध नहीं है। गाय को तरजीह

देने को दृष्टि से फेट परसेटेंज और पाउडर (एस. एन. एफ.) दोनों की बुनियाद पर दूध-खरीद भाव तय किये जायें। एस. एन. एफ. का मूल्य फेट के मुकाबले ७५ प्रतिशत माना जाय।

५. गोदूध को बढ़ावा देना — ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि दूध के लिए तथा बैलों के लिए राष्ट्रहित में गोसंवर्धन को बढ़ावा देना आवश्यक है। अतः दूध के खरीद-भावों में गोदूध को थोड़ा अधिक भाव दिया जाय, ताकि गाय को बढ़ावा मिले। सरकारों एवं डेरीवालों से प्रार्थना की जाय कि उपरोक्त नीति का शीघ्र से शीघ्र अमल करें।

६. अमूल डेरी के चालू भावों की ओर ध्यान दिलाने हुए कहा गया कि एक प्रतिशत फेट के लिए आज २९ पैसे अमूल डेरी बढ़ाती है, उसके बदले उसे केवल १५ पैसे ही बढ़ाने चाहिए, क्योंकि फेट और एस० एन० एफ० यूनिट के हिसाब से १५ पैसे ही बढ़ा सकेंगे।

अमूल डेरी के प्रतिनिधियों ने कठिनाई बतायी कि गाँव-गाँव में हर व्यक्ति का एस० एन० एफ० टेस्ट करना मुश्किल है। श्री मनुभाई पटेल ने कहा कि ऐसी टेस्टिंग मशीनें डेरी बोर्डवाले मँगवानेवाले हैं। उनके आने तक रुकना होगा। डॉ० कूरियन ने बताया कि टेस्टिंग मशीनें शीघ्र ही आनेवाली हैं, तब समस्या नहीं रहेगी।

७. गोदूध को तरजीह देना — श्री राधाकृष्णजी ने सुझाव रखा कि गोदूध को तरजीह देने की बात सबने स्वीकार की है। अमूल डेरी में टोटल सॉलीड्स का भाव रु० १५-७५ मान कर नीचे अनुसार गोदूध के भाव दिये जा रहे हैं। गोदूध को तरजीह देने के लिए रु० १) भाव बढ़ाने से क्या फर्क होगा, वह नीचे दिया जा रहा है —

दर रु० १४-७५ दर रु० १५-७५
फेट परसेंट एस०एन०एफ०, अमूल डेरी चालू भाव, १ रु० से भाव

			वृद्धि
३	८ ^१ (६॥)	१-३८	१-५०
३-५	"	१-४६	१-५८
४-१	"	१-५५	१-६६
४-४	"	१-६०	१-७३
४-७	"	१-६४	१-७७
५-०	"	१-६९	१-८०

प्रति लीटर १० से १२ पैसे खरीद-भाव बढ़ाने होंगे।

श्री मनुभाई पटेल ने पुनः वही बात कहो कि एस० एन० एफ० टेस्टिंग मशीनों के आने के बाद ही चालू भावों में फरक करने की बात सोची जा सकेगी।

८. विकानेर में १ लाख लीटर का पाउडर प्लांट—डॉ० कूरियन के सामने प्रश्न रखा गया कि विकानेर में आज १ लाख लीटर दूध रोजाना होता है। यदि वहाँ १ लाख लीटर दूध का बेबीफूड एवं पाउडर प्लांट लगाया जा सके तो विकानेर में रोजाना २ लाख लीटर दूध आ सकता है। डॉ० कूरियन ने कहा कि १० टन का पाउडर प्लांट लगाया जाना संभव है। राजस्थान के लिए पैसा है। राजस्थान सरकार की ओर से विधिवत् मांग आवे तो डेरी बोर्ड इस सुझाव पर सहानुभूति से विचार कर सकता है।

९. कांकरेज की १ लाख गायों का संवर्धन—राधाकृष्णजी ने सुझाया कि अहमदाबाद जिले में साणंद, वीरमगाम, धोलका, धंधुका क्षेत्र से आज १ लाख लीटर गाय का दूध आ रहा है। वहाँ करीब १ लाख कांकरेज गायें रवारी-भरवाड़ लोगों के पास हैं। वे परंपरा से इन गायों का पालन करते हैं। प्रति गाय औसत १ किलो दूध रोजाना पड़ता है। जांच करने से पता लगा कि इन गायों को पेटमर खाना नहीं मिलता। पूरा खाना मिले तो

रोजाना २ लाख लीटर से भी अधिक दूध हो सकता है। गोपालकों के घर में दूध का भाव रु० १ से रु. १-२० के बीच पड़ता है। इनको रु० १-५० का भाव मिले। शास्त्रीय शुद्ध संवर्धन हो। सिलेक्टिड ब्रीडिंग या अपग्रेडिंग देशी नस्ल से हो, ताकि उत्तम बैल-शक्ति कायम रहते हुए दूध भी प्रतिव्याप्त १२०० से १५०० लीटर तक हो सके।

डॉ० कूरियन से पूछा गया कि क्या वे इस शुद्ध नस्ल को १ लाख गायों के प्रोजेक्ट को हाथ में ले सकते हैं? उन्होंने कहा, सारे क्षेत्र में राजकारण व्याप्त है। संवर्धन के काम शांति के साथ १०-२० वर्षों तक सतत प्रयत्नों से हो सकते हैं। आज तो उस क्षेत्र में ७ सोसायटियाँ हैं। वे सब एक होकर काम करना तय करें तो डॉ० कूरियन की उन्हें मदद हो सकती है। उनके पास काम का बोझ बहुत है, इसलिए सीधी जिम्मेवारी लेना कठिन है।

कुल मिलाकर बातचीत बहुत ही स्नेहमय और एक-दूसरे को सहायक होने के वातावरण में हुई। दोनों ओर से सबको प्रसन्नता हुई। सबने इस बात को महसूस किया कि आज के समय में गाय को बढ़ावा देने से ही आगे बढ़ा जा सकता है।

राधाकृष्ण बजाज

महामंत्री

गाय के गोबर से सम्पत्ति

[ना. दे. पांडरी पांडे]

गाय अखंड संपत्ति का स्रोत है ऐसा माना जाता है। उससे मिलने वाला दूध और खेतीयोग्य बैल यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मृत्यु के बाद चमड़ा, हड्डी, मांस आदि भी प्राप्त होता है। इन सब के अलावा गाय से मिलनेवाली अत्यंत महत्त्व की संपत्ति गोबर और गो-मूत्र है। इन पर मैं पिछले १२ वर्षों से प्रयोग कर रहा हूँ और प्रयोग के आधार पर लिख रहा हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार गाय में अनेक देवताओं का निवास माना गया है। उसके गोबर में लक्ष्मी का स्थान माना गया है। मैं इसकी सचाई अनुभव से मानता हूँ।

बिना दूधवाली गाय अनाधिक मानी जाती है और उसका कोई उपयोग नहीं ऐसा माना जाता है। सामान्यतया एक गाय का पोषण करने का खर्च देहात में सालभर में ४०० से ५०० रुपये आता है। केवल गोबर का ठीक उपयोग किया जाय तो अनाधिक गाय के लिए लगनेवाला खर्च बड़ी आसानी से निकल आ सकता है और गाय वगैर बोझ के रह सकती है। गोमूत्र की कीमत का अलग से विचार नहीं किया है। वह गोबर का ही एक भाग मान लिया है, जबकि उसका भी अपना अलग स्थान है।

एक गाय से रोज करीब १० किलो गोबर मिल सकता है। वर्षभर में यह ३००० किलो यानी ३ टन होता है। आज किसान उसका ढेर लगाता जाता है, जिससे उसे वर्षभर में ४५० से ५०० किलो सूखी खाद मिलती है। परीक्षण करने पर उसमें एन.पी.के. ०.४ प्रतिशत से अधिक नहीं होता। यानी २ किलो नत्र, २ किलो स्फुर और २ किलो पोटाश प्राप्त होता है, जो बहुत कम है।

इस गोबर का ठीक ढंग से कम्पोस्ट तैयार किया जाय तो कई गुना खाद मिल सकती है, जो खेती के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह विधि निम्न प्रकार है :

जितना रोज गोबर प्राप्त होता है उससे ३० से ३५ गुना देहात में चारों ओर पाया जानेवाला कूड़ा, कचरा, पत्तियां, खेत में बचे डंठल आदि को गोबर के साथ मिलाया जाय। उसमें गोबर से १५ से २० गुना मिट्टी भी मिलायी जाय और कम्पोस्ट तैयार किया जाय। एक गाय से रोज औसत १० किलो गोबर प्राप्त होता है। इससे सालभर में ३००० किलो यानी ३ टन गोबर मिलेगा। इसमें ऊपर लिखे प्रमाण में कूड़ा-कचरा तथा मिट्टी मिलाने से वर्षभर में ७५ से ८० टन सूखी खाद प्राप्त होती है। इस खाद में ५ प्रतिशत गोबर रहता है तथा ९५ प्रतिशत कचरा और मिट्टी रहती है। मिट्टी मिलाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी मिलाने से खाद बनाने की जंतु-प्रक्रिया तेज होती है और अच्छी होती है। मिट्टी के कारण ह्यूमस बना रहता है। नत्रजन खाद में बना रहता है।

यह जो खाद बनती है उसका एन. पी. के. (नत्रजन, फास्फेट तथा पोटाश) ०.५ प्रतिशत से १.५ प्रतिशत परीक्षणों में पाया गया है। ७५ से ८० टन बननेवाली खाद में एन. पी. के. का प्रमाण १ प्रतिशत भी माना जाय तो ७५० किलो नत्रजन, ७५० किलो फोस्फरस, ७५० किलो पोटाश प्राप्त होगा। यानी कुल २.५ टन प्राप्त होगा। इस प्रकार २.५ टन एन. पी. के. तथा वाकी के ७२.५ टन ह्यूमस मिलेगा, जो जमीन को उर्वरा बनाता है।

यह भी देखा गया है कि एक एकड़ जमीन को २ टन खाद कम से कम दिया जाय तो करीब ४० एकड़ जमीन को खाद मिल जाती है। एक गाय के गोबर से ४० एकड़ जमीन के लिए लगनेवाली खाद की पूर्ति हो सकती है। इस खाद से १० से १५ प्रतिशत कृषि उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ता है। खाद का प्रति एकड़ उपयोग आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

केमिकल्स का उपयोग करके भी ऐसा कंपोस्ट किया जा सकता है। पर गोबर से बनी यह खाद पूरी तरह सेंद्रीय होने से कृत्रिम खाद से अधिक गुणकारी पायी जाती है। यह देहात में विकेंद्रित पद्धति से आसानी से बन सकती है। बड़े शहरों में मिलनेवाले कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाने की लाखों रुपये की पूंजी लगाने-वाली योजनाएँ हैं। ऊपर बतायी योजना कम-से-कम पूंजी और श्रम से, जहाँ कच्चा माल है और जहाँ बने माल की उपयोगिता है, उस दृष्टि से काम की है।

यह योजना गृहउद्योग और ग्रामीण उद्योग के रूप में चलायी जाय तो अधिक सुचारु रूप से चल सकती है। कोई किसान या गोपालक स्वावलंबन से रूप में इसे अमल में लाना चाहे तो ला सकता है, पर व्यवस्था की दृष्टि से गृहउद्योग के रूप में चलाना अधिक सुविधाजनक होता है।

इस योजना का आर्थिक पहलू निम्न प्रकार का है:

१. १० किलो गोबर का मूल्य प्रतिकिलो २० पैसे के हिसाब से किसान को २ रु. दिया जा सकता है। औसत मासिक ५० रु.

गोबर का मूल्य माना जाय तो एक वर्ष में किसान को ६०० रु. गोबर से प्राप्त हो सकते हैं। केवल गोबर के मूल्य पर गाय का पोषण हो सकता है।

२. १० किलो गोबर से २०० किलो खाद बनेगी। इसे बनाने में मजदूरी का ८ रु. खर्च आता है। इस प्रकार गांव के लोगों को बेकारी दूर करने का यह उत्तम साधन है।
३. व्यवस्था-खर्च २०० किलो खाद के लिए ४ रु. मानना चाहिए।
४. इस प्रकार लागत मूल्य २०० किलो खाद का—२ रु. गोबर का मूल्य, ८ रु. मजदूरी, ४ रु. व्यवस्था-खर्च, ऐसे कुल १४ रु. या १५ रु. लागत मूल्य होता है।
५. यह खाद औसत १० रु. प्रति १०० किलो के मूल्य से बेची जाय तो २०० किलो का २० रु. तक मूल्य मिलेगा।
६. २०० किलो खाद से प्रतिदिन ५ रु. तक लाभ हो सकता है। लाभ का यह प्रमाण इस बात पर भी अवलंबित होगा कि कचरा एकत्रित करने में कितना खर्च आता है, वह किस प्रकार का और किस तादाद में मिलता है।
७. एक किसान इस योजना को क्रियान्वित करना चाहे तो ५ पशुओं की एक इकाई मानकर अपनी योजना बनावे। उससे उसे ३०० टन खाद अवश्य प्राप्त होगी। यदि उसके पास २० एकड़ भूमि हो तो अपनी जमीन में भरपूर खाद डालकर वह बकाया बेच सकता है। उसकी खेती का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही गाय किसी भी प्रकार बोझ न बनकर लक्ष्मी प्राप्त करने का उत्तम साधन बनेगी।

मानव-रक्षा के लिए गोरक्षा

[मदनमोहन सिंघानिया]

यह सवाल पूछा जाता है कि गाय की रक्षा करें या आदमी की? गाय को खाना दवे या मनुष्य को? उन्हें समझना चाहिए कि मानव-रक्षा के लिए ही गोरक्षा है, क्योंकि गाय हमें निम्न बातें देती है:

- (अ) घास, फूस, डंठल और सेल्यूलोज खाकर उसका उत्तम दूध-घी बना देने की शक्ति गाय में ही है। गाय के पेट में ४ खंड होते हैं। उसकी ग्रंथियों से निकलनेवाले रसों में एवं खंडों में पाये जानेवाले सूक्ष्म जीवाणुओं में यह शक्ति होती है कि शर्करा जातिके संगठों को एसिटिक एसिड में बदलकर उससे सुदीर्घ फेटो एसिड यानी दूध-घी के रूप में बना देती है। यह शक्ति गाय के अलावा अन्य प्राणियों में कम है।

१ एकड़ जमीन के उत्पादन में से प्राणोज प्रोटोन मनुष्य को देना हो तो दूध, मांस और अंडे के द्वारा किस प्राणी से कितना मिल सकता है, इसका पूरा तख्ता अलग से दिया है। यहां थोड़ा देते हैं—

	दूधसे	अंडेसे	मटन(बकरीमांस)	गोमांससे
१. अनाज —	२१९०	१०३	११३	१२५
२. फेट	७८	२४	१५	३
३. प्रोटोन	७२	२४	२१	२७.५
४. केलरीज	७,११,७५०	१,३२,१९२	१,३७,२९५	१,३०,०००

५. मनुष्य

३००० केलरी	२३७	४४	४६	४३
------------	-----	----	----	----

ऊपर के आंकड़ों से साफ है कि १ एकड़ जमीन में से दूध के द्वारा पांच गुना मनुष्यों को पोषण मिल सकता है। ये अंक अमरीकन सरकार के १९४८ के प्रयोगों पर से लिये गये हैं।

- (आ) गाय अपनी खुराक में अन्नधान्य एवं खनीज तत्त्व कम-से-कम लेकर भी मनुष्य को पोषण दे सकती है। बकरी पत्तियां खाती है, लेकिन वह कड़वा, पोवाल, तूंडी नहीं खा सकती। सुअर और मुर्गी को तो अन्नधान्य, वोनमिलसे बनी खुराक ही देनी पड़ती है। मनुष्य में और गाय में स्पर्धा नहीं है।

क्योंकि अनाज मनुष्य खाता है और उससे बचा रफेज गाय खाती है, जब कि अन्य प्राणियों को ऐसी खुराक अधिक देनी पड़ती है, जो मनुष्य की खुराक है।

- (इ) जमीन की उपजाऊ शक्ति तभी कायम रह सकती है जब फसल के रूप में उससे लिये तत्त्वों को खाद के द्वारा वापिस पहुंचाया जाय। यदि ऐसा नहीं कर सकेंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जायेगी और एक दिन देश विनाश के गर्त में पहुंचेगा। गाय में यह शक्ति है कि वह अपने गोबर-गोमूत्र द्वारा जमीन को अधिक ही देती है, जितना वह अपने लिए लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गाय जितनी जमीन का चारा खाती है, उतनी जमीन में उसका गोबर-गोमूत्र का खाद दिया जाय तो वह जमीन चौगुना-आठ गुना चारा दे सकती है, जब अन्य प्राणी जमीन से जितना लेते हैं उतना भी वापिस नहीं दे सकते।

- (ई) खेती उत्पादन के लिए बैल-शक्ति

आज खेती उत्पादन में मुख्य जोत-शक्ति बैलों की लगती है। ट्रैक्टर से २० % से अधिक खेती आज नहीं हो रही है। ट्रैक्टर के तेल के लिए विदेशों पर अवलंबित रहना होगा। ट्रैक्टर गोबर भी नहीं देता। गोबर का महत्त्व आज दुनिया समझने लगी है। जापान गोबर के लिए गायें रखने लगा है। गोबर से ऊर्जा मिलती है।

- (उ) ६० करोड़ मनुष्यों के लिए खाना देना कृषि-गोपालन का ही काम है। कृषि और गोपालन दोनों भारत में अभिन्न हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। गाय को खाना खेती से मिलता है और खेती को खाना (खाद) गाय देती है। भारत के अंतिम मनुष्य को रोजी-रोटी भी कृषि-गोपालन से ही मिल सकता है। केवल खेती और गाय के साथ खेती यानी मिक्स फार्मिंग करने पर खेती की उपज तथा दूध मिलाकर किसान को दूना लाभ होता है ऐसा मिक्स फार्मिंग का अनुभव है।

चारा और ईंधन वृक्ष-अगस्ती

यह एक द्वीदल (Leguminous) चारे का प्रोटीनयुक्त पौधा है, जिसका प्रत्येक अंग उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसकी पत्तियाँ, फल तथा फूलों का उपयोग मनुष्य तथा पशु दोनों करते हैं। इसका उपयोग दक्षिण भारत में गायों के चारे के रूप में किया जाता है तथा इसकी लकड़ियों को जलाने के काम में लाया जाता है। रात में दिखाई न देनेवाले रोगी को दवा के रूप में यह खिलाया जाता है। वाद में इसकी पत्तियों, फलियों तथा फूलों को शाक-सब्जी के रूप में खाया जाने लगा। पशुओं के लिए भी यह पौष्टिक चारे के रूप में सिद्ध हुआ।

स्थानीय नाम—स्थानीय भाषाओं के अनुसार इस वृक्ष को संस्कृत में अगस्ती, हिन्दी में रसना, मराठी में हडोआ, तमिल में अगत्थी, तेलगू में अगिस और मलयालम में अकत्थी, अंग्रेजी में सेसबेनिया नाम से पुकारा जाता है।

हमारे देश के कई राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, केरल, तामिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में इस वृक्ष को पीपर व पान की फसलों को तथा महाराष्ट्र में नारियल की पौध को छाया देने के लिए उगाया जाता है। केला उगाये जानेवाले क्षेत्रों में हवा की तेज गति को रोकने के लिए इस वृक्ष का विशेष महत्व पाया जाता है।

इस वृक्ष की आयु तो अवश्य कम है, परन्तु इसको वृद्धि काफ़ी तेज होती है। उत्तरी मैदानी भागों में अधिक ठण्ड पड़ने पर यह पौधा प्रायः नष्ट हो जाता है।

दवा के रूप में उपयोग—इसके फलों को वायुगोला (वायु-शूल), जहरवाद अथवा पोलिया (पांडुरोग) तथा नासूर व गिल्टी (फोड़ा) के बढ़ जाने पर उपचार स्वरूप दिया जाता है। इसकी पत्तियों तथा फूलों का अर्क नाक के रोगों तथा सिरदर्द के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसकी छाल से अर्क निकाल कर टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। छोटी चेचक के उपचार में इसका

जुशांदा बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। विटामिन 'ए' तथा 'सी' काफी मात्रा में होने के कारण रतौंधी पीड़ित व्यक्तियों के उपचार में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन तथा खनिज पदार्थों की अधिकता होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में यह पौधा उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जिनमें इन तत्त्वों की कमी होती है।

पौधे को कैसे उगायें—इस पौधे का बीज ठीक ढंग से रखा जाये तो खेतों में उसे पाँच वर्ष तक बोया जा सकता है। परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि १००० बीजों का वजन ५५ ग्राम होता है। इसका बीज अन्य दलहनी बीजों की अपेक्षा मुलायम होता है। इसके बीज ९८-१०० प्रतिशत तक आसानी से उगते हैं।

इनके बीजों को खेतों में बोने से नमी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षण द्वारा यह देखा गया है कि बीज जितना ही पुराना होगा, नमी का प्रभाव उतना ही कम होगा। साधारणतः बुवाई के ४-५ दिन बाद पौधा निकल आता है।

इसके बीजों को सीतों खेत में बोना ज्यादा हितकर सिद्ध हुआ है। यदि किसी कारणवश खेत में सीधे बीज नहीं बोये जा सके हों तो वर्षा ऋतु में पोलिथीन के थैलों में उगा लेते हैं। तत्पश्चात् इन पौधों को इच्छित स्थानों में लगा देते हैं। एक जगह पर लगे हुए पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाने से पौधे ठीक तरह से नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ठीक बढ़वार के लिए या तो खेतों में सीधे बीज बोया जाय या फिर पोलिथीन के थैले में उगा कर खेतों में लगाया जाय।

चारे की फसल के रूप में इसका महत्त्व—चारे के रूप में जब इसके बीजों की एक मीटर की दूरी पर बुवाई करते हैं तो तीन माह में ही १ से डेढ़ मीटर ऊँचे पौधे हो जाते हैं। इससे कुल ८०० क्विंटल प्रति हेक्टर हर। चारा प्राप्त हो जाता है, जो रिजका की अपेक्षा काफी अधिक होता है। प्रोटीन एवं खनिज पदार्थ

भी रिजका की अपेक्षा इसमें अधिक पाया जाता है। इस प्रकार इसका पौधा अन्य फसलों के साथ बोन से भूमि तो उपजाऊ होती ही है, साथ ही सूखे समय में हरे चारे की भी प्राप्ति होती है।

बेकार परती भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में पौधे का योगदान—इस पौधे की जड़ों में अधिक गांठें होने के कारण भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। हरी खाद के लिए इसकी पत्तियों को मिट्टी के साथ जोत दिया जाता है, जिससे पौधों की बढ़ोतरी के लिए अति शीघ्र पोषक तत्त्व मिल जाते हैं। इण्डो-नेशिया में चावल की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए इसके पौधों की पत्तियों का हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है।

खाद्य पदार्थों में इस पौधे का महत्त्व—इस पौधे का प्रत्येक अंग जैसे पत्तियाँ, लतायें, डंठल तथा फूल पशुओं तथा मुर्गियों द्वारा बड़े चाव से खाये जाते हैं। इसके बीज स्वादहीन तथा नशीले होते हैं। इसकी पत्तियाँ तथा फूलों का मनुष्य सलाद तथा सब्जी के रूप में उपयोग करता है। दूध देनेवाले पशुओं को खिलाने से उनके दूध में बढ़ोतरी हो जाती है।

[प्रसार तथा अर्थशास्त्र विभाग : भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्था, झांसी से संकलित]

गोबर गैस स्लरी की गुणवत्ता

[गोविंद कुट्टी मेनन]

पिछले सात वर्षों से गोबर गैस संयंत्र कस्तूरबाग्राम में कई परिवारों के ईंधन की आवश्यकता पूरी कर रहा है। २५०० घन-फुट की क्षमतावाले इस संयंत्र से ४० चूल्हों को गैस मिलती है। लगभग १५० व्यक्तियों के भोजन बनाने तथा दूसरे कामों के लिए आवश्यक ईंधन की पूर्ति यह संयंत्र कर रहा है।

गोबर गैस के अलावा इस संयंत्र से मिलनेवाली स्लरी से ४२४ टन कंपोस्ट खाद बनी। साधारण गोबर से बनाये गये कम्पोस्ट के मुकाबले स्लरी से बने कंपोस्ट में उपयोगी तत्त्व कहीं ज्यादा हैं। स्लरी से बनी खाद में मुख्य तत्त्वों का प्रमाण निम्नानुसार है:—

तत्त्व	मात्रा	मूल्य
नत्रजन	७६३२ किलो	३०,८६० रु.
स्फुर	४२४० किलो	१६,९६० रु.
पोटाश	३३९२ किलो	५,०८८ रु.

इस प्रकार कुल खाद की कीमत ५२,९०८ रु. होती है। इतनी ही मात्रा के गोबर से बनी खाद में ये तत्त्व १६,४९२ रु. के ही मिलते हैं। इस प्रकार स्लरी से बनायी खाद साधारण गोबर से बनी खाद से तीन गुनी अधिक मूल्यवान है।

उत्तम से उत्तम खाद : गोबर दाने

[श्री बालाप्रसादजी धूत नांदेड के रहनेवाले एक निःस्वार्थ समाजसेवक हैं। उन्होंने अपने जीवन में मुख्यतः खेती के औजार जैसे—बखर, हल, तिफन (बोज बोन के साधन) आदि बनाने के अनेक प्रयोग किये। औजार सुलभ, टिकाऊ और सस्ता कैसा हो यही दृष्टि उनकी औजार बनाने के पीछे रही और वे इसमें काफी सफल भी रहे। उनका घर यानी कृषि औजारों का भंडार हो बन गया। उन्होंने जानवरों के गोबर से दानेदार खाद बनाने का प्रयोग किया और यह सिद्ध करके दिखाया कि अन्य खादों के मुकाबले यह खाद अधिक अच्छा, लाभप्रद और सस्ती है, जो आसानी से घर घर में बन सकती है। वे अब वृद्ध हो गये हैं, बीमार भी रहते हैं, फिर भी उनका सारा ध्यान इसीमें रहता है और किसी को भी इस बारे में जानकारी तथा सलाह देने के लिए तत्पर रहते हैं।

कृषि-गोसेवा संघ के दफ्तर से गोबर से दानेदार खाद बनाने की जानकारी लेने के लिए एक अनुभवी कार्यकर्ता श्री माणिकचंदजी मिटकरी को नांदेडमें श्री वालाप्रसादजी के यहाँ भेजा था। वे वहाँ गये, १०-१२ दिन वहाँ रहे और जो जानकारी लेकर आये, वह यहाँ दी जा रही है। — सं.]

साधारणतः दो किस्म का गोबर होता है : (१) जिन जानवरों को खली-चूनी आदि दाना दिया जाता है और (२) जिन जानवरों को केवल चारा दिया जाता है। गोबर को पक्के फर्श पर आधा घंटा सुखाने के बाद आधा इंच छेदवाली चलनी पर रखकर चलनी करने से मोटे मोटे दाने फर्शपर जमा हो जाते हैं। इन मोटे दानों को आधा घंटे तक फैला कर सुखाने के बाद १।८ इंच वाली दूसरी चलनी पर फिर छान लिया जाता है, जिससे १ सूत के दाने बनकर ऊपर रह जाते हैं और चूरा नीचे गिर जाता है। ये जो दाने चलनीमें वच जावें उनको फिर सुखाकर रख लिया जाता है। जिन जानवरों को खली-चूनी आदि दी जाती है उनका गोबर समृद्ध होता है, और जो सिर्फ घासपर पलते हैं, उनका उतना समृद्ध नहीं होता। गोबर समृद्ध भी बनाया जा सकता है। एक किलो सूखा गोबर दाना ४०० ग्राम नीम की खली के पानी में भिगोकर रखना और बाहर निकालने के बाद धूप में सूखने देना। यह खाद ज्यादा समृद्ध बनाने की विधि है।

उपरोक्त गोबर दाने बीज के साथ बो दिये जाते हैं। बीज के तिगुने दाने लेना जरूरी है, जैसा कि एक एकड़ के लिए २० किलो बीज की जरूरत है। उसमें ६० किलो गोबर दाने की जरूरत रहेगी। बीज के साथ गोबर दाने रहने से सीधे पौधे को खाद मिलता है। समृद्ध खाद बनाने से फसल को ज्यादा लाभ पहुँचेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ी मेहनत की जरूरत है।

गोबर दाने के खाद के बारे में वहाँ के कास्तकारों के साथ बातें हुईं। उनका अनुभव अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि इस गोबर दाने के खाद से अनाज का उत्पादन २५ प्रतिशत बढ़ा और दूसरा

कोई भी खाद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। चलनी से जो बुरादा नीचे गिरकर बचा उसे भी मेथी और प्याज में डालने से वह फसल भी अच्छी रही। उनका कहना रहा कि शुरू शुरू में इस बात को वे टालते रहे, लेकिन कुछ कास्तकारों ने इसका उपयोग किया और उनका फायदा देखकर और भी कास्तकारों ने गोबर दाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। १० एकड़ जमीन में दो बैलों के गोबर (जो खेत में ढेर के रूप में डालते हैं और फैला देते हैं) का खाद पूरा नहीं पड़ता, लेकिन दाने बनाकर बोज के साथ बोने से पूरे १० एकड़ में २ बैलों के गोबर से काम हो जाता है। ४ किलो गोबर में १ किलो दाने बनते हैं।

गोबर अभी भी भारतीय कृषि का उर्वरक है, क्योंकि यह पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध होता है। हरेक कास्तकार के पास घर के बैल होने से उसको बाहर जाने की और खाद के लिए अड़े रहने की जरूरत नहीं होती। घर बैठे उसका काम हो जाता है। इस गोबर दाने को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और संशोधन तथा प्रयोग करने की आवश्यकता है। अभी खेत में खादके जगह जगह ढेर डालकर फैलाया जाता है। यह कुछ थोड़े पौधों को ही मिलता है। बाकी बरबाद हो जाता है। इस गलत पद्धति को बदलकर बोज के साथ साथ जमीन में खाद पहुँचाना आवश्यक है, जो हरेक पौधे को सीधा मिल जाता है। यह ज्यादा लाभप्रद है। गोबर दाने में गोबर व्यर्थ नहीं जाता। बनाने में सुलभ और कम खर्च में घर घर बना सकते हैं। विदेशी (सुपरफोस्फेट, यूरिया आदि) खाद की अपेक्षा गोबर दाने के खादसे अनाज से स्वाभाविक स्वाद आता है।

श्री वालाप्रसादजी ने इस प्रयोग में दिलचस्पी लेकर किसानों के सामने एक अच्छा आदर्श पेश किया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद।
(संकलित)

उत्तम हरा चारा : कू-बबूल

[सुरेश देशमुख एम. एस-सी. कृषि]

कू-बबूल यह खुश्क और सारयुक्त जमीन में भी बारामाही हरा चारा देनेवाला द्विदलीय जाति का बढ़िया पौधा है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं और साधारण सिंचाई से भी यह अच्छा बढ़ता है। सालभर इसकी पत्तियों और कोमल टहनियों से हरा चारा मिलता है। दस साल तक यह पौधा काम दे सकता है। इसकी पैदाइश मेक्सिको और मध्य अमेरिका में हुई है।

१. जमीन और वातावरण

विविध प्रकार का वातावरण और विविध प्रकार की जमीन में यह पनप सकता है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जमने के लिए सालभर तक बीच-बीच में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। बोनो के पहले एक बार जमीन हल से गहरी जुताई करनी चाहिए।

२. खाद और उर्वरक

पाँच गाड़ी खाद (F. Y. M.) जमीन में मिला दें। १६ किलो P_2O_5 और १० किलो नैट्रोजन फो एकड़ एक साल के लिए काफी है।

३. बीज की ट्रीटमेंट

बीज का छिलका मोटा और कठिन होने से $40^{\circ}C$ (याने कुन-कुने) गरम पानी में बोनो के पूर्व बीज को ३-४ मिनट रखना चाहिए।

४. बुवाई

$3'' \times 5''$ के प्लास्टिक की थैलियों में दो या तीन अच्छे बीज बो दें। इन थैलियों में २ भाग मिट्टी और १ भाग खाद (F. Y. M.) इस परिमाण में मिलाकर थैलियों में भर दें। बीज अंकुरित होने तक हर दिन थैलियों में पानी डालें। बीज उगने के बाद हर दो दिन बाद पानी डालते रहिये।

४. अ. पौधों को लगाना

जहाँ पानीकी कमी हो वहाँ यह ऊपरकी बताई पद्धति अपनायी जाती है। पौधे अंकुरित होने के ४० दिन के बाद अच्छे पौधों को (१५० × ३० सेंटिमिटर) ५ × १ फीट फासला रखकर बारिश के समय लगावें। बारिश होने पर आवश्यकता हो तो सिचाई करें।

४. आ. टोकन पद्धति

मान्सून की दो बार अच्छी बारिश हो जाने पर ५ इंच की दूरी पर बीज लगा दें। दो कतारों के बीचका अंतर (एक से डेढ़ मिटर) ३।।से ५ फीट तक हो। बीज (डेढ़ सेंटिमिटर) आधा इंच गहरे बोयें। बारिश न हुई तो पानी दिया जाय। आठ-दस दिन के भीतर बीज में अंकुर निकलने लगेंगे। दो पौधों के बीच का और दो कतारों के बीच का अंतर जमीन की उर्वरा शक्ति देखकर थोड़ा कम ज्यादा करना चाहिये। जमीन की रचना, खाद और पानी देने का इंतजाम, इसका भी इस बात में खयाल रखा जाय।

जहाँ जमीन ढालू है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कंदूर लाइन निकालकर पौधे लगाने चाहिये।

५. आंतरमशागत और सारसंभाल

प्रारंभ में यह पौधा बहुत मंद गति से बढ़ता है। दो या तीन बार हाथ से इसकी निंदाई करें। दो माह के बाद नीचे के हिस्सेवाली छोटी टहनियाँ और पत्तों की कटिंग करें।

६. पौधा स्थिर हो जाना

हलकी जमीन और साधारण बारिशवाले हिस्सों में यह पौधा जमने में २५० दिन लगते हैं। और जमीन अच्छी रही और सिचाई का इंतजाम रहा तो १५० दिनों में यह पौधा कटाई के लिए तैयार मिलता है।

पौधा (डेढ़ या दो मीटर) ५-६ फीट ऊँचा बढ़ जाने पर पहली कटिंग (७५ सेंटिमिटर) २।।फीट के ऊपरसे की जाये। फिर बादमें

३५ या ४० दिनों के बाद नाजुक टहनियों और पत्तों की कटिंग करते जायें। बहुत जाड़े के दिनों में कटिंग ५० दिनों के बाद करें।

ठंडकाल में हर ३० दिन में एक बार और गरमी के दिनों में हर १०-२० दिन के बाद सिचाई करने से नियमित ढंग से और अच्छा हरा चारा मिलता है।

७. उत्पादन

ठीक देखभाल होने पर हर साल फी एकड़ में से २० से २५ टन तक हरा चारा मिल जाता है।

८. उत्पादन-क्षमता

सामान्यतया यह पौधा साल भरमें एक एकड़ में २० टन (५०० टन) हरा चारा देता है, जिसमें से १५०० किलो फूड प्रोटीन या ११०० किलो सुपाच्य फूड प्रोटीन और ३४०० किलो कुल पाचकतत्त्व मिलेंगे। इसके साथ चार या पांच टन प्रतिशत सूखे चारे की पूर्ति की जाय तो तीन दुधारू मवेशियों को पालना संभव होगा, जिससे प्रतिदिन लगभग छः लिटर दूध मिलेगा। परंतु अधिक दूध देने की क्षमतावाले मवेशियोंके लिए खली-दानेका भी इस्तेमाल करना होगा।

इस संबंध में समग्र प्रयोग चल रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए भारतीय कृषि-औद्योगिक प्रतिष्ठान उरुलीकांचन, जिला पुणे (महाराष्ट्र) से संपर्क कर सकते हैं या वर्धा लिख सकते हैं।

उरुलीकांचन (पुणे)

(संकलित)

१६-६-७७

SHRI JAYAPRAKASHJI'S LETTER
TO SHRI JYOTI BASU

Patna,
Sept. 23, 1977

Dear Jyoti Basu,

This is about the question of banning cow slaughter in West Bengal.

A deputation of the Krishi Go-seva Sangh, led by Shri Radhakrishna Bajaj, who is a close associate of Vinobaji, had met you last August and discussed with you the whole question. And you had, I am told, assured the deputationists that your Government would enforce strictly the provisions of the existing West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950.

I think if the existing law is implemented properly, the problem can be solved to some extent. At least the scene of herds of cattle towards Calcutta for being slaughtered could be and should be stopped forthwith. As you might know, the demand for a ban on cow slaughter, has its origin in Article 48 of our Constitution. When this article was inserted in the Constitution, it had received unanimous support of the members of the Constituent Assembly, including Muslims, Christians, Parsees, etc. I believe that Muslim opinion in general is not opposed to ban on cow slaughter, and even

in West Bengal it can be persuaded to view this issue from a non-religious angle.

I hope that you will take measures to enforce the provisions of the Animal Slaughter Control Act, and also take steps to pass a new legislation demanding ban on cow slaughter. As Shri Bajaj will tell you, Vinobaji is very anxious to know the steps taken or to be taken to this effect by your Government. It would be very kind of you to let us know in some details what your government has done or proposes to do in this connection.

With very best wishes and regards,

Yours sincerely,
Jayaprakash Narayan

Shri Jyoti Basu
Chief Minister, West Bengal
Calcutta

SHRI JYOTI BASU'S LETTER TO JAYAPRAKASHJI

D. O. No. 92-GM
Calcutta, February 10, 1978

Dear Shri Jayaprakash Narayan,

Thank you for your letter dated September 23, 1977 on the question of banning cow slaughter in West Bengal.

This issue has been under examination of the State Government and we have been in correspondence with the Government of India on the subject

for some time. This partly explains the delay in my replying to your letter.

After very careful and objective consideration, the State Government is of the view that the provisions contained in the West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950 are in consonance with Article 48 of the Constitution and this view has been supported by the Supreme Court in the case of Md. Hanif Qureshi and others Vs. State of Bihar. In these circumstances we have written to the Government of India to say that it is not necessary to ban cow slaughter completely. In coming to the view which I have mentioned above, we have not looked at the problem from the point of view of religious considerations alone. We have also taken into account the socio-economic factors prevailing in the State. We feel that apart from the important consideration of meeting the consumption requirement of a large beef-eating population in the State, total ban on cow slaughter runs counter to the development of animal husbandry on modern and scientific lines.

This Government shares your view that the West Bengal Slaughter Control Act, 1950, should be extended to the entire State. At present it is enforced in all the Municipalities and Corporations and the State Government is making all efforts to ensure that the provisions of the Act are enforced. We would like to bring the entire State under the provisions of this Act as soon as we have built up the necessary infrastructure for enforcing its provisions. You will kindly appreciate that mere extension of the Act without the supporting machinery to enforce the provisions would not be correct.

In the recent past the State Government have passed the West Bengal Cattle Licence (Amendment) Act, 1976 by which the entry of cattle to the Calcutta Metropolitan Area has been prohibited. We are also making all efforts to enforce the provisions of this Act.

With kind regards,

Yours sincerely,
Jyoti Basu

BENGAL SHOULD FALL IN LINE

(J. P.'S letter to Shri Jyoti Basu)

Dear Jyoti Basu,

I thank you for your D. O. No. 92-GM, dated February 10, in reply to my letter on the question of banning cow slaughter in West Bengal.

I am glad that the Government of West Bengal agrees with the desirability of extending the operation of the West Bengal Slaughter Control Act of 1950 to the entire State. I hope this will be done without any undue delay and the necessary machinery for enforcement will be set up.

You have referred to the view taken by the Supreme Court in the case of *M. H. Qureshy Vs. the State of Bihar*. So far as I have been able to follow the observations of the Supreme Court, it has made exceptions in the case of "she-buffaloes, bulls and bullocks (cattle or buffalo) after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals". But so far as

"cow of all ages and calves of cows and calves of she-buffaloes, male and female" are concerned, the Supreme Court has clearly favoured a "Total ban" on their slaughter and has held such ban to be "in consonance with the directive principles laid down in Art 48 of the Constitution".

I understand almost all other States in India have now passed legislation to ban cow-slaughter in consonance with the directives contained in Art 48 of the Constitution and in accordance with the ruling of the Supreme Court. I hope that the Government of West Bengal will also fall in line. For, I am sure, you would not like Calcutta or West Bengal to take the odium of being the only place in the country where the Supreme Court's ruling is by-passed and the best breed of cows of Northern India slaughtered daily in large numbers. Needless to say that in a predominantly agricultural country like ours, the cow and its progeny have a very crucial and important role to play in economic development.

I have written to you at length in view of the importance of the matter.

With best wishes and regards,

Yours sincerely,
Jayaprakash Narayan

Patna, 30th May 1978

POLITICIANS SHOULD COME OUT OF THEIR NARROW SHADES

(Letter to Chief Minister of Kerala)

Dear Shri Vasudevan Nair,

You have appealed to Vinobaji in your open letter to him that he should come out of his religious shell and work for the reawakening of the Indian people. When Vinobaji launched the unique movement for the solution of the land problem through Bhoodan and Gramdan, he was ridiculed and condemned by you and your party as anti-revolutionary. All the political parties though they welcomed his movement and offered support during the Yelwal Conference in 1957 in the presence of Nehruji they never raised their fingers in support of the movement.

Vinobaji furrowed his lonely path and received as voluntary gift of 4.3 million acres, much more than what all the State Governments acquired through the land ceiling acts. Vinobaji reached the climax of the movement when the people offered to surrender their private ownership in favour of Gramsabha ownership in the name of Gramdan. Thousands of villages all over the country opted for Gramdan. If only the State and the Central Government had come forward to help the Gramdan people with adequate financial help, the movement would have swept the country. The money-lenders and the banks refused to give loan to the Gramdan people for the reason that they

have surrendered their ownership to the Gramsabha and lost their credit worthiness. In spite of these throttling handicaps, there are still hundreds of Gramdan villages struggling to assert and exist according to the Gramdan principles.

Vinobaji has demonstrated to you and the countrymen the democratic way for a silent revolution in this country and that the Indian peasantry is quite prepared for voluntarily transferring their private ownership to village community ownership with the ultimate goal of power to the people through Gram Swaraj. It is clear vindication of India's culture and tradition that there is no need for a violent revolution similar to that of Russia or China. Vinobaji has prepared the country for the silent and peaceful agrarian revolution. What more do you expect from him?

Vinobaji has pronounced to the world that the days of politics and religion have gone and the future is of science and spirituality which was acclaimed by Nehruji, Nixon and other statesmen of the world. Vinobaji has not any religious shell to give up. To dub him as a religious man in the narrow sense is twisting and misrepresenting Vinobaji's humanitarian high ideals. The agricultural economics of cow protection is given a religious colour by politicians and vested interests. The cow protection, as laid down in the constitution by the founding fathers, has no religious background at all. It is pure and simple agricultural economics.

You have lamented in your letter that the prices of buffaloes have shot up and prices of all kinds of meat have gone up as a consequence of

Vinobaji's fast and the people's movement for the prohibition of cattle transport from Tamil Nadu. The Tamil Nadu Kisans are sore at heart that they are unable to purchase a cow or a pair of bulls in the market as the Kerala traders flood the cattle market offering high prices. A pair of work bull sold at Rs. 500/- four or five years ago has now soared so high as Rs. 2,000/- to Rs. 2,500/- and similarly the cow. The State Government which has taken up the programme of helping the weaker section of landless and the small Kisans by providing milch cows or pair of work bulls through the Nationalised Banks find it beyond the means of a poor Kisan to repay the amount as the prices have risen up abnormally high. Are we to feed the slaughter houses of Kerala at the loss of agriculture and suffering of the Tamil Nadu Kisans?

The Supreme Court Judgement had to recommend for total ban on cow slaughter after the practical experience that the loopholes provided in the Acts regarding age and deformity has led to the indiscriminate killing of cattle to the detriment of our agricultural economy.

It is the politicians who should come out of their narrow shell of politics of power. Money, caste, hooliganism of booth capture have debased our democracy. Let not the cow protection, a humanitarian and economic issue, be smeared with religious or communal colour for political exploitation with the eye on votes.

S. Jagannathan
Chairman

Tamilnadu Sarvodaya Mandal
9 Power House Road, Madurai

REPLY TO CHIEF MINISTER OF KERALA

(By Shri R. K. Patil)

1. Shri Vasudevan Nair, Chief Minister of Kerala, wrote to Shri Vinoba Bhave on the 10th May 1979 after the termination of his five days' fast on the Government of India's decision to amend the Constitution of India by bringing the subject of cow protection on the concurrent list, followed by subsequent legislation banning cow slaughter in the whole country including these two States of Kerala and West Bengal. The following is a summary of the main points in the letter and reply thereto by Shri R. K. Patil, Vice-President of the Central Anti-Cow Slaughter Campaign Committee.

2. Shri Nair insists on pejorating Vinoba's demand as 'a personalised conception of dharma', 'narrow religious predilection and taboo'. He even insinuates Vinoba with motives of Hindu revivalism. He fails to recognise the long standing tradition in India on this question, that even Muslim rulers enforced the ban on cow slaughter on economic grounds, that even during British rule, when the ban was first relaxed by them for their troops, there was a consistent and continuing demand for the reimposition of the ban, that when the Constitution of free India was drawn up this was one of the first things insisted upon and enshrined in the Constitution, and the Supreme Court of India supporting the ban. He fails to accept Vinoba's in-

sistent denial that in making the demand he is actuated by economic, cultural motive and that his demand is not on religious grounds but on humanitarian considerations and the need for all States in India to respect the Constitution of India and its highest judicial authority. Shri Nair makes no allowance for Vinoba's contribution to religious amity, linguistic integration, non-partisan policies and emotional unity of the Nation. This is clearly a case of giving a dog a bad name, and beating him with any stick.

3. He objects to Vinoba's backing his demand through an indefinite fast. But what could Vinoba do otherwise? Accept patiently the refusal of the two governments to honour national sentiment, the fact that all other major States, except these two, with the implied consent of 55 crores of the Indian people, and comprising 90% of the total non-Hindu population, had passed such legislation, that a period of 3 years had been given to these States to fall in line that the position taken up by these two States was not that they wanted more time but that Vinoba should give up his demand. Any other course would have allowed the two governments to accept the shelter of the entry being in the State list, and accept as a fact Government of India's impotence to do anything in this regard. Obviously such a course would have serious repercussions for national unity, if these two States would have been allowed to flout with impunity the national constitution and the verdict of the highest judiciary in the land.

4. Shri Nair objects to Vinoba's giving up the method of persuasion, and insisting on legis-

lation, contrary to what he did in the Bhoodan movement. He fails to see that in the case of land the long tradition in respect of private property in land to be contended by a process of persuasion, education and renunciation, while in this case, a national will articulated through centuries of tradition, custom, and accepted by the overwhelming majority of the people of India, including the minorities, had to be imposed on unwilling governments, who persistently refused to see the justice of the demand.

5. Shri Nair raises a valid question about the old and decrepit cows and what should be done about them. But he completely ignores the argument of the Supreme Court that in spite of all laws to the contrary, at least 50,000 cows of some of the best breeds in the country are annually slaughtered only in the three cities of Bombay, Calcutta and Madras, and that therefore even the useful cows in India cannot be protected unless there is a complete and total ban on cow slaughter. It should be emphasised that Art. 48 of the Indian Constitution casts this duty of cow-protection on the State in India and not on its people. Therefore, this very relevant and important question has to be tackled by the combined effort of the States and the Indian people. But there can be no question that the first step in this regard is the enforcement of the complete ban on cow slaughter.

6. Finally the argument that maintaining old and decrepit cows, cuts into the fodder and feed resources of the good cows, and therefore their numbers have to be controlled through slaughter. It

must be pointed that this argument was raised before the Supreme Court also and generally accepted by them, and yet they said that the overwhelming need for preserving good cows necessitated a complete ban. The number of such cows is infinitely small compared to their total number. As per last cattle census only 45% of the total cattle population of India are slaughtered annually, and of this the cows would be a part only. Their numbers so far as Kerala is concerned will only be in some thousands and not even a lakh. Is slaughter the only way of regulating numbers in these days when science has advanced so much? We complain of over-population in human beings. Do we resort to slaughter for regulating their number? No, then why can we not follow similar methods in the case of an animal which has been accepted by the Indian tradition as a member of their family? The contribution of India to world culture is the recognition of (i) man's fundamental dependence on Nature, (ii) a sense of humility in partaking of Nature and (iii) cultivation of self-restraint in the process of enjoying Nature's benefits. The cow economy does precisely all this.

AMEND CONSTITUTION TO SAVE COW

(By *Shri Dharamsey M. Khatau*)

(Chairman, Krishi Goseva Sangh)

In the economy of our country the cow is a sacred animal. If the condition of the vast population of our country is to be improved, attention must be devoted by all concerned to the problems of animal husbandry. Ours is an agricultural country. The natural resources are plentiful. But the faulty factor is man. We have not harnessed our immense resources. Hence, it has almost become a saying that India is a rich country inhabited by poor people.

If we really and sincerely mean to elevate the existence of the teeming millions, we shall have to protect the cow and her progeny, the bullocks. By cow-protection we do not mean the traditional way of running a Goshala or Pinjarapole; but establishment of dairies, improving the progeny of cows, stoppage of cow slaughter, better scientific utilization of cow dung and urine, installation of gobar gas plants which generate energy and give rich manure, maintaining grazing grounds, banning exports of cattle feeds, developing tanneries and utilization of carcasses etc.

Our cattle wealth occupies unique position in the national economy of our country which predominantly depends on agriculture. While the female

progeny supplies milk, the male progeny continues to be the principal source of draught power, bio-energy, for agriculture and for rural transport of all nature.

In spite of our progress in the industrial and technological field we should remember that cattle still play a vital role in the rural economy of India. Bullocks are the main source of motive power in agricultural operations and milk is the main source of animal protein in the dietary of the people. The cow milk proteins possess a high digestibility, biological value, growth promoting value and are about equal to human milk proteins in its fat nutrition. Cattle are used for ploughing, harrowing, threshing, for lifting water and for transporting the produce to the market. They replenish the fields with organic manure and yield hides and skins. Cows and bullocks are regarded as the foundation of agriculture in India. No amount of mechanical devices like tractors, etc. can replace bullocks, as it has been generally done in Western countries and the U.S.A. where the conditions are quite different and it would be most unwise to blindly imitate them irrespective of our basic environmental differences.

Shortage of fertilizers and inadequacy of fuel are two problems tormenting the farmers. The Gobar Gas Scheme holds limitless potentiality of growth with over two hundred and eighty million heads of available cattle spread over half a million villages.

During the course of our independence our leaders, like Tilak Maharaj and Gandhiji have assured us that with the achievement of Swarajya, the first

thing that shall be done is to stop the slaughter of cow and its progeny. But it is a matter of great regret that large number of cows are slaughtered daily in Calcutta.

You will be surprised to learn that in Bombay City alone daily about 1000 tonnes of Gobar is thrown away in drainage and only a small part of it is used for manure. This being a very vital subject, we feel that if an integrated project of producing Gobar Gas is prepared under the joint auspices of the Maharashtra State, Bombay Municipal Corporation, and big business houses of Bombay, provided Government gives us necessary facilities and required concessions to successfully operate the project, our city will get extra energy, fuel, light, rich manure and hygienic conditions. Unless the principles of scientific management are applied to such vital projects, allocation of funds alone will not solve the problems. I appeal to such industrial houses who have prospered by scientific management to extend their helping hands in organising such schemes.

Bombay, 8-11-1978

(From welcome speech at 'Gopashtami Mahotsava')

CATTLE OUR PARTNERS IN PRODUCTION

(By *Shri Devendra Kumar*)

The western mind is not able to comprehend the reasons for concern of Indian culture to preserve all life and the expression of this in saving the cow. Here is a concise detailing of the reasons.

I. Why only the Cow?

Man lives among fellow animal beings establishing relations of various kinds with them. (1) He dreads those animals which can harm him like snake, tiger, crocodile; (2) he hates those which affect his property like the rat, the boar, wild animals which destroy his crops; (3) he pets those which delight him like the dog, the parrot, the cat; but (4) he makes friends with those which sustain him and are in turn sustained by him.

- (1) He destroys the dreaded
- (2) He hunts the hated
- (3) He patronises the pets, but
- (4) He befriends his partners in production.

This friendship between man and animal was developed in all ages and in all lands; e.g. between the Eskimo and his dogs, the Arab and his horses, the agriculturist and his bullocks.

II. Man's Search for Food without Killing

In India man searched for such food for which he need not kill any living fellow animal being. He, however, found that vegetable sources alone did

not give him all the necessary nutrition, as certain essential proteins and fats could be got for him only from the animal world. How to get it without killing was a big question? The milk of the animals came as a solution. Having accepted milk products, man felt that for non-killing of the species required for providing the milk food, saving of both its male and female progeny became incumbent. In other species like the goat, the buffalo, etc. where male animals were not found useful for any economic activity it became difficult to keep them alive without work. The pair of cow and bullock ultimately came as a great boon.

As a dual purpose animal (milch and draught)—the cow (it could be buffalo also in certain areas where the he-buffalo also lives a full life and has enough work as a draught animal which usually it is unable to do in India) became the symbol of symbiotic relationship between the human and the animal worlds. This is a precious model presented by the culture of India to the civilization of man which is presently searching for means to save all animal life on the planet.

III. Bullock Power—The Backbone of National Economy

Whereas the horse economy has vanished with the advent of machine age, the bullock economy still subsists in India. 30,000 megawatts or 40 million Horse Power of energy is still being supplied by our bullocks in agriculture, transport, and village industries. This is more than all the present installed capacity of electrical power in India.

The backbone of the country's rural economy is the bullock. Unfortunately due to slaughter of economic cattle not being prevented, the rural economy is suffering from a shortage of crores of bullocks required for agriculture and haulage.

IV. Cow on the Composite Culture of India's History

Cow and bullock were thus declared non-slaughterable in the sub-continent. The composite culture of the country, in which various streams of human civilizations mingled harmoniously, continued to appreciate the beauty of this arrangement as is proved in the annals of its history. The east, north and west Asians—all in their heyday promulgated edicts to keep the life giving cow family protected. Moghals specially proclaimed themselves as saviours of the cow. It was during the European regime that the breach took place because of the beef eating habit of their soldiers. The urbanization and truck-tractor invasion in the sphere where the cattle power ruled also helped in widening this breach and cows began being slaughtered progressively. As a rule all trades thrive only on an increased resource base. This applied to beef trade too. Hence more and more cattle (both economic and uneconomic) began being slaughtered year after year. The resistance of the people in slave India proved futile and only after independence the breach in the history and culture of the land was vowed to be bridged. Tilak said that after independence our first step would be to legally ban all cow slaughter. Gandhiji said: "To me every cow slaughtered is like severing my own head." These promises are to be kept and the cultural trait of India preserved.

V. Cow in Free India's Constitution

The founding fathers of India's Constitution unanimously enshrined in the Directive Principles that cow and calves and other milch and draught cattle should be saved from slaughter. Still laws according to it took time to be made by the States. The interpretation of the Principle was challenged by the interests which were in the beef-trade. The Supreme Court gave its verdict in 1958 to the effect upholding protection to cows of all ages and bullocks till they are servicable and/or 15 years of age. They maintained that the greedy knife of the butcher gets old as well as young cows for slaughter. This pull sucks even the economic cows into the abattoir by making and showing them as uneconomic. This makes a mockery of the Constitution's wish. It is this judgement of the highest tribunal of the land on the Directive Principle regarding the cow, which is sought to be implemented. Barring North-East Tribal Hill States where agriculture is not based on bullocks and cow's economy is unknown, almost all the States have made laws in consonance with the Supreme Court Verdict. Only the two States of Bengal and Kerala are left behind. It is here that ban on cow slaughter needs to be promulgated.

VI. Cow in Kerala and Bengal

The result is that good cows and bullocks are taken out by the beef traders from the northern States to be slaughtered in West Bengal and from the southern States to Kerala for rendering them into meat.

Kerala alone kills an estimated 8 lac cattle—50 times more than what their own cattle population would warrant. Similarly best breeds of Haryana and Punjab cows go to Calcutta to serve only one milking season before being taken in by the beef trade. The inroads of the market forces of beef trade (with ostensible connection with clandestine export to other countries from both these frontier States) is progressively increasing spilling doom on the agricultural dairying economy of the country. As time passes the beef trade will in due course swell itself as all trades are wont to do. Hence the two leaks in the ban on cow slaughter in India should be plugged immediately. If the laws protecting the cattle from all other States are not to be made a mockery, a national central law in this regard is imperative.

Some Questions Answered

- Q. Is not preventing cow slaughter impinging on religious sentiments of Muslims & Christians?
- A. No religion demands its adherents to eat a particular meat. They have indicated the taboos. Forcing any religionist to eat the tabooed food will be against his religion and so will be a heinous crime. Banning cow slaughter for economic reasons, like preventing felling of trees for ecological reasons, even if it creates some inconvenience, has to be taken in the spirit of the economic need of the nation.
- Q. What do you say to the claim that beef is poor man's meat and he should not be deprived of it?

A. Any commodity, which the many would like to be eschewed, can be got cheap by the few who do not follow that norm. It is the sacrifice of the beef shunners. Otherwise in no part of the world is beef any cheaper than mutton. Hence the argument is a travesty of logic.

Q. Even Bengal and Kerala Governments agree that they are prepared to do all to save the economic cattle but they say that it would be rationally wrong to waste national effort and resources on uneconomic cattle when they are not able to look after even their poor people. What is wrong with their stand?

A. We owe it our duty as a gratitude towards the cattle which have worked all their lives to serve man that we allow them to die a natural death. As Gandhiji said that protecting the cow is a token of gratitude towards the animals and a legacy of Hinduism to humanity. We know well that if the sensitivity of heart is lost humanity suffers. Moreover, there is no conflict between looking after the old cows—which have served us all their life time—and the interest of the poor people and/or economic cattle. It is also to save the economic cattle from slaughter, that some 5% of the uneconomic cattle are to be given some fodder. They serve as the outer core of the aged which protects the younger ones within the circle made by them. The upkeep of the old cows does not take food of humans. Actually it enriches the soil by precious manure and helps increase yield of food for him and fodder for themselves.

- Q. How can a poor man look after his uneconomic cattle, will they not go astray and destroy crops?
- A. If an uneconomic cattle cannot be maintained by an individual, there must be made a collective effort to take its charge. Scientifically managed Go-Sadans—Refuge of old-cattle will be got in every district where such cattle will be kept. Here manure making, fuel gas manufacture by gobar gas plants, light machines worked by animal power will be set up for the cattle till they live and a plant will be run for full utilization of the various parts of their carcass after they die their natural death. The uneconomic cattle thus will be made economic by collective scientific means.

APPEAL TO BAN EXPORT OF ANIMALS AND MEAT

(By Acharya J. B. Kripalani)

I understand that several well-meaning persons from various parts of the country have been making efforts to persuade the Government to declare a total ban on the export of animals and birds, whether dead or alive. They are afraid that such exports will eventually drain the animal wealth of the nation.

Representative of Bhagwan Mahaveer Ahimsa Prachar Sangh, Madras met me recently in this connection. They propose to arrange for an All India Level Deputation to meet the Prime Minister and other concerned Ministers.

Their three demands are that no animals or birds shall be slaughtered for the purpose of export; that there shall be a complete and permanent ban on the export of animals and birds, whether dead or alive, whether the end use is for the purpose of experiment, entertainment, decoration or food; and that the scheme of constructing Modern Slaughter Houses is mainly designed to enormously increase the export of meat to various countries and therefore it shall be dropped.

These demands are in the direction of Gandhiji's principle of Ahimsa and the thinking of our Prime Minister. I fully agree with these demands and bless their efforts.

The previous Government had embarked upon a ruthless scheme of deforestation despite repeated warnings by several ecologists and as a result the nation has lost much of its precious forest wealth. Now there is again talk of Vanamahotsava. I wish that the present Government do not commit such a mistake in respect of animal wealth.

I hope that the Prime Minister and the Agricultural Minister will give due consideration to these demands.

Madras

12-7-78

EXPERTS SHOULD THINK IN INDIAN WAY

(Compiled by Dr. B. K. Soni)

Shri Radha Krishna Bajaj in his comments at the fourth workshop of the All India Coordinated Research Project on Cattle held from 17th to 19th April 1978 at Andhra Pradesh Agricultural University, Lam, Guntur (A.P.) made the following observations:

Shri Bajaj expressed at the workshop that experts were the cream of the intelligentsia and crores of rupees had been spent by the nation to train them, maintain their laboratories and look after their interest. The nation expects fair return from them. The experts were like energy or power or fire which do good as well as damage. Fire could be used for burning the building or cooking the food depending upon the person who handles the fire. According to Shri Bajaj the experts face the following limitations:—

(a) **Urbanisation:** Most of the scientists live in the urban conditions and are not familiar with the rural problems; he advised that the scientists should spend as much time as possible in rural surrounding and learn the problems of rural poor.

(b) **Laboratory bound:** Scientists in spite of their efforts are generally tied up with their

laboratories and are not familiar with the conditions of the farmers and the livestock. It is desirable that the scientists working in the projects like All India Coordinated Research Project on Cattle should sometimes spend time with the farmers and learn their problems and find their solutions.

(c) **Westernisation:** Most of the senior scientists are trained in the western countries and hence look to the west for their guidance. It may be good to some extent that the scientists should take inspiration from our old traditions and not always depend on the western ideas. Our scientists are some of the best in the world and if they take interest in the local conditions and find local solutions, there is no reason why the technology developed by them cannot be utilised by the rural poor.

(d) **Bureaucratic attitude:** Scientists though working on the research and development side, sometime develop bureaucratic attitude of a government servant. They should consider themselves as servants of Janata only and keep the interests of common man in their mind.

After identifying these limitations of the scientists Shri Bajaj made the following recommendations:

(i) **Need for better bullock power:** In spite of mechanisation, agriculture for long time to come would depend upon bullocks for their energy, while improving the milk production capacity of the cows, the bullock power should not be neglected. He suggested that cross-

breeding may be limited to 50 percent level of exotic blood in the non-decrepit cows. The indigenous breeds suitable for production of bullocks need not be affected by cross-breeding.

(ii) Government should give 100 percent tax exemption on donation to the organisations involved in the improvement of the cows.

(iii) **Price Differentiation:** Cow milk should be given some preference as far as the price is concerned. If the butter fat is the only concern, the cow milk would always be at disadvantage.

(iv) The States which have not banned the cow slaughter should also be approached to ban the cow slaughter. The emphasis should be on cow preservation rather than on cow slaughter.

HOUSE TO HOUSE SLAUGHTER SHOULD BE STOPPED

In the Name of Religion at Calcutta

The West Bengal Government should not relax the provisions of the Animal Slaughter Control Act on religious grounds and should not exempt slaughter of cattle for religious purposes. According to our information, this relaxation is being given for last three years only. In other States of India, where also large number of Muslims live, such permission for slaughter on religious grounds is not given.

The advantage of relaxation being given in West Bengal for last few years on the occasion of Bkr Id, thousands of the best cows are slaughtered in public places and private homes even in predominantly non-Muslim areas, sometimes in full view of the members of other communities, leaving a permanent scar on the hearts and minds of the Hindus. Although the rules provide that such slaughter is "subject to the condition that such slaughter does not affect the religious sentiments of the neighbours of the person or persons performing such slaughter", this provision is observed more in its breach than in implementation. Instance can be cited where cows have been slaughtered within 100 yards from a temple. Thus blanket relaxation on religious grounds does more harm than good to communal harmony and should not be given. In this regard the Supreme Court has observed:—

"The sacrifice established for one person is a goat and that for seven a cow or a camel. It is, therefore, optional for a Muslim to sacrifice a goat for one person or a cow or a camel for seven persons. It does not appear to be obligatory that a person must sacrifice a cow. The very fact of an option seems to run counter to the notion of an obligatory duty. So there may be an economic compulsion although there is no religious compulsion. . . . The fact emphasised by the respondents cannot be disputed, namely, that many Mussalmans do not sacrifice a cow on the Bkr Id day. It is part of the known history of India that the Moghul Emperor Baber saw the wisdom of prohibiting the slaughter of cows as and by way of religious sacrifice and directed his son Humayun to follow this example.

Similarly, Emperors Akbar, Jehangir and Ahmad Shah, it is said, prohibited cow slaughter. Nawab Hyder Ali of Mysore made cow slaughter an offence punishable with the cutting of the hands of the offenders.... We have, however, no material on the record before us which will enable us to say, in the fact of the foregoing facts, that the sacrifice of a cow on that day is an obligatory act for a Musalman to exhibit his religious belief and idea."

In view of the above conclusion, arrived at by the Supreme Court, provisions of the Animal Slaughter Control Act should not be relaxed on religious grounds to permit cow slaughter outside the slaughter house. When there is no religious compulsion, the sentiments of the majority of the citizens should be respected.

Shyam Sunder Sanganerla

Secretary

Krishni-Goswami Sangh West Bengal

LEARN TO LOVE THE COW TO PREVENT COW-SLAUGHTER

(An extract of the speech delivered by Shri Satish Chandra Das Gupta in a seminar on National Economy and the Cow, at Calcutta on 26th February, 79)

I shall begin by quoting a paragraph from the letter of the Hon'ble Chief Minister of West Bengal, Shri Jyoti Babu, which he wrote to Acharya Vinoba Bhave, expressing firmly, that it is not possible to ban Cow-slaughter. His words are:—

"We are however not in favour of total ban on Cow-slaughter. We would like to look at

the issue from the economic aspect rather than the religious aspect. The total ban on Cow-Slaughter will lead to an increase in bovine population, which would strain our slander cattle feed resources. This will undermine the capacity of useful animals and will hinder the scientific growth of animal husbandry. A total ban on cow slaughter, will also become a very sensitive issue in this State, where there is a large beef-eating population, mainly belonging to the minority community...."

A Rejoinder to Shri Jyoti Basu

Shri Jyoti Babu makes out a case for useless cow slaughter, because there is scarcity of fodder. And the useless ones if kept alive, will consume the food necessary to be given to the healthy cows. This is a short-sighted observation. There is plenty of cattle food to maintain much large cattle population in West Bengal, in the so-called perennial laterite fallows. There are 1.5 million acres of such type of lateritic fallow land in the 4 districts of West Bengal, i.e. Mindapore, Birbhum, Bankura and Purulia. I have shown by actual trial that these perennial fallows may be converted to perennial fertile land by simple steps to be taken for reclamation. And if they are reclaimed, will yield 450 crores worth of human and cattle food annually. 1.5 million acres is equal to the area of one district of more than 2000 sq. miles in the four districts. If these fallows are brought under cultivation and which can be done easily as demonstrated by me, a very large population of cattle will be maintainable and they will not only give milk and work but also give their GOBAR and URINE, which is of very great organic manurial value needed for raising crops. This obtaining of Gobar brings

me to the case of setting up Gobar Gas Plants, which will give gas for cooking and lighting and the spent slurry for manure. After the discovery of Gobar Gas, no living Cow or Bullock can be called useless. They are fed and their Gobar gives Gobar Gas and spent Gobar slurry by which we perform our cooking and get the spent slurry (Gobar and water mixed together) which is made into compost and return to the soil. And when the Cow dies naturally, she also gives us by way of flesh, bone, fat, horn and hide. I have proved that the so-called useless cattles are not useless but very useful as a source of fuel and manure. I hope the Hon'ble Chief Minister will change his views and take suitable action for stopping cowslaughter.

THE ECONOMICS OF COW PROTECTION

(By Prof. C. N. Vakil)

On attaining Independence, our constitution was adopted after thorough deliberations, the Directive Principle (Article 48) of which enjoins upon the States to protect the cow. This was supported and endorsed by all constituents including those of the minority community. Our Supreme Court constituted by a panel of five judges has given a unique judgement on this aspect of Article 48 of the Constitution.

Cow's milk is known to be more nourishing and is the source of protein, which is required for health. The milk supply in the country is not adequate inspite of recent efforts at instituting several modern dairies in the country. The Systematic breeding, nursing and maintaining of cows in an efficient condition is a prerequisite in this connection, and this should be an important aspect of

rural development. It will help promote the health of the rural community, besides being a source of income to those who have surplus milk.

For an agricultural country like ours, the essential requirements for successful agricultural operations are good soil, good manure, and effective motive power for the various operations.

The Soil: If we can stretch our imagination a bit, we will clearly understand how it is the soil that makes the existence of man, animal, and plant possible. But each in its turn is dependent upon the other. The interdependent and inescapable relationship between soil, plant, animal and man should never be over-looked.

Man in his quest for his food and the animal, which helps him to get it, often forgets that the living soil has also to be fed as the animal or plant, if it is to sustain life. The plant derives its life from the soil. But how can the soil give the plant its life if it is not itself living? How then does soil live? A living man breathes the air and a living soil has to have humus to make it live; else, it will be dead and its death will be also man's death.

Humus is the product of decomposition of animal and vegetable wastes through the action of bacteria. It is imperative that all animal and vegetable wastes are converted into humus before being given to the soil.

Often humus is understood to mean organic waste or farmyard manure. These become humus only they have been acted upon by the soil-fungi and bacteria or to put it chemically when they have been metabolized by soil organisms.

The necessity of humus proves that soil is chemicals plus something without which it will perish,

turn to dust and become a desert. The latest attempts to overcome these pests include soil sterilisation, as greenhouse tomato-growing, but something happens which robs the fruits of flavour, and flavour is connected with mineral and vitamin content. Lack of flavour in tomatoes is now a common complaint.

Manure: The most effective manure for the fertility of the soil is cow dung. We have already seen how we depend on the soil for our existence.

If we grow fodder crop instead of the green manure on the same piece of land, at the end of the season we would get fodder enough for two animals. These animals would work for us the whole year and give us the fodder back in the form of manure better adopted for assimilation by the soil, with probably some additional nitrogen derived from metabolic processes in the animal's body.

The Bullock: India is an agricultural country, with about 400 millions of its population depending on agriculture for their livelihood. For them the Cow is more than their right hand, since without the aid of bullocks which the cow provides, ploughing, irrigating, weeding, harvesting, threshing, carting and marketing will be next to impossible. Bullocks are also necessary for carrying on village industries like oil-pressing. It is also a living fertiliser factory and gives us farmyard manure which supplies nitrogen and improves the porosity of the soil. Thus helping to increase the moisture content of the soil as well as proper aeration. These three factors are essential to plant growth. 'No amount

of concentrated manure would help if the porosity of the soil and consequent aeration of the soil are not improved'.

Mechanisation: We have seen that the cow and her progeny bullock are of immense importance in our agricultural operations, as most of the farmers have small plots. In spite of the increasing use of motor transport, we depend on the bullock for about 90 per cent of our rural transport requirements.

Cow Slaughter: The question is raised regarding the slaughter of the cow and the bullock when they become old and not serviceable. During the period of their old age, they provide dung which can be utilised for (a) production of Methane gas and (b) nitrogen enriched manure. Estimates of the values of these products have been made in money terms and they show a satisfactory return.

When the animal dies, it leaves hides for leather, meat meal, bone meal, tallow etc. All these products are utilised in different small industries; they provide the raw materials for such industries which lead to employment and a good return to those who do the work. For example, bone ash is used in ceramic industry. Horns are used for making decorative articles. Glue can be made from bone sinews. Horns and hooves can also be used in making manure.

Gainful Animal: It will be found that the cow is a source of substantial economic gain; there is no loss involved in maintaining the cow.

Mahatma Gandhi has observed: "We should know the true science and economics of the cow, in our own interests. We should make sure that the cow gives us adequate quantity of milk. Besides, she gives bullocks who are the motive power for agriculture and carry weight from place to place. If we know how to use the skin for leather, flesh, bones intestines etc., we realise that the cow is useful even after death. Thus cow is a gainful animal for us; she does not involve us in any loss".

Natural Economic Asset: The cow is the most important factor in the economic life of the country and all concerned should view the problem as a whole in a comprehensive manner, so that the many-sided economic benefits which the cow provides, alive or dead, can be appreciated. To protect the cow is to protect our agriculture and health; to worship the cow means to protect the cow and take care of her health and nutrition. The country should know that God has provided us with this most valuable natural asset; we should know how to preserve it and maintain it in our own economic interests.

Appendices

APPENDIX 1

"The Constitution of India (Part-IV)"

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY.

48. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.

APPENDIX 2

**COW, OF ANY AGE, SHOULD NOT
BE SLAUGHTERED**

Supreme Court Decision

Article 48 of our Constitution directs that the State shall take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. According to the Supreme Court, "these directive principles are not enforceable by any court of law but are nevertheless fundamental in the governance of the country and are to be applied by the State in making laws." It further observes that "the directive for taking steps for preventing the slaughter of the animals is quite explicit and positive and contemplates a law on the slaughter of the several categories of animals specified therein, namely, cows and calves and other cattle which answer the description of milch or draught cattle."

The Court says that cattle in India have a triple role to play, namely, to produce (i) milk for food, (ii) bulls for draught, and (iii) manure for agriculture. Even cows giving a kg/litre or less of milk per day have to be preserved as otherwise some 90% of the present-day milch cows will be eliminated and we shall lose about 70% of our milk products besides a large number of bullocks that they will bear. "In India, where a large section of the population consists of vegetarians, there is a huge shortage in the supply of milk. Cows and other milch cattle, therefore, are of very great value to this country." "There is another important consideration which is perhaps more important from the standpoint of human food supply. It is the bullock that takes the largest share in meeting the power requirements for our agricultural production."

The bullocks are provided by the cows. As there is a substantial shortage of bullocks, the dry cows and female buffaloes are also put to agricultural labour. Yet the total available animal power falls short of the requirements.

The Supreme Court observed "that our working animals are perhaps just about sufficient to supply the power to keep our agricultural operations upto the necessary standard, but the demand for food is growing ... and we shall require a far larger number of these animals. The cattle also provide huge quantities of dung and urine, for fuel and manure. In terms of money the dung and the urine will account for a large portion of the agricultural income in India."

About the usefulness of the cow and her progeny the Court says, "They sustain the health of the nation by giving them the life-giving milk...."

The working bullocks are indispensable for our agriculture, for they supply power more than any other animal. Good breeding bulls are necessary to improve the breed.... The dung of the animal is cheaper than the artificial manures and is extremely useful. In short, the backbone of Indian agriculture is... the cow and her progeny." Indeed Lord Linlithgow has truly said, "The cow and the working bullock have on their patient back the whole structure of Indian agriculture."

After an objective and realistic appraisal of all factors the Supreme Court has come to the conclusion that the tendency of the butchers naturally is to slaughter young calves. Heifers and young castrated stock (cattle and buffalo) which will in future supply us milk and power for purposes of agriculture require protection. It further says, "that for very good and cogent reasons cows also require protection. Cows give us milk and her progeny for future service." ... With reference to the slaughter of useful cows the Court observes, "Instances are not uncommon, however, that to get an animal passed for slaughter the teeth or the rings round the horns of the animal are tampered with and sometimes a cow is even maimed in order that she may be passed by the veterinary inspector as fit for slaughter. Cows, which are rejected by the inspector, are taken out of the limits of the cities and slaughtered in the rural areas."

"As slaughter is not confined to registered slaughter houses, the number of useful animals which are slaughtered cannot be given accurately. It is estimated that at least 50,000 high yielding cows and she-buffaloes from cities of Bombay, Calcutta and Madras alone are sent annually for premature

slaughter and are loss to the country. The causes of slaughter of useful cattle are . . . lack of space in the cities and suburban areas, long dry period, want of arrangements for breeding bulls at the proper time, the anxiety to get as much milk out of the cow as possible, the high cost of maintenance of obtaining adequate fodder. For these reasons many animals are sent to the slaughter houses through sheer economic pressure and are replaced by fresh animals imported from breeding areas. The danger of such premature slaughter is greater for the cow, for being an animal with a scanty yield of milk it does not pay the owner to maintain her through the long dry period and hence there is inducement for adopting even cruel practices to get her passed by the inspectors."

Considering all these factors the Court says that, "regulation of slaughter of animals above a specified age may not be quite adequate protection for the cow...." These considerations induce us to make an exception even in favour of the old and decrepit cows. The counsel for the petitioners (M. H. Qureshi and others), be it said to their credit did not contend otherwise.

So the Supreme Court decides:

We have reached the conclusion—(i) that a total ban on the slaughter of cows of all ages and calves of cows and calves of she-buffaloes, male and female, is quite reasonable and valid and is in consonance with the directive principles laid down in Art. 48; (ii) that a total ban on the slaughter of she-buffaloes or breeding bulls or working bullocks (cattle as well as buffaloes) as long

as they are as milch or draught cattle is also reasonable and valid; and (iii) that a total ban on the slaughter of she-buffaloes, bulls and bullocks (cattle or buffalo) after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals cannot be supported as reasonable in the interest of the general public.

APPENDIX 3

MADRAS HIGH COURT JUDGEMENT

State under an Obligation to Prohibit Cow Slaughter

The Tamil Nadu Government's Order of August 30, 1976 banning killing of cows and heifers in slaughter houses in the entire State has been upheld by the Madras High Court in its judgement dated 9-11-1978.

A butcher of Perambur, Madras, who challenged the Govt., vide his writ petition No. 4362/78, said he has a fundamental right to carry on his business. The complete ban on slaughtering could not be considered as a "reasonable restriction" and hence it violated Article 19(1)(g) of the Constitution. He wanted the Government to be quashed.

Mr. Justice V. Ramaswami pointed out that under Article 48, the state was clearly under an obligation to take steps to prohibit slaughter of cows and calves. In pursuance of this directive principle, the State had made the order. It was also in public interest. He held that it was a reasonable restriction under Article 19. His Lordship dismissed the petition at the admission stage itself.

APPENDIX 4

BAN CATTLE SLAUGHTER COMPLETELY**Ministry of Agriculture Expert Committee
Recommendations, 6-11-1948**

It has been brought to the notice of the Government of India that large number of cattle are annually slaughtered in this country for meat, that the slaughter is often indiscriminate, that it includes animals of all ages and qualities and that the slaughter results in shortage of milk and work bullocks and in the depletion of the country's cattle wealth. There has been considerable agitation in the press, on the platform and on the floor of the legislature in regards to this matter and Government has been urged to take immediate steps to prohibit slaughter by legislation. As this is a complicated socio-religious subject, the Government of India have, after careful consideration, decided to appoint an Expert Committee of officials and non-officials to consider the question in all its aspects and to recommend a comprehensive plan of action which can be put into immediate effect for preserving the cattle wealth of the country and for promoting its developments.

This Cattle Preservation and Development Committee made the following final recommendations on 6th November 1948:

"The Committee is of the opinion that slaughter of cattle is not desirable in India under any circumstances whatsoever and that its prohibition shall be enforced by law. The prosperity of India to a very large extent depends on her cattle and

the soul of the country can feel satisfied only if cattle-slaughter is banned completely and simultaneous steps are taken to improve the cattle which are in a deplorable condition at present. In order to achieve these ends, the committee suggested that the following recommendations should be given effect to:

- (i) The first stage, which has to be given effect to immediately, should cover the total prohibition of slaughter of all useful cattle other than as indicated below:
 - (a) Animals over 14 years of age and unfit for work and breeding.
 - (b) Animals permanently unable to work or breed owing to age, injury or deformity.
- (ii) Unlicensed and unauthorised slaughter of cattle should be prohibited immediately and it should be a cognizable offence under law.
- (iii) The law for prohibiting slaughter of cattle totally should be enforced as early as possible but in any case within two years of enactment of the Act, during which period the following necessary arrangements should be made for the maintenance and care of unserviceable and unproductive animals.
 - (a) A survey of the country should be conducted to find out the areas where Go-sadans may be established and all details with regard to expenditure, etc. should be worked out and arrangements therewith made.

(b) Necessary legislation for the raising of funds required should be enacted as follows:

(i) Gaushala cess such as Laga, Bitti, Kauti, Dharmada should be legalised and their collection regulated for the utilization in the improvement of Gaushalas and Go-Sadans.

(Appointed by Resolution No. F 25-8/47-D/-19-11-1947)

APPENDIX 5

GOVERNMENT REQUEST TO SHRI JAGAD-GURU TO GIVE UP FAST

5 January 1967

Our Constitution recognises the special place of the cow in the Directive Principles enunciated in Article 48 which calls for organising agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and lays down, in particular, the need for steps to preserve and improve the breeds, and prohibit the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. It has been the constant endeavour of the Government of India to secure implementation of the Directive Principle which they have reiterated from time to time. They have accordingly accepted in principle, the imposition of a ban in the Union Territories and have already initiated action in this behalf. The Central Government have also been making efforts to persuade the State Governments to agree to similar action.

The majority of State Governments have already taken legislative action to implement a ban. The Central Government would pursue their efforts with the State Governments concerned to secure adequate action by them.

Government have also decided to set up a Committee which will be composed of representatives of the Central Government, the State Governments and the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti and some experts. The Committee will go into the question of protection, examine inter-alia all the suggestions of the Goraksha Samiti on this subject, and having considered the matter in all its aspects namely, constitutional, legal, economic and others, present to Government appropriate practical recommendations for their consideration. The suggestions of the Samiti which the Committee will thus consider, will include the one for a total ban on the slaughter of cow and its progeny.

The Committee will be formed as soon as possible and will be expected to complete its work within six months of its formation and submit a report to Government. The recommendations of the Committee will receive earnest consideration.

The Prime Minister appeals to Jagadguru Shankaracharyaji of Puri and others to give up their fasts and cooperate in the calm and dispassionate atmosphere.

APPENDIX 6

APPOINTMENT OF THE COW PROTECTION COMMITTEE

Department of Agriculture—No. 25-6/66-LDI
New Delhi, the 29th June 1967

(By Shri S. J. Majumdar)

(Additional Secretary to the Government of India)

2. The Committee will go into the question of cow protection. In the light of all the proposals of Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti and others on the subject, including the one for a total ban on the slaughter of cow and its progeny and having considered the matter in all its aspects, namely, constitutional, legal, economic and other relevant aspects, recommends to Government, for their consideration, appropriate practical steps for the protection of cows, calves, bulls and bullocks. The Committee will suggest ways and means for the effective implementation of the provisions of Article 48 of the Constitution and also give full consideration to any suggestion that the Constitution should be amended to bring about a total ban on the slaughter of cow and its progeny.

3. The Committee will decide the procedure for its work.

4. The Committee will present its report to the Government within six months.

APPENDIX 7

GOVERNMENT OF INDIA COMMITTED TO PROHIBIT COW SLAUGHTER

The Statement of the Agriculture Minister, Shri Jagajivan Ram, given in the Parliament on 12th March 1970 :

“The Government of India wishes to reiterate that they are committed to the implementation of the Directive Principle embodied in Article 48 of the Constitution as interpreted by the Supreme Court. As an earnest of this, Government of India took up with the State Governments and Union Territories the question of making law, where it did not exist, to prohibit Cow Slaughter in accordance with Article 48 as interpreted by the Supreme Court. The Government stands by its public statement of the 5th January 1960 and the further statement of the 1st February 1967.”

APPENDIX 8

ENACT LEGISLATION WITHOUT DELAY

Unanimous Decision of Cow Protection Committee, 17-9-1973

Committee on Cow Protection set up by the Government of India passed the following resolution.

This meeting of the Committee on Cow Protection unanimously agrees that considering the im-

portance of cow, bullock, bull, etc. the Central Government has agreed to the important decision by the bench of the Supreme Court on 23rd April 1958 and 23rd November 1960.

Therefore, according to the aforesaid decision, the Government should enact or get enacted legislation on cow protection without delay and implement/get implemented the same carefully.

For the remaining action, the Committee will submit its final report later.

APPENDIX 9

AGREED POINTS WITH BENGAL GOVT.

From:

Shri M. Bhattacharya,
Secretary to the Govt. of West Bengal

To :

Shri Radhakrishna Bajaj,
General Secretary,
Akhil Bharat Krishi Goseva Sangh

No. 6393—V. Calcutta, the Sept. 1, 1978

Sir,

I am directed to write to you following the discussions which you and some of the office bearers of Akhil Bharat Krishi Goseva Sangh had with the Minister-in-Charge of Animal Husbandry and Veterinary Services on August 30, 1978.

The following broad conclusions were reached:

(i) After discussions it was agreed that your letter dated August 22, 1978 to the Chief Minister

of West Bengal will be withdrawn and a communication sent to that effect to the Chief Minister and copies of your letter will be endorsed to the Prime Minister, Union Agriculture Minister and Shri Jayaprakash Narayan.

(ii) We agree to differ whether West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950 is in consonance with Article 48 of the Constitution of India. The Sangh was of the view that it was not and the State Government is of the view that it is in consonance.

(iii) It was agreed that the West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950 will be extended to the entire State and the provisions of the Act enforced more rigorously than at present. It was also agreed that mere extension by enactment will not serve the objectives and that proper implementation of the provisions of the Act could be ensured only with adequate administrative support. It was assured by the Minister that this point will also be taken into account.

(vi) In regard to import of cattle from outside by private traders, the Sangh was of the view that Department of Animal Husbandry & Veterinary Services should set up a suitable machinery for ensuring that milch animals are not booked by the Railways and import should be allowed against permits only. It was agreed that while this would be desirable from the administrative point of view, it would be only possible for the Department to set up suitable arrangements at Howrah and Sealdah Railway Stations to ensure that no animals on which there is a restriction of slaughter under the

Animal Slaughter Control Act are allowed to go into Calcutta City. If milch animals are found to have been imported, such animals will be impounded under the existing rules and regulations and sent to sites which are now under preparation for removal of city kept cattle. In this context, it was also the consensus that the project for removal of city kept cattle should be pursued.

(v) It was agreed that the State Government would review the question of giving relaxation to slaughter of animals on particular religious occasions.

(vi) It was agreed by the Department that the Department would examine whether the form for certificate for slaughter of animals now under use in the State should be modified so that there are no loopholes in the form.

I shall be grateful if you will kindly let us know whether the contents of this letter are acceptable to the Sangh.

Yours faithfully,
M. Bhattacharya

APPENDIX 10

COWS SHOULD NOT BE IMPORTED IN WEST BENGAL

Excerpts from the report of the Committee appointed by Krishi Go-seva Sangh under the Presidentship of Dr. Rajendraprasad :

(12) In view of the slaughter of useful cattle in Calcutta this Committee proposes that importation of cattle from provinces outside West Bengal should be allowed only if the Government of West Bengal makes necessary arrangements for stopping such

wanton destruction of good cattle wealth by starting colonies for keeping cattle outside the city.

(13) The Haringatta should be developed a milk colony for supplying milk to Calcutta city on Mixed Farming Basis.

1. Prafullchandra Ghosh
2. Jugalkishor
3. P. Mhatre
4. Radhakrishna Bajaj
5. Rishabhadas Ranka
6. G. B. Badkas

I regret it was not possible for me to join the committee members in their tour and their discussions. But I agree with the recommendations which coincide with my own views formed independently.

30-9-1949

Rajendra Prasad

APPENDIX 11

INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTATION OF ACT

Govt. of Andhra Pradesh

Housing, Municipal Administration and Urban
Development

Memo No. 5150/F1/78-3 M. A., Date: 31-5-1979

Sub: Andhra Pradesh Prohibition of Cow
Slaughter and Animal Preservation Act
1977—Implementation of Instructions
Issued

1. Several instances have been brought to the notice of the Government that illegal slaughter of

animals is going on contravening the provisions of the Andhra Pradesh Prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act, 1977.

2. The Commissioners & Special Officers of all the Municipalities in the State are, therefore, hereby directed to observe strictly the provisions of the Andhra Pradesh Prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act, 1977, and also not to allow the slaughtering of cows and calves of cows and she-buffaloes in the slaughter houses managed by the Municipalities. Any difficulties encountered by them in implementing the provisions of the act should be reported to the higher Department Officers for issuing appropriate instructions.

3. They are also requested to make surprise visits to the slaughter houses in their respective Municipal Jurisdiction and stringent action should be taken on the persons found guilty of violating the provisions of the Act.

4. The receipt of this memo should be acknowledged.

Partab Karan

Deputy Secretary to Government

To

All the Commissioners and Special Officers of
the Municipalities in the State

The Director of Municipal Administration,
Hyderabad

The Director of Animal Husbandry,
Hyderabad

APPENDIX 12

TEN YEARS' IMPRISONMENT IN KASHMIR
FOR COW SLAUGHTER

Dear Shri Radhakrishna,

As you may be aware cow slaughter is a penal offence in this State which provides for a maximum punishment of ten years' imprisonment and fine. To ensure strict enforcement of law, even transportation of cows from one province to other is not permitted unless a certificate is produced from a qualified Veterinary Assistant Surgeon of the Animal Husbandry Department testifying that cows intended for transport are milch cows, healthy and solely meant for milking purposes. Police check-points and pickets have been established on the National Highway for this purpose. This, as you will appreciate, is the best that we could do for protection of cow.

Yours sincerely,
(Sd.) S. M. Abdullah
(Chief Minister, Jammu-Kashmir)

No. 7c. CM/78
Jammu Tavi
27-12-78

APPENDIX 12 (A)

A.I.C.C. RESOLUTION OF CONGRESS(I)

The A.I.C.C. feels greatly concerned about the decision of Acharya Vinobaji to go on fast for implementation of Govt. of India's earlier decision to enact suitable legislation in keeping with Supreme Court's decision for the protection of the cows and calves. The A.I.C.C. urges the Government of India and the Govts. of Kerala and West Bengal to follow other States in implementing Supreme Court's decision in letter and spirit and save the precious life of revered Vinobaji.

Our prayers are with Poojya Vinobaji.
Delhi, 8-4-1979

APPENDIX 13

LOKSABHA PASSED RESOLUTION ON COW SLAUGHTER

Bill

To Provide for Prohibition on Killing of Cows.

Be it enacted by Parliament in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:

1.(1) This Act may be called the Cow Slaughter Prohibition 1978 Act.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once:

Provided that different States may make it applicable, in the territories governed by them, at

different dates within six months of the passing of this Act, by notification in the State Gazette.

Definitions—2. In this Act, unless anything is repugnant to the subject or context,

(a) 'Cognizable offence' shall have the same meaning as assigned to it in the Code of Criminal Procedure, 1973;

(b) 'Cow' includes he-calves, she-calves, bullocks and bulls;

(c) 'Slaughter' means killing by any means, whatsoever, for any person.

Prohibition—3. No person shall kill or cause to be killed a cow for any purpose or at any place in India.

Punishment—4. Any person, who contravenes the provision of section 3, shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years.

Offence to be cognizable—5. An offence under this Act shall be a cognizable offence.

Resolution Passed

The Bill of Dr. Ramji Sing was passed for the first time on 12-4-1979 in the Loksabha with majority of 53 in-favour, 10 neutral and 15 opposed. The main opposition was from CPI, CPM, ADMK and Republican Party. The definition of cow includes he-calves, she-calves, bullocks and bulls. Cow slaughter has been made cognizable offence with a provision of imprisonment upto ten years, in this resolution.

APPENDIX 14

THE CONSTITUTION

(FIFTIETH AMENDMENT) A BILL, 1979

further to amend the Constitution of India

Be it enacted by Parliament in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

- | | |
|-------------------------------|--|
| Short title | 1. This Act may be called the Constitution (Fiftieth Amendment) Act, 1979 |
| Amendment of Seventh Schedule | 2. In the Seventh Schedule to the Constitution,— |
| | (a) in List II—State List, in entry 15, after the words “prevention of animal diseases”, the words, figures and letter “subject to the provisions of entry 17C of List III” shall be inserted; |
| | (b) in List III—Concurrent List, after entry 17B, the following entry shall be inserted, namely:— |
| | “17C. Prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.” |

APPENDIX 14(A)

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

(By Surjit Singh Barnala)

The Directive Principle of State Policy contained in Article 48 of the constitution enjoins that “the State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and

draught cattle." In order to give effect to this directive principle, several States have enacted legislation restricting slaughter of cows and their progeny and other milch and draught cattle.

2. Legislation in this matter is relatable to Entry 15 of the State List and consequently there is no uniformity in the legislation enacted to give effect to this directive principle. There is a strong public opinion in favour of a uniform legislation relating to prevention of slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. The Lok Sabha also passed a resolution on the 12th April 1979, urging the Government of India to ensure that ban on the slaughter of cows and calves should be effected in accordance with the constitutional provision.

3. It is, therefore, proposed to amend the Constitution with the limited objective of securing legislative competence for Parliament to legislate on the subject of prohibition of slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. To achieve this objective, it is proposed to insert a new entry in the Concurrent List on this subject and to make the existing 15 in the State List subject to the proposed new entry in the Concurrent List.

4. The Bill seeks to achieve the above object.

New Delhi,

The 10th May 1979

APPENDIX 15

HARYANA GOVERNMENT ORDER PROHIBITING TRANSPORT OF COWS FOR SLAUGHTER

Copy of letter No. AH(6)-79/13746-Chandigarh, dated 26th April 1979 from Shri Kulwant Singh, IAS, Commissioner and Secretary to the Govt., Haryana Animal Husbandry Department, to all the District Magistrates in Haryana.

Subject: Transport of Cows out of Haryana for purposes of slaughter

I am directed to inform you that the State Government have decided that transport of cows from Haryana to other states for purposes of slaughter should be stopped immediately. You are, therefore, requested to take effective steps to ensure that dry cows, bulls and calves are not taken out of the state of Haryana. As regards cows in milch, it may kindly be ensured that these permitted to be taken out of the State only for bonafide purpose.

परिशिष्ट १६

सर्व सेवा संघका गोरक्षा सम्बंधी प्रस्ताव

कृषि-गोसेवा संघ के मंत्री श्री राधाकृष्ण वजाज ने जानकारी दी कि गत वर्ष विनोबाजी को भारत सरकार ने सारे देश में गोवध-बंदी कानून बन जानेका आश्वासन दिया था। उसके अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु और आसाम में कानून बन गए हैं। केरल, पश्चिम बंगाल और गोवा में ११ सितम्बर, '७७ तक कानून बन जाने की बात थी, वह पूरी नहीं हुई है।

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों से इस संबंध में बराबर संपर्क चालू है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्रीजी ने प्रदेशों को कानून बनाने के लिए समझाने की बात कही है। केरल और गोवा के क्रिश्चियन धर्मगुरुओं ने कहा है कि वे गोवध-बन्दी कानून का विरोध नहीं करेंगे। केरल में मुस्लिम लीग ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी ओर से गोवध-बंदी कानून का विरोध नहीं होगा।

भारत सरकार ने पू. विनोबाजी को आश्वासन दिया था उसके पहिले भी १९६७ से लेकर आज तक अनेक बार धारा ४८ के अंतर्गत कानून बन जावेंगे ऐसे आश्वासन दिये थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त गोरक्षा कमेटी ने भी तारीख १७-९-'७३ की अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सर्वसम्मति से राय दी है कि संविधान की धारा ४८ के अनुसार सारे देश में कानून बनाने या बनवा देने के लिए भारत सरकार वचनबद्ध है।

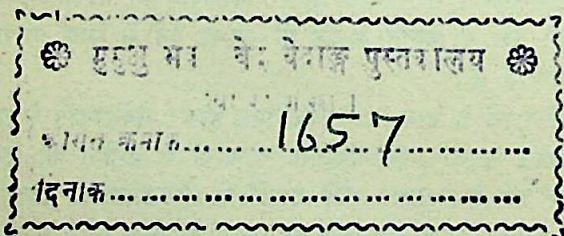
रिपोर्ट सुनने के बाद विचार-विनिमय होकर सर्वसम्मति से तय हुआ कि भारत सरकार एवं संबंधित सरकारों से प्रार्थना की जाय कि वे धारा ४८ के अनुसार सारे प्रदेशों में शीघ्रातिशीघ्र गोहत्या-बंदी कानून बनावें। आज तक दिये गये वादों की पूर्ति करें। सरकारें बदलती हैं, फिर भी वादे कायम रहते हैं। सद्भाग्य से नई जनता

सरकार तो जनता की राय को प्राथमिकता देनेवाली सरकार है। उसका फर्ज है कि देश के विशाल जनमत का आदर करके केंद्रीय कानून बनाकर या संबंधित प्रदेश को समझाकर सारे भारत में गोहत्या-बंदी कानून शीघ्र बनावे।

प्रबंध समिति की यह भी राय है कि भारतीय आत्मा को तभी संतोष होगा जब पूरे गोवंश की हत्या बंद हो। गाय, बैल, नंदी तीनों की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किये जायें। संघ ने अपनी राय स्वराज्य प्राप्ति के बाद अनेक प्रसंगों पर व्यक्त की है एवं आज भी उस पर कायम है कि विशाल भारतीय जनमत का आदर करते हुए सारे भारत में संपूर्ण गोवंश हत्या-बंदी कानून बनाया जाना चाहिए।

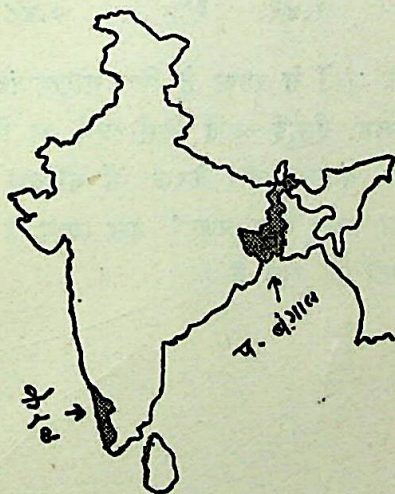
राऊरकेला,

ता. १८-९-'७७



जिन राज्यों में गोहत्याबंदी है

१ जम्मूकश्मीर	९ उत्तरप्रदेश	१७ हिमाचल प्रदेश
२ हरियाना	१० कर्नाटक	१८ मणिपुर
३ पंजाब	११ उड़ीसा	१९ त्रिपुरा
४ राजस्थान	१२ चंडीगढ़	२० आंध्र
५ गुजरात	१३ दिल्ली	२१ तामिलनाडु
६ मध्यप्रदेश	१४ दादरा नगरहवेली	२२ असम
७ बिहार	१५ पाँडिचेरी	२३ गोवा
८ महाराष्ट्र	१६ अंदमान निकोबार	



केवल दो राज्यों में नहीं :

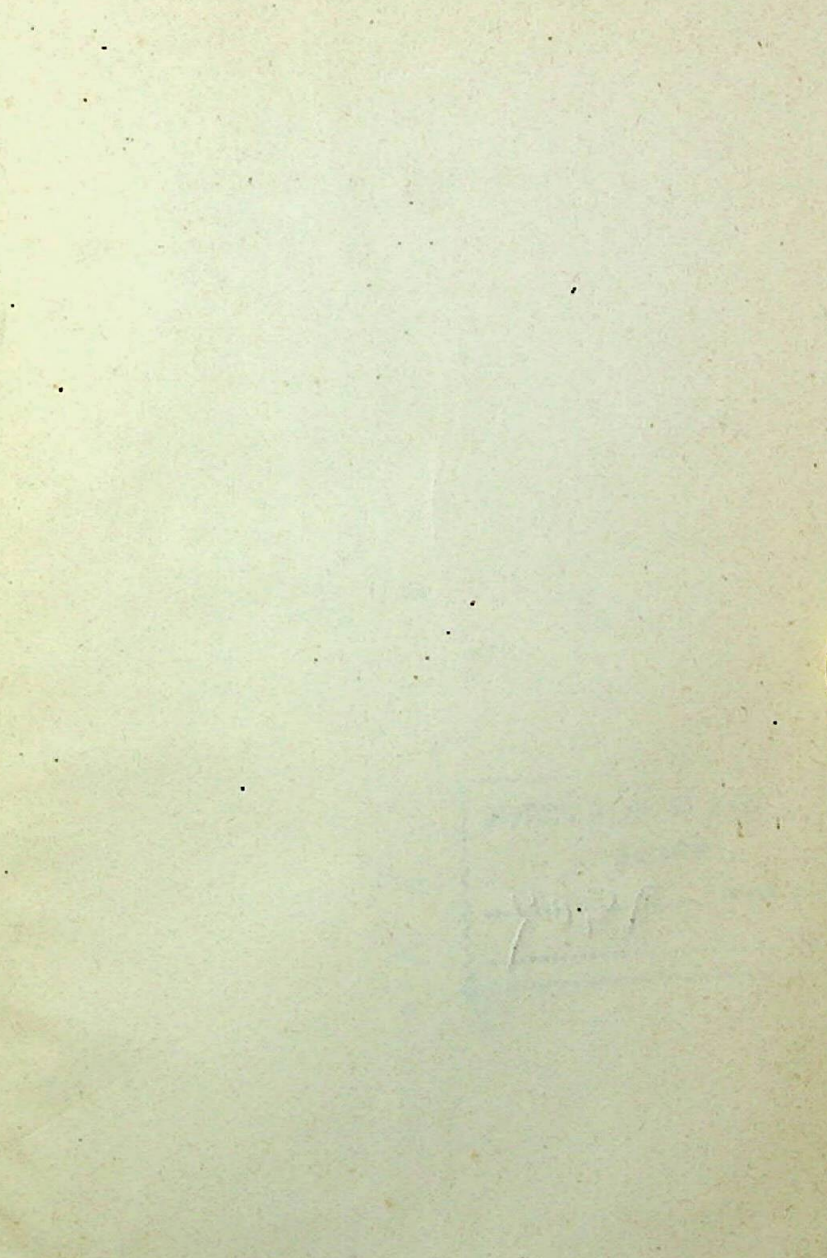
१ प. बंगाल

२ केरल

भारत की पूरी आबादी का केरल और बंगालका प्रतिशत

	२३ प्रदेशोंकी प्रतिशत		प. बंगाल और प्रतिशत	
	जनसंख्या	कुल जनसंख्या	केरलकी जनसंख्या	बंगाल केरलका
		करोड़		करोड़
१ हिंदू, बौद्ध, जैन आदि	४७.३४	८६%	४.७०	१०%
२ मुस्लिम	६.१४	११%	१.३२	२३%
३ ईसाई	१.४२	३%	०.४८	३%

ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि गोहत्याबंदी के प्रश्न पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि किसी धर्म का विरोध नहीं है। केवल प. बंगाल और केरल में गोहत्या चालू है, क्यों कि "यथा राजा तथा प्रजा" इस न्याय से दोनों ही जगह कम्युनिस्टों का राज है।




 ...संस्कृत ...संस्कृत वेद वेदांग विद्यालय
 ग्रन्थालय
 आगत क्रमांक..... १६७५.....
 दिनांक.....

